राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 | चतुर्थ | विधान सभा के प्रथम सत्र का तीसरा दिवस | संख्या 4

बुधवार,

दिनांक 22 मार्च, 1972.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री भीमसेन

(2) श्री गोपाल जोशी

(3) श्री जनार्दन सिंह गहलोत

(4) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(5) श्री रामानन्द अग्रवाल

(6) श्री मोहम्मद गफ्फार अली

(7) श्री भानुकुमार शास्त्री

(8) श्री गुमानमल लोढ़ा

यह विषय लोक महत्व का होते हुए भी ऐसा नहीं है जिसके कारण सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में उठाये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी मैं माननीय यातायात मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे परसों दिनांक 24 मार्च, 1972 को इस विषय पर सदन में एक वक्तव्य दें।

सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल, मनोहरलाल तथा बृजेन्द्रसिंह, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने दिनांक 28 फरवरी, 1972 को राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में एक जन संघ के उम्मीदवार श्री महेन्द्र सिंह के चुनाव प्रचार में संलग्न श्री ओमप्रकाश राजोरिया, एडवोकेट पर धौलपुर से एक फर्लांग दूर रेल्वे क्रासिंग के ऊपर आर.ए.सी. के असिस्टेन्ट कमान्डेंट श्री लखूसिंह एवं उनके साथियों द्वारा गोलियां चलाकर तथा कथित हत्या करने से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और इस पर सदन की कार्यवाही स्थगित करके तुरंत विचार करने का अनुरोध किया है।

इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी

Page No 2

(श्री अध्यक्ष)
प्राप्त होने के बाद इस स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना देते हुए ब्यावर शहर में पीने के पानी के दुर्लभ होने की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और इस पर सदन में तुरंत विचार करने का अनुरोध किया है। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर प्रारंभ होने वाली बहस के समय इस विषय को उठाया जा सकता है। अतः मैं इस प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना देते हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय जिला गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र में 10 मील की परिधि में लगाई गई माइन्स के कारण जो खेतीहर मजदूर बेकार हो गये हैं उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिये जाने की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और इस पर भी तुरन्त विचार करने का अनुरोध किया है। इस प्रश्न पर भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर होने वाली बहस के दौरान चर्चा की जा सकती है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना देते हुए दिनांक 11 मार्च, 1972 को जोधपुर शहर के एक चुनाव हलके में पथराव होने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी मिलने के पश्चात् इस पर निर्णय लिया जायेगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह रोडवेज का जो प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर) : आज दिलवाने का कष्ट करें तो ठीक रहेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : एक एक सदस्य बोलें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत गंभीर है, इसको अवश्य पहले लिया जाय। मैं खुद जोधपुर शहर में गया था, मैंने वहां देखा सिर्फ काम करने वाले ही नहीं जितने वर्ग हैं–व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग...

श्री अध्यक्ष : मैंने बात सुन ली, गवर्नमेंट से जानकारी चाही है उसके बाद ही निर्णय लेने की स्थिति में होऊंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : गवर्नमेंट को जानकारी कर लेनी चाहिये थी...

श्री अध्यक्ष : यह बहस का विषय नहीं है। जानकारी गवर्नमेंट से नहीं आ जाय तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

Page No 3

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जल्दी से जल्दी अध्यक्ष महोदय, आज मिल जाय तो ठीक होगा। जो कुछ भी इनफरमेशन कलेक्ट की हो बता दें। वहां आज भी आतंक है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी आने पर बता दिया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, रोडवेज का जो प्रश्न है, वह गहलोत साहब ने भी दिया है और मैंने भी दिया है। गवर्नमेंट को काफी समय मिल चुका है। गवर्नमेंट को अब तक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट को लिखा जा चुका है। कल वर्किंग डे नहीं है इसलिये।

एक माननीय सदस्य : लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है, अध्यक्ष महोदय।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:–

मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश सं. 1 सन् 1972) सदन की मेज पर रखता हूं:–

श्री चन्दन मल वैद : (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन को मेज पर रखता हूं:–

(1) राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1971)

(2) राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1971)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 28 तारीख की रात्री को जो जघन्य अपराध हुआ है उसके बारे में···

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट से जानकारी चाही है। आपको भी बोलने का समय मिलेगा।

श्री गुमानमल लोढा : क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन श्री ओमप्रकाश राजोरिया का जो हत्या–काण्ड है वह जनसंघ को चुनौति है। मैंने इस पर स्थगन प्रस्ताव रखा है। जिस समय चुनाव का दौर चल रहा था वे एक जीप में आ रहे थे उस समय नत्थुसिंह आर. ए. सी. के कमान्डेन्ट ने उन्हें जानबूझकर मारा है।

श्री अध्यक्ष : मोशन पर जब सूचना चाही है तो भाषण देने का कोई महत्व नहीं रहता है। जवाब आ जाय तब···

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, अब यह एक अहमियत का प्रश्न है। आम जनता में आज भी टेरर और आतंक छाया हुआ है। श्री नत्थूसिंह जो आर. ए. सी. का कमान्डेन्ट है, ने जानबूझकर चार फीट की दूरी से श्री ओमप्रकाश राजोरिया को गोली मारी है। उसके सिर पर गोलियां लगी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि हमने यह मांग कि थी इसकी जांच सी. बी. आई. से कराई जाय···

Page No 4

श्री अध्यक्ष : अहमियत की कोई बात नहीं है। इसका जवाब आजाय तो फिर परसों तक इसका जवाब मिल जायगा···

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, यह जनतान्त्रिक महत्व का विषय है इसलिये सदन की कार्यवाही को स्थगित की जाय। हमने पहले भी निवेदन किया था···

श्री अध्यक्ष : जवाब आ जाय।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है किन्तु क्या इस प्रकार इस जनतन्त्र युग में लाठी और गोली चलाकर जनतन्त्र का गला नहीं घोटा जा रहा है ? श्री ओमप्रकाश जनसंघ की एक जीप में आ रहे थे और उनको गोली मार दी गई। हम केवल यह मांग कर रहे हैं कि सी. बी. आई. से इसकी जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : आप एडजोर्नमेंट मोशन पर ही बोल रहे हैं। हमने उस एडजोर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट नहीं किया है। ज्यादा बोलने से नियमों का उल्लंघन होता है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतनीसी प्रार्थना करना चाहता हूं श्री सेन वर्मा जो भारत सरकार की तरफ से चुनाव आयुक्त है ने राजस्थान सरकार द्वारा इसको श्री सक्सेना के माध्यम से आकस्मिक होने का विरोध कर यह राय दी "The whole thing is so atrocious that it could not be accidental in full moon light. It requires high level enquiry otherwise free and fair elections would not be possible." हम केवल सी. बी. आई. से जांच की मांग कर रहे हैं। यह जांच डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज जैसे व्यक्ति से नहीं हो सकती है। बेरी आयोग में भी ऐसे मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई···

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि बहस की जरूरत नहीं है। तथ्यों का जवाब आ जावे फिर आप फरमायें।

श्री गुमानमल लोढा : इस इन्सीडेन्ट को हुए बहुत समय हो गया है। मंत्री महोदय के पास सारे तथ्य हैं और हमारा यह आरोप है कि यह हत्या जानबूझकर षड़यन्त्र के द्वारा और केवल टैरर फैलाने के लिए की गयी। इसी प्रकार से मध्यावधि चुनावों में भी महाराजा किशनगढ़ की हत्या की गयी और आतंक फैलाकर लाठी-गोली की सरकार बनाने की जो योजना है उसके बारे में निवेदन है कि यह बहुत महत्व का प्रश्न है···

श्री रोशनलाल (सलुम्बर) : बिलकुल गलत है।

श्री गुमानमल लोढा : आप लाठी गोली की सरकार कभी नहीं बना सकते····

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि सरकार से जानकारी आ जाय उसके बाद ही कुछ फरमाये तो ठीक रहेगा।

श्री गुमानमल लोढा : ···जिस समय पूर्णिमा थी और पूरी चांदनी थी उस समय चार फीट की दूरी से ही गोली मारकर हत्या की गयी····

श्री अध्यक्ष : आपका एडजर्नमेन्ट मोशन अस्वीकृत नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप नियमों का पालन करें।

Page No 5

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमें सोचना होगा कि पहले भादरा में गोली काण्ड हुआ, सांगरिया में गोली काण्ड हुआ चूरू में गोली काण्ड करवाया गया और अब धौलपुर में भी हत्या करवायी गयी। इस प्रकार से लाठी गोली की सरकार नहीं चलने दी जायेगी। मेरी प्रार्थना है कि इसको आज ही लिया जाये।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय जनसंघ के सदस्य सदन में बिलकुल नये हैं और उनको रूल्स का बिलकुल ज्ञान नहीं है। आपने एडजर्नमेन्ट मोशन पर रूलिंग दे दी तो मेरा नम्र निवेदन है कि उनको इस तरह से प्रेस नहीं करना चाहिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को रूल्स की कापी जल्दी ही दे दी जाये ताकि उसकी स्टडी करके कहें।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं दो ही शब्द इस संबंध में निवेदन किये बिना नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इसका संबंध हिंसा से है। हिंसा के साथ जनतन्त्र जीवित नहीं रह सकता। अगर हिंसा होती है, चुनावों के अन्दर होती है, कई दिन पूर्व होती है तो सरकार को यह मानकर चलना चाहिए था कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई स्थगन प्रस्ताव या प्रश्न सदन के समक्ष रखा जायेगा। क्या सरकार उसके उत्तर के लिए आज तैयार नहीं है? अगर तैयार नहीं है तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपकी व्यवस्था सिरोधार्य है लेकिन सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई उत्तर दे। मौनव्रत धारण करके दो दिन की और इन्तजार करना मेरे ख्याल से कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। जल्दी व्यवस्था की जाये कि जवाब आये।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से हत्या की जाये, माथा उड़ा दिया जाये, गोली से उड़ा दिया जाये और गोली से उड़ाने वाले दावत खायें और हमारे मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण किस पर हो रहा है?

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा निवेदन है कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस पर बहस की जाये।

श्री अध्यक्ष : जब तक सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हो जायेगी तब तक इस पर विवाद नहीं होगा। जैसे ही जवाब आयेगा तो उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसका निर्णय कर लिया जाये कि यह कब तक होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि यह राजनैतिक हत्या हुई है तो यह गलत है। सरकार ने इसको जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए आर्डर्स दे दिये हैं और राजनैतिक लाभ उठाने की बात जो जनसंघ पार्टी की तरफ से कही जा रही है मैं इसके लिए कह रहा हूं यह गलत है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम सी. आई. बी. की मांग कर रहे हैं क्योंकि जुडीशियल इन्क्वायरी को कोई मान्यता नहीं दी जाती

(श्री गुमान मल लोढ़ा)
है। मेरी मान्यता है कि सी. आई. बी. से इसकी जांच कराई जाये।

श्री अध्यक्ष : 'चेयर इज आन इट्स लेग्स'

श्री भानुकुमार शास्त्री : इन्क्वायरी कमीशन के अन्दर अमेन्डमेन्ट नहीं हो कि जो टेबल पर सबमिट होगा सरकार मानने के लिये बाध्य होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि अपने नियमों का ध्यान रखें। इनफर्मेशन आ जाये उसके बाद ही बोलें तो अच्छा होगा। कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं?

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सदस्य जिस प्रकार से वकालत कर रहे हैं मैं कहूंगा कि यह एक षड़यंत्र था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जो कहा जा रहा है कि राजनैतिक लाभ उठाने के लिए किया गया यह बिलकुल गलत है और उस लाश को लेकर उस इलाके के अन्दर घूमे, राजमाता पहुँची और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ....

श्री भानुकुमार शास्त्री : उनका मर्डर हुआ है और इस प्रकार से सदन में कहा जाये यह शोभा की बात नहीं है....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इसके लिए जिम्मेदार हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सी. आई. बी. से जांच करवा लीजिए तब मालूम हो जायेगा कि कौन जिम्मेदार है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं तो अध्यक्ष महोदय, चाहूंगा कि मुझको मौका दिया जाये कि मैं सदन के सामने तथ्य रखूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हत्या का डिफेन्स करने वाले हत्यारे के साथ मिले हुए हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत है। ये लाश लेकर वहां घूमे, लाश को नहीं दफनाया, जलाया नहीं और गली गली में घूमे और उसके घर वाले लाश को मांगते रहे उनको लाश नहीं दी। ग्वालियर की राजमाता आई और उसके बाद भी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री निरंजननाथ आचार्य : पाइन्ट आफ आर्डर सर ..

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह : ये घूमते रहे और उसके बलबूते पर चुनाव जीतना चाहते थे क्योंकि इनके पास इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं था...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोरगुल, व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर सर,

(शोरगुल)

आर्डर, आर्डर। मैं यह अर्ज करता था कि यह एडजर्नमेन्ट मोशन के रिजेक्ट होने

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)
अथवा जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजने के बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। फिर भी यहां एक परम्परा बन गयी है संक्षेप में उस पर चर्चा करने दी जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह उत्तेजना का विषय बन गया है। यहां की परम्परायें भी नहीं टूटें मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि नियमों का अवलोकन करें। नियमों की किताब वे बता रहे थे उसके बाद मुख्य सचेतक भी नियमों के विरुद्ध बहुत उत्तेजित होते रहे हैं। नियम कहीं चले गये। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह तो स्वीकार किया जाता रहा है कि एडजर्नमेन्ट मोशन के बाद उत्तेजना न हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसको हमेशा निगाह में रखते रहे हैं कि जो प्रश्न उत्तेजनात्मक हो उसके निदान के लिए भी प्रयत्न किया जाता रहा है। मैं समझता हूं कि आज शाम तक सरकार स्टेटमेन्ट दे दे तो यह उत्तेजना समाप्त हो जायेगी नहीं तो सदन का समय व्यर्थ में चला जायेगा।

एक माननीय सदस्य: पाइन्ट आफ आर्डर क्या है इसमें ?

श्री अध्यक्ष: नियमों के अनुकूल भी और परम्पराओं की तरफ भी ध्यान करके मैं सब कुछ बरदाश्त करके चल रहा हूं। सूचना जल्दी से जल्दी आये और कार्यवाही हो जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि रोडवेज का प्रश्न इससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 30 दिनों से सारे राजस्थान में यातायात ठप्प पड़ा हुआ है और सैकड़ों कर्मचारी भूखों मर रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : 24 तारीख के लिए कहा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इनके दिये तो जलते बुझते रहेंगे कौन सी नयी बात है।

श्री गफ्फार अली : स्टेटमेंट दिया है अखबारों में। जो जोधपुर में घटना हुई उसमें मुकदमें वापिस लिए जायें और गिरफ्तारियां नहीं की जायें। यहां तो एक कत्ल की बात है और वहां पर दुकानें लुट गया, वहां की जनता बरबाद हो गयी तो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : महारावल साहब ने सात दिन तक करफ्यू करवाया और आज वे यहां हत्या के प्रश्न को लेकर खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आगे कार्य शुरू किया जाय···

(अश्रव्य) (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : करफ्यू के बारे में जो बातें कहीं गई हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। यह केवल मात्र राजनैतिक लाभ उठाने के लिए, छिछोलापन करके यह सदन का वक्त बिलकुल अनुचित रूप से जाया करने की कुचेष्टा की गई है। कोई ऐसा डूंगरपुर में करफ्यू नहीं हुआ।

(भारी शोरगुल) (अश्रव्य)

यह बिलकुल गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह अपने को महारावल कहलाने वाले साहब····

Page No 8

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ।

श्री गुमानमल लोढा : जनसंघ पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे बिल्कुल निराधार हैं, झूंठ हैं ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं चेलेंज करता हूं ।

(भारी शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : जोधपुर में एक भी व्यक्ति नहीं मरा है । इस प्रकार का आरोप निराधार है, मिथ्या है....

(भारी शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए, आप भी बैठिए आप भी बैठिए ।

श्री गुमानमल लोढा : कांग्रेस के सहारे जीत कर आए हैं इसलिए कांग्रेस की वकालत करनी पड़ रही है । यह जोधपुर का प्रश्न मेरे जीवन मरण का प्रश्न है ....

(अश्रव्य-भारी शोरगुल)

श्री रोशनलाल : यह गलत कह रहे हैं ।

(अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : जोधपुर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है । लोगों को परेशान किया जा रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गरीबों को पिटवा दिया । गरीबों की दुकानें लुटवा दी ।

श्री गुमानमल लोढा : आप इसके लिए जिम्मेदार हैं ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, माननीय सदस्य आप भी बैठिए ।

श्री गफ्फारअली : यह मुकदमे वापिस लेना चाहते हैं तो पहले इसकी इन्क्वायरी तो पूरी होनी चाहिए ....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिए साहब ।

अश्रव्य–शोरगुल

मै आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब आप बैठिए ।

श्री गुमानमल लोढा : पहले अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के साथ थे और अब कांग्रेस का साथ देने को तैयार हुए हैं । हमने ...

(अश्रव्य भारी शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपसे बड़ा गद्दार देश का कोई नहीं है । यह जनता ने भी साबित कर दिया है कि आप कितने गद्दार हैं । आपको जनता ने उठा कर फेंक दिया है ....

(भारी शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आपस में बातचीत न करें । एडजोनमेंट मोशन पर इससे ज्यादा चर्चा करना उचित नही होगा ।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की जानी चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसकी जांच क्या हो सकती है।

(अश्रव्य–भारी शोरगुल)

अध्यक्ष द्वारा अनवरत घण्टी

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आपके चुनाव क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय के चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार का हत्याकाण्ड हुआ, गोलीकाण्ड हुआ···

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आपको इस प्रकार से बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आप इस सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इन महारावल साहब के परिवार के लोगों ने हजारों भीलों को मरवा दिया···

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल निराधार है। मैं इसको रिफ्यूट करता हूं।

(भारी शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कांग्रेस शासन ने तो मजदूरों को भी नहीं छोड़ा है, मजदूरों को भी मरवा दिया है····

श्री अध्यक्ष : मुझे मजबूर होकर एक्शन लेना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नियमों की पाबन्दी करनी चाहिए, परम्पराओं की पाबन्दी करनी चाहिए। इस तरह से बोलना उचित नहीं है।

(भारी शोरगुल–अश्रव्य)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव लगातार बोलते रहे)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय की कांस्टीट्यूएंसी में इस प्रकार के काण्ड हुए हैं। यह गम्भीर विषय है····

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जावें, नहीं तो मुझे नाम जद करना पड़ेगा।

(श्री भार्गव बोलते रहे–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव के नाम से कहता हूं कि वे बन्द करें।

श्री गुमानमल लोढा : हमें जांच की मांग करने का अधिकार है और वह अधिकार भी हमें नहीं मिलता है, तो हम इसके प्रोटेस्ट में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

कांग्रेस पक्ष के कई मा. सदस्य : पधारो, पधारो, पधारो।

(जनसंघ दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

धन्यवाद–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंगा स्नान करके वापिस आना।

Page No 10

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सत्र के प्रारम्भ पर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अपना प्रभावशाली महत्व रखता है। उसमें खास तौर से चुनावों के ठीक पश्चात् प्रारम्भ होने वाली विधान सभा की बैठक में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का और भी विशेष महत्व हो जाता है।

इस बार राजस्थान में विधान सभा सत्र के प्रारम्भ पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में एक विशेष महत्व है। जब भाषण पर हम सोचते हैं तो हमें इससे पहले की घटनाओं के संदर्भ में इस पर विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पूर्व प्रान्त की एक स्थिति थी। इस वक्त विधान सभा का जो स्वरूप इस बार राजस्थान का बना है वह एक विशेष महत्व रखता है। चुनावों से पूर्व राजस्थान में कई तरह की भ्रांतियां लोगों के मनों में थीं; राजस्थान में विरोधी राजनैतिक दल कई प्रकार की कल्पनाएं लेकर चलते थे। सोचते थे कि इस बार तो राजस्थान में एक ऐसा मौका मिला है जहां विरोधी दल की सरकार बनेगी, कांग्रेस बहुमत में नहीं आ पाएगी। कई माननीय सदस्य यह सोच कर यह चुनाव लड़ रहे थे। कि शायद उन्हें सन् 1972 में प्रारम्भ होने वाले सत्र या सन् 1972 की विधान सभा से राजस्थान का मुख्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने उन लोगों को जवाब दिया। कई बड़े 2 नेता धराशायी हुए और जो विधान सभा में आकर बैठे उनकी आशा निराशा में परिणित हुई। राजस्थान की जनता ने 184 में से 145 सीटें कांग्रेस को दीं और हमारे प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों में, जो चुनाव से पूर्व कांग्रेस की तरफ से घोषित की गई थीं, उन नीतियों में पूर्ण आस्था प्रकट करते हुए पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए, राजस्थान के जनमत ने कांग्रेस को बहुमत दिया और विधान सभा में 145 सीटें दीं। जिस सीट से खड़े होकर अध्यक्ष महोदय, मैं आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यह धन्यवाद का प्रस्ताव मूव कर रहा हूं। गत विधान सभा में इन्हीं सीटों पर विरोधी पक्ष के साथी बैठा करते थे आज इन्हीं सीटों पर कांग्रेस दल के साथी बैठकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मूव कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में जब हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सोचते हैं, विचार करते हैं निश्चित मेरा मानना है कि राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का एक विशेष महत्व हो जाता है। राजस्थान की जनता ने जिन नीतियों के आधार पर इस चुनाव के परिणाम राजस्थान को दिये, उस दृष्टि से हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने हम पर सौंपी है। गरीबी हटाओ, समाजवाद

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लाओ का नारा हमने दिया और इसको राजस्थान की जनता ने, राजस्थान की ही नहीं, सारे देश की जनता ने मजबूती से पकड़ कर एक परिणाम दिया जिसके फलस्वरूप आज की इस विधान सभा का यह स्वरूप ना है। मुझे खुशी है कि इस बात को राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को इशारा किया, उन्होंने अपने अभिभाषण में सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी को महसूस कराया। चुनावों से पूर्व गरीबी हटाओ और समाजवाद लाने के बीच में जो रोड़ा बनने वाली ताकतें थीं, प्रतिक्रियावादी ताकतें थीं, शक्तियां थीं, जनता ने उनके नारे को पसन्द नहीं करते हुए समाजवादी व्यवस्था की नीतियों को पसन्द किया और पूंजीवाद की ओर देश को ले जाने की जो ताकतें थीं, जो साम्प्रदायिकता को बढ़ाना चाहती थीं, जो सामन्तवाद का खुलकर स्वरूप सामने आया था, उसको जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया और यह बता दिया कि हिन्दुस्तान की जनता किसी के भुलावे में नहीं आने वाली है, चाहे बड़ी से बड़ी शक्तियां उसके सामने आ जावें, चाहे धन और रुपया उसके सामने आ जावे, कई प्रकार के प्रलोभन आ जावे लेकिन इस ओर जनता जाने वाली नहीं है। सही रास्ता मध्यावधि चुनावों के बाद से हिन्दुस्तान की जनता ने पकड़ा है और यह अनुभव किया है कि देश में अगर कोई राजनैतिक दल है जो देश को आगे ले जाने वाला है, देश को प्रगति की ओर ले जाने वाला हो, जो गरीबी को मिटा सकता हो और देश के अन्दर जो पूंजीवादी व्यवस्था के आधार का फैला हुआ भ्रम है, भेद है, फर्क है, गरीबी और अमीरी के भेद को कोई मिटा सकता है, तो वह केवल मात्र कांग्रेस दल ही है। उसमें उन्होंने विश्वास प्रकट किया है और अपना अभिमत इस चुनाव के माध्यम से हिन्दुस्तान को ही नहीं बल्कि दुनियां को बताया है।

अध्यक्ष महोदय, यह मानते हुए कि जिम्मेदारी काफी बड़ी आई है, मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन नीतियों के आधार पर जनता ने हम को वोट दिये और इस सदन में हमको भेजा है, जिन आकांक्षाओं को लेकर जनता ने हमको यहां पर भेजा है यदि उन आकांक्षाओं की समय पर पूर्ति नहीं की गई और यह नारा 'गरीबी हटाओ, समाजवाद लाओ' केवल नारे के रूप में ही रह गया, जैसा कि अब तक अनुभव किया जा रहा है, जिस गति से हम को आगे बढ़ जाना चाहिये था, उस गति से हम नहीं बढ़ पाये हैं, अगर वैसी ही स्थिति रही तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि देश में ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा होंगी, देश में एक ऐसा वातावरण बन जायेगा, जिसको सम्भालना कठिन हो जायेगा, देश में अराजकता फैल जायेगी और भावी पीढ़ी इसका सारा दोष हम पर मढ़ेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बिलकुल सही तौर पर हम को इंगित किया है, हमें जो बताया कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं और उनमें विश्वास व्यक्त किया है, मुझे विश्वास है, इस सदन के सदस्य, माननीय सदस्य जो चुन कर आये हैं, उस विश्वास को जो जनता ने

(श्री हीरालाल देवपुरा)
आपको दिया है उसको सही साबित करेंगे, पूरा उतारेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस दृष्टि से हमें अपने कार्यक्रम को सोचना होगा, बनाना होगा और उसको अमली रूप देना होगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारे भविष्य के कार्यक्रम के बारे में भी बताया गया और मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आने वाले वर्षों में जो उनकी घोषित नीतियां है, उनको पूरा करने के लिये शीघ्र कदम उठाने जा रही है और सब से पहली बात अरबन प्रापर्टी के सीलिंग को उसमें बताई गई है। तो मुझे निश्चित रूप से यह कहने में हर्ष होता है कि अरबन प्रापर्टी सीलिंग को अतिशीघ्र जैसा कि राज्यपाल महोदय ने बताया, लागू किया जाये। अरबन प्रापर्टी के सीलिंग की बात हम आज से नहीं काफी लम्बे समय से कर रहे हैं और इस अरबन प्रापर्टी के सीलिंग वाले मामले में वही स्थिति न हो जाये जो हमने लेन्ड सीलिंग वाले मामले में देखी। लैण्ड का सीलिंग हमने किया लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिये जो समय लगा, जो कठिनाइयां आई, उससे मैं यह कह सकता हूं कि प्रारम्भ में जो अभिप्राय हमारा था, जो जमीन मिलने वाली थी, जिस जमीन को हम भूमिहीनों में बांट कर उनके स्तर को उठाना चाहते थे, उनकी गरीबी को मिटाना चाहते थे, उसमें हम को सफलता नहीं मिली। काफी समय लग जाने के कारण भूमि इधर-उधर, कानून के लफ्जों में छंट गई, और हम को कानून के अन्दर छूट देनी पड़ी, कई परिवर्तन करने पड़े और इसके जरिये जो परिणाम, जो फल हम चाहते थे वह फल हमें नहीं मिल पाया। तो कहीं ऐसा न हो जाये कि इस अरबन पापर्टी सीलिंग की बात हम कह तो रहे हैं और उसको समय पर नहीं कर पाये तो केवल कानून बना देने से ही नहीं, कानून बना कर लागू नहीं कर पाये, उसको अमली रूप नहीं दे पाये, उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाये तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसका भी वही फेट होने वाला है, जो फेट हमने लैण्ड सीलिंग का देखा। साल भर से हम को यह वातावरण मालूम है कि शहरों के अन्दर प्रापर्टी को इधर उधर किया जा रहा है और जब तक कोई कानून बने लोगों द्वारा उसका फायदा उठाया जा रहा है। शायद हम कोई एक सीमा निर्धारित कर देंगे कि इससे आगे कोई न बढ़ पाये। यह कदम हो सकता है लेकिन आज जनता ने जो अपेक्षा की है, जो आकांक्षा प्रकट की है, उसके आधार पर अगर इस बात को लेकर चलें तो हम जो कुछ कदम उठा रहे हैं वह समाजवाद की ओर ले जाने वाला हो लेकिन उससे उनको, जनता को सीधा फायदा नहीं मिला और वे ऐसा महसूस, अहसास नहीं कर पाये कि हमने उस ओर कदम नहीं उठाया है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, घोषणा हुई, बहुत अच्छी बात है, यह स्वागत योग्य बात है। मैं चाहता हूं कि इसको शीघ्राति-शीघ्र अमली रूप दिया जाये। सब से पहले विधान सभा में, यहां पर एक विधेयक लाया जाये, शहरी सम्पत्ति की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सीमा निर्धारित की जाये और उसके साथ ही साथ असली रूप भी दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब मैं यह बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, उससे पहले मैं जनता के मनोबल की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। चुनाव से पहले एक विशेष परिस्थिति में से देश गुजर रहा था। चुनावों से पहले का साल भर हमारे लिए एक विकट परिस्थितियों का वर्ष था। देश पर किस प्रकार के संकट आये हैं, उन संकटों का हमने मुकाबला किया और दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ वह दुनियां के अन्दर तवारीख में एक बेमिसाल युद्ध कहा जा सकता है, उसका सामना किया, उसका मुकाबला हमने किया। इस युद्ध के जो परिणाम निकले वह परिणाम इतिहास के पन्ने टटोलने पर आज से पहले ऐसे परिणाम आये हों वह दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं कि जिसमें इस प्रकार से युद्ध जीता गया हो कि जहां पर एक लाख फौजियों ने, एक लाख सिपाहियों ने, एक लाख सशस्त्र सिपाहियों ने बिना युद्ध किये हथियार डाले हों, अपनी हार स्वीकार की हो। ऐसा उदाहरण इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। (करतल ध्वनि) हमारे वीर सिपाहियों ने, वीर बहादुरों ने भारत–पाकिस्तान युद्ध में लड़ाई करके यह बता दिया है। इसके लिए हमारे वीर बहादुरों ने, वीर सैनिक ने जो हमारी श्रद्धान्जलि के पात्र हैं, इसका श्रेय जहां उनको मिलता है, वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस चीज का श्रेय हमारे वीर बहादुरों को, हमारे वीर सिपाहियों को तो है ही, लेकिन उनके साथ–साथ हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधीजी को भी दिये बिना नहीं रह सकते। उनकी क्रियाशील नीति के आधार पर, उनकी सूझबूझ के कारण, उनकी कूटनीति के कारण, जिसके द्वारा उन्होंने मार्गदर्शन किया, जिसके द्वारा दुनियां में उन्होंने एक फिजा बनाई कि हम सफल हुए। हमारे विरोधी पक्ष के लोग, खास तौर से जनसंघ के लोग, बराबर यह कहा करते थे लड़ाई होने से पहले कि बंगला देश को तुरन्त मान्यता दी जाय। काश, उनके कहने के मुताबिक तत्काल मान्यता दे दी जाती तो, मैं समझता हूं, कि आज जो भारत के गौरव का स्तर, जो दुनियां के धरातल पर ऊंचा उठा है, उससे महरूम रहना पड़ता, और शायद पाकिस्तान के साथ में लड़ाई में, जो जीत हमने हांसिल की है, उस जीत को भी हम नहीं देख पाते। उस स्तर तक इसको पहुंचाने के लिए हमारे नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दुनियां के अन्दर एक वातावरण बताया–हम नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान से लड़ें, हम पाकिस्तान की भूमि पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, पाकिस्तान के लोगों से हमारी दुश्मनी नहीं हैं, पाकिस्तान की हुकूमत से हमारी दुश्मनी नहीं है। जनतन्त्र की स्थापना के सिद्धान्त को, धर्म निरपेक्षता के जो हमारे मूल सिद्धान्त हैं, उनको हमने कायम रखा है और उनको कायम रखने के लिए हम लड़ रहे थे। बंगला देश के सामने जो समस्याएं थीं

Page No 14

(श्री हीरालाल देवपुरा)

चुनावों के बाद में वहां पर जो घटनाएं घटीं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, उन पर ज्यादा कहना नहीं चाहता, उनकी सब को जानकारी है। उस स्थिति में वह देश था। हमारा पड़ोसी देश है इसलिए हमारा फर्ज था और दुनियां के अन्दर जनतन्त्र की जहां पर भी हत्या हो रही हो, धर्म के नाम पर अन्याय किया जा रहा हो, वहां पर उसको रोकने के लिए हमको आगे आना होगा। हमारी नेता इन्दिरा गांधीजी ने दुनियां में माहौल बनाया, एक वातावरण बनाया, और उस वातावरण के बाद पाकिस्तान ने स्वयं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया यह कह कर कि हम बंगला देश का पक्ष ले रहे हैं, बंगला देश के लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं, जब कि यह प्रश्न नहीं था, तो हमने अपने बचाव के लिए, अपने डिफेन्स के लिए, दुश्मन कोई भी आये तो उसको रोकना हर एक का कर्तव्य था और वह हमने किया। उसका श्रेय हमारी नेता माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी को है जिनके मार्गदर्शन में आज देश में राजनैतिक दृढ़ता आई है। आज तक दुनियां के लोग हिन्दुस्तान को एक कमजोर मुल्क समझते थे। दुनियां में यह कहा जाता था कि हिन्दुस्तान के 10 सिपाही और पाकिस्तान का एक सिपाही बराबर है। आज उनके मार्गदर्शन में जो कार्य हुआ है उससे यह साबित हो गया है कि हिन्दुस्तान एक कमजोर मुल्क नहीं है, हिन्दुस्तान एक शक्तिशाली मुल्क है। लड़ाई के अन्दर हिन्दुस्तान का सिपाही हमेशा आगे रहने वाला है, और जो बड़े मुल्क अर्थ की दृष्टि से शक्तिशाली हैं, जो मुल्क अपने आपको अस्त्र-शस्त्र के बल पर शक्तिशाली मानते हैं, जो मुल्क अपने आप को जनसंख्या के बल पर शक्तिशाली मानते हैं, वे हमारे सामने आंखें नहीं उठा सकते हैं। यह हमने साबित कर दिया है कि दुनियां का कोई मुल्क हिन्दुस्तान के सामने आंखें नहीं उठा सकता है।

(करतल ध्वनि)

इन परिस्थितियों में जनता का मनोबल ऊंचा उठा है। इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में न केवल हिन्दुस्तान की जनता का मनोबल ऊंचा उठा है, लेकिन जब कभी राजनैतिक चर्चाएं विश्व के स्तर पर होती थीं तो विश्व के नेता लोग इने-गिने देशों की ओर देखा करते थे, जैसे फ्रांस, इङ्गलैण्ड रूस इनकी तरफ देखा करते थे और उनके आधार पर दुनियां की राजनीति का आधार बनाया जाता था, लेकिन आज सब मुल्क दिल्ली की ओर देखने लगे हैं, इन्दिरा गांधी की ओर देखने लगे हैं, और सोचने लगे हैं कि किस विषय में इन्दिरा गांधी का क्या दृष्टिकोण आया है, क्या विचार आये हैं और उनके आधार पर आज दुनियां की राजनीति बनने लगी है। हिन्दुस्तान का इतना ऊंचा गौरव बढ़ा है, सबसे ऊंचा स्थान, जो कि इनेगिने देशों को प्राप्त हैं, वह हमने प्राप्त किया है। जनता का मनोबल इस आधार पर बढ़ा है और जनता को जो इन्दिरा गांधी का नेतृत्व मिला है उसके आधार पर यह जीत हमें मिली है, और इसी आधार पर आज न केवल राजस्थान में ही बल्कि हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों में हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिला है जो

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बहुमत आज तक के चुनावों में कांग्रेस को नहीं मिल पाया। अभी-अभी थोड़ी देर पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के माननीय नेता महोदय की ओर से यह कहा गया था कि लाठी और गोली से बनने वाली सरकार अब नहीं चलेगी। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह आवाज आज ही पहली बार सुनी हो ऐसी बात नहीं है, उनसे पहले जो जनसंघ के नेता थे उनके मुंह से भी बार-बार यही आवाज सुनी थी, लेकिन इस बात का असर, जैसा कि मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था और आज फिर कहना चाहता हूं कि इस आवाज का असर, राजस्थान की जनता पर और हिन्दुस्तान की जनता पर होने वाला नहीं हैं। राजस्थान की जनता ने पहले भी अपना वर्डिक्ट कांग्रेस के पक्ष में दिया, और आज भी। 72 की विधान सभा में कई तरह की इस प्रकार की बातें कही गई। आज सांगरिया काण्ड की बात कही जाती है, भादरा काण्ड की बात कही जाती है, चूरू काण्ड की बात कही जाती है, किशनगढ़ महाराजा की बात कही जाती है। जो राजा खेडा के अन्दर हुआ उसकी बात कही जाती हैं। इन सब बातों का आम लोगों पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वह जान गये कि जो कुछ भी हुआ वह किस कारण से हुआ और उसमें सरकार कितनी दोषी है, कांग्रेस कितना दोषी है और असल में दोष किस का है, यह सब वे समझते हैं, और उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया कि यह सरकार लाठी और गोली की बुनियाद पर होने वाली सरकार नहीं है बल्कि यह सरकार जनतन्त्र के आधार पर, जनता के स्पष्ट वर्डिक्ट के आधार पर बनी है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि लाठी और गोली का वातावरण आप पैदा करते हैं और आप मजबूर करते हैं प्रशासन को कि वह इस तरह के कदम उठाये। आप अगर सही रास्ते पर चलें और जनतन्त्र के अन्दर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि कभी इस प्रकार का वातावरण बने या इस प्रकार की कोई घटना यहां पर घटे। इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदारी, मैं समझता हूं विरोधी पक्ष की आती है कि देश में किस तरह का वातावरण वे बना कर चलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हमको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि राजस्थान के अन्दर हम समाजवाद लाने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम हमारा भविष्य में होने वाला है। मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि लैण्ड सीलिंग, अरबन प्रापर्टी सीलिंग, इनके बारे में हमारी घोषणाएं हुई, और इसमें सन्देह नहीं है कि इन घोषणाओं के आधार पर हमारे यहां पर कार्यक्रम चालू होगा और विधान सभा के अन्दर बिल पेश किये जायेंगे, और उसके आधार पर निर्णय लेकर, उसको अमली रूप देकर हम जनता के सामने एक नक्शा लेकर आयेंगे, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, केवल अरबन प्रापर्टी के सीलिंग या लैण्ड रिफार्म्स के आधार भूमि के सीलिंग से ही हम समाजवाद ला सकेंगे, यह मेरी मान्यता नहीं है। इनसे कई

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आज देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। लैण्ड सीलिंग से किसी हद तक यह बेरोजगारी दूर हो सकेगी यह मैं मानता हूं, लेकिन बेरोजगारी एक तरह की नहीं है। बेरोजगारी आज रूरल एरियाज में भी है, बेरोजगारी आज शहरी क्षेत्रों में भी है। जब तक हम इस पहलू पर नहीं सोचेंगे बेरोजगारी को दूर करने वाले पहलू पर तब तक आज जो देश में अनुशासनहीनता आई हुई है, इन्डिसिप्लिन आया हुआ है और उसकी वजह से जो समय समय पर दुःखप्रद घटनाएं हो जाती हैं उनको हम चैक नहीं कर पायेंगे। इसके पीछे मूल कारण यह बेरोजगारी ही रही है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिये, अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत जल्दी शीघ्र ही कदम उठाना होगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस ओर थोडा सा इशारा था कुछ बातें बताई थी बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से आज हमने कुछ कदम उठाये हैं। हमारे जो लोग टेक्नीकल शिक्षा पास होकर आये हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके बारे में हमने सोचा है। लेकिन आज हमारे टेक्नीकल विशेषज्ञ ही बेरोजगार हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे कई ऐसे लोग बेरोजगार हैं। वह समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं। आज हम कई प्रकार का विकास कर रहे है। देश को विकास की ओर बढाना चाहते हैं। जिन्होंने आजादी से पहले जन्म लिया है, जो गुलामी में रहे हैं वह तो इसकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन आज का नौजवान जो 25 वर्ष का नौजवान है, जिसने गुलामी के दिन नहीं देखे हैं, वह आज की ओर पुराने जमाने की तुलना नहीं कर सकता है। वह अपनी रोटी रोजी चाहता है, वह अपनी गरीबी को मिटाना चाहता है। किन कठिनाइयों से उसके मां-बाप उसे पढ़ा लिखा सके हैं। वह चाहता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। मां बाप के लिये कुछ करें, समाज के लिये कुछ करें और देश के लिए कुछ करें। इसके लिये आज हमें सोचना होगा। इसके लिये हमें इण्डस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। इण्डस्ट्रीज का विकास करना होगा।

हम भूमि के आधार पर गरीबी मिटाने की बात करते हैं इससे पार नहीं पड़ेगी। हमें इण्डस्ट्रीज को बढ़ाना होगा। ऐसे उद्योगों को बढ़ाना होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता है कि राजस्थान में इण्डस्ट्रीज बहुत पिछड़ी हुई हैं। कई उद्योग यहां लाये जा सकते हैं। राजस्थान सरकार इस दिशा में सोच भी रही है। आज दूसरे दूसरे प्रान्त हमारा पडोसी हरियाना है, दक्षिण में मद्रास और दूसरे प्रांत हैं जो उद्योग की दृष्टि से कई गुना आगे बढते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है ? यह हमारे लिए एक सोचने की बात है। उनको उद्योग शुरू करने वाले अच्छे अच्छे उद्योगपति मिल रहे हैं। हमारे यहां क्या कमी हैं ? क्यों नहीं लोग आकर्षित होकर राजस्थान में आते हैं ? हमें राजस्थान के इन्डस्ट्रीज को बढ़ाना होगा इस ओर सरकार को सोचना होगा। इसी आधार पर हम बेरोजगारी की समस्या को बहुत हद तक सुलझा पायेंगे।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लैण्ड की सीलिंग हमने की । लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था लैंड की सीलिंग जैसी कि होनी चाहिये थी, वैसी पूरी नहीं हुई है । भूमिहीनों को जो जमीन दी हैं वह कागजों पर दी है. कई जगह भूमि पर कब्जा भी हुआ हैं लेकिन उससे वे लोग कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं कई जगह भूमि लेने वाले लोगों को सताया जा रहा है। कई जगह अलाटमेंट हो गया है लेकिन कुछ सामाजिक स्थितियां ऐसी हो बनी हुई है। देहातों में जब वह गरीब भूमि पर जाता है तो उसको बेदखल कर दिया जाता है जो भूमि उसको नियमानुसार मिली हुई है, उस पर वह काबिज नहीं हो पाता है वह मुकदमें बाजी में पड़ जाता है । भूमि लेने के साथ साथ काम की बात तो दूर रही, उलटे उसको मुकदमेबाजी में उलझाया जाता है । इसके लिये हमें खासतौर से प्रयत्न करना पड़ेगा। बहुत लम्बे रास्ते से चलने वाला कानून है उस पर हमें सोचना पड़ेगा । इसके लिये हमें दूसरा रास्ता निकालना होगा। हमें इस प्रकार के भूमिहीनों के लिये जिस प्रकार कि समाज में कहे जाने वाले शोषक लोगों से छुटकारा पाने के लिये उपाय करने होंगे मै शोषक इसलिए कहता हूं कि समाज में ऐसी धारणा बनी हुई है हम इस धारणा को दूर नहीं कर सकते हैं । इसके लिए उस दृष्टिकोण का रास्ता निकाल सकते हैं । जब तक यह धारणा दूर नहीं हो हमें यह रास्ता निकालना होगा । जो आज तक सह रहा है, जिसका अब तक शोषण किया गया हैं, उस आदमी को जमीन पर कब्जा मिले । वह उस जमीन पर अधिकार कर सके और काम करके कमा सके । जिस परपज के लिये जमीन उसको दी है, वह पूरा हो सके । इसको भी हमें अध्यक्ष महोदय, देखना होगा । अध्यक्ष महोदय, भूमि की सीलिंग और इण्डस्ट्रिय-लाइजेशन के साथ साथ मैं राज्य सरकार का ध्यान रूरल डेवलपमेंट की दृष्टि से इस ओर भी दिलाना चाहूँगा, जैसा कि मैंने निवेदन किया राजस्थान में आज हमारे पास पर्याप्त भूमि नहीं है, जिसके आधार पर आज हम यह कह कर चल सकें कि भूमि का बंटवारा हो जायगा तो गरीबी मिट जायगी। उसके लिये हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा । वह राजस्थान में महत्व-पूर्ण और सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है । वह रास्ता पशुपालन का रास्ता है । जो राजस्थान में कृषि पर इतना आधारित नहीं है, उसका पशुपालन आधार हो । उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भूमि की बहुत कमी है, पशुपालन एक अच्छा आधार हो सकता है । अन्य क्षेत्रों में भी भूमि के साथ साथ लोगों को पशुपालन की आदत डाली जाये । आज लोग पशु पालते हैं लेकिन वह इसलिये पालते हैं कि उनके पास जो भूमि है, उसके लिये पर्याप्त मैनयोर मिल सके। खाद मिल जाय । हमें वहां ऐसे लोगों के दृष्टिकोण का बदलना होगा । उनकी आदत को पशुपालन की ओर खींचना होगा । अच्छी नस्ल के पशु पहाड़ी क्षेत्रों में मिल सकते हैं । उस ओर हम ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें अच्छी सफलता मिलेगी । **इससे जो** दृष्टिकोण लेकर हम चल रहे **हैं; उसमें** हम कामयाबी हासिल कर **सकेंगे।**

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई थी लेकिन अब तक उसे अमली रूप नहीं दिया जा सका है। लैन्ड रैवेन्यू के बारे में यहां पर प्रस्ताव भी आया था। प्रस्ताव आया था राजस्थान में अनइकोनोमिक लैंड पर लैन्ड रैवेन्यू माफ किया जाना चाहिए। मैं पूरे तौर पर लैन्ड रैवेन्यू माफ करने के हक में नहीं हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में काश्तकार के पास जो होल्डिंग है, उसे इकोनामिक नहीं कह सकते हैं, वह लाभप्रद नहीं है। जब वह लाभप्रद नहीं है तो जो हम समाजवाद की बात करते हैं, गरीबों को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए। हम इनकम टैक्स में देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपना एक स्तर बना रखा है। एक पर्टीक्युलर स्तर तक वह छूट देते हैं। लेकिन लैन्ड रैवेन्यू को किंचितमात्र भी छोड़ा नहीं है। हमने उसको नहीं छोड़ा है। हम एग्रीकल्चर पर इनकम की बात नहीं करते हैं। लेकिन लैन्ड रेवेन्यू की बात करते हैं। जब इकोनामिक दृष्टि से जमीन ऐसी नहीं है तो उस जमीनों को लैण्ड रैवेन्यू से मुक्त किया जाये।

राजस्थान की जनता यह बात जानती है कि जितनी बातें हमने कही हैं उन सब को पूरा करने के लिए एक साथ कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वह यह बात कहते रहेंगे कि हम किसी बात को पूरा करने के लिए कदम नहीं बढ़ा सके हैं क्योंकि जो काम हम करेंगे उसको तो वह भूल जायेंगे, और जो बाकी रहेंगे उनके लिए वह बराबर कहते जायेंगे। लेकिन जनता इस बात को जानती है कि सब काम एक साथ नहीं किये जा सकते हैं, सब काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, हम एक एक को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और जो काम हमने हाथ में लिये हैं वह ऐसे हैं जो जनता के मन पर आम लोगों के मन पर, असर डालने वाले हैं, और उनको यह महसूस कराने वाले हैं कि जो कदम हम उठा रहे हैं वह कदम ऐसे हैं जो वास्तव में गरीबी को मिटाने की दृष्टि से उठाये जा रहे हैं, आज जो गरीब और अमीर का भेद है उस भेद को मिटाने की दृष्टि से उठाये जा रहे हैं। इन कदम में यह बात नहीं है कि केवल सिद्धान्त के आधार पर ही वह अच्छे मालूम हों, लेकिन जो प्रेक्टिकल लाइफ है, जो वास्तविक जिन्दगी है, उसमें वह परिणाम देने वाले नहीं हों-ऐसी बात नहीं है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लैण्ड रैवेन्यू के मामले में हमें सोचना चाहिए, अनइकॉनामिकल होल्डिंग के बारे में हमें निश्चित रूप से सोचना चाहिए और यह फैसला करना चाहिए कि राजस्थान के अन्दर पर्टीक्यूलर लिमिट तक जो खातेदारी है, जो भूमिधारी हैं उनका हम लैण्ड रेवेन्यू से मुस्तसना करें।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान को बने पच्चीस साल हो गये हैं। राजस्थान कई छोटी छोटी रियासतों से मिल कर बना है और राजस्थान और

(श्री हीरालाल देवपुरा)

राजस्थान बनने के बाद सारे राजस्थान की अभी तक सारी भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, सर्वे नहीं हो पाया है। इस कारण अलग अलग रियासतों की भूमि पर लगान की दर अलग अलग प्रकार की रही हैं और आज भी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में भूमि के लगान की दर अलग अलग कायम हैं। राजस्थान के जिन हिस्सों में सैटिलमेंट हुआ है, वहां इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है, लेकिन, जहां पर सैटिलमेंट नहीं हुआ है, और लैंड रेवेन्यू का रिकार्ड तैयार नहीं हुआ है, वहां पर यही स्थिति चल रही है। इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करके तत्काल इस पर फैसला करना चाहिए कि राजस्थान में लैन्ड-रेवेन्यू का एक स्तर हो, वह एक प्रकार का हो, ताकि राजस्थान की जनता यह सोचे कि कोई कदम हमने अच्छा उठाया है। लैंड रेवेन्यू के सम्बन्ध में यह बात करते हुए मैं सरकार का सिंचाई की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सिंचाई की दरें भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न-भिन्न हैं। कोटा में सिंचाई की दूसरी दर है, उदयपुर-डिवीज़न में दूसरी दर है, बीकानेर में दूसरी दर है और गंगानगर में दूसरी दर है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में एक तरह की फसल के लिए बराबर पानी की सिंचाई की आवश्यकता होने पर भी अलग अलग दरें हैं। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए इसलिए हमें इस पर सोच कर कोई रास्ता निकाल कर राजस्थान में सिंचाई की दर सब जगहों के लिए एक सी करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की बात मैंने प्रारम्भ की है, इसके सम्बन्ध में एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण सिंचाई की व्यवस्था को लेकर अब तक जो भी कुछ हमने कार्य किये हैं उनके बारे में बताया कि अब तक हम इस हद तक, इस सीमा तक, पहुंच चुके हैं। राजस्थान के अन्दर सिंचाई के लिए जो सोर्सेज टेप करने चाहिए थे, वह काफी हद तक, अधिकांश टेप कर लिये हैं। कई बड़े बड़े बांध बनाये हैं, कई मझले बांध बनाये हैं और कई छोटे छोटे बांध बनाये हैं, नल कूप भी लगाये हैं और कई योजनायें हाथ में ली हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में असली स्थिति को देखें तो हमने सिंचाई अधिकतर उस जमीन की की है जो जमीन पहले से ही कुए से सिंचित थी, जिस जमीन में पहले से ही सिंचाई होती थी। अधिकतर सिंचाई की सुविधा ऐसे ही हिस्सों में उपलब्ध हुई है। मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा कि यह सिंचाई की सुविधा केवल सशक्त काश्तकारों के हित में ही रही हैं, जो छोटे छोटे काश्तकार हैं, गरीब काश्तकार हैं, हरिजन-आदिवासी हैं जिन्हें हमने जमीन एलाट की है-वह ऐसे हिस्सों में हैं जहां पहले सिंचाई के साधन नहीं थे, और जहां पहले से ही अच्छी जमीन थी, वह दूसरों के कब्जे में थी और जो खराब जमीन पड़ी हुई थी वह इन गरीब लोगों को दी है। तो वह जमीन ऐसे हिस्सों में है जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के बावजूद भी वह सिंचाई के साधन उनको नहीं मिल पाये हैं। आज इन्टीरिअर में जाकर, राजस्थान में दूर दूर तक जाकर तालाब बनाने की बात कही जाती है, छोटे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

छोटे तालाब बनाने की बात कही जाती है तो उसे अनइकानामिकल कह कर, या यह कह कर कि नियमानुसार जो रिटर्न आना चाहिए वह नहीं मिलेगा–उस बात को टाला जाता है, उस बात को रोका जाता है और वहां तालाब नही बन पाते हैं। मेरा निवेदन है कि वह तालाब अनइकानामिकल भी हों तो भी हमें यह देखना चाहिए कि उन तालाबों में पानी किसके खेत की ओर ले जाया जा रहा है, किसके खेत को पानी दिया जा रहा है? जिन गरीबों को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं, जिनको हमने भूमि दी है गरीबी को मिटाने के लिये, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये, उनके खेत पर पानी देना है तो इस नियम को हमें छोड़ना होगा, इस नियम को तोड़ना होगा और यह फैसला करना होगा कि ऐसे हिस्सों में छोटे छोटे तालाब बनायें। आज सिंचाई की योजना से ऐसे स्थान ही रह गये हैं। जितनी जगह की आसान योजना थी और सरल योजना थी उनको तो पूरा कर लिया है, उन सोर्सेज को टेप कर लिया है लेकिन सिंचाई की योजना इन्टीरिअर में बनने से रह गई है, राजस्थान में अन्दर दूर दूर बनने से रह गई है। ऐसे हिस्सों में योजनायें पूरी करने की कोशिश की जाय, भले ही खर्चा अधिक हो, उनसे होने वाला लाभ, जिस लाभ की कल्पना करके चलते हैं कि यह लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलने वाला हो लेकिन फिर भी क्योंकि हम गरीबी को मिटाने की बात करते है, गरीबों को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, इसलिए हमें फैसला करना होगा कि छोटे छोटे बांध बनायें जो गरीबों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक हैं। वहां पर वह लोग कुए खोद नहीं सकते हैं, कुए तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर करें तो वह इंडीविजुअल के लिए नुकसान दायक ही होंगे क्योंकि उसके लिए पैसा देना होगा, साधन देने होंगे। वहां यही हो सकता है कि छोटे छोटे तालाब बनायें, पहाड़ी-दर्रों में, जहां भी गुंजाइश हो, जहां तालाब बनाये जा सकें, वहां तालाब बनायें और गरीबों के खेतों पर पानी पहुंचायें और इसके लिए जो रिटर्न वाली बात है उसको, उस शर्त को; समाप्त करें। इस प्रकार के कदम उठायेंगे तो राजस्थान की जनता हममें विश्वास करके चल रही है, जो उसने हमसे आशायें लगाई हैं उस विश्वास को हम पूरा कर पायेंगे, उस आशा को पूरा कर पायेंगे–यह मैं नहीं कहता लेकिन उस आशा को पूरा करने की ओर आगे बढ़ते हुए हम दिखाई देंगे। आशा पूरी कर देंगे–यह कह कर मैं नहीं चलता हूं लेकिन आशा पूरी कर रहे हैं ऐसा हम उन्हें अहसास करा पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के बारे में समाज कल्याण विभाग की ओर से कई योजनायें चालू की गई हैं, कई प्रकार के लाभ उनको दिए गये हैं। लेकिन इतना होने पर भी आज जो उनका स्तर है, वह जो लाभ हमने दिया था, जो योजनायें उनके लिए बनाई थीं और उनके आधार पर जो स्तर उनका बना देना चाहते थे, वह नही बना पाये हैं और शनैः शनैः कुछ योजनाओं को अपने हाथ से हटाते जा रहे हैं। मकान व्यवस्था के बारे में मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं। हरिजनों को मकान बनाने के लिए हम कुछ ग्रान्ट देते थे, फ्री

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ग्रान्ट देते थे उसको बन्द करके अब कर्ज की व्यवस्था रखी है। यह सही है कि वह कर्जा बिना ब्याज का कर्जा है लेकिन व्यवस्था कर्जे की है। आज हरिजनों की यह स्थिति नहीं है कि वह कर्जा लेकर अपना मकान बना लें, अगर बना भी लें तो उस कर्जे को अदायगी समय पर नहीं कर पायेंगे और जो मकान रहने के लिए बनाया हैं वह कुछ समय बाद में नीलाम होता हुआ दिखाई देगा, सरकार के द्वारा बिकता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार जो सुविधा हम उन्हें देना चाहते हैं वह नहीं दे पायेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यह स्थिति नहीं आई है कि जिससे हम अन्दाज लगा सकें कि हरिजनों को केवल कर्जा देकर उनके लिए मकान की व्यवस्था की जा सकती है। आज यह स्थिति नहीं आई है इसलिए अभी तक जो ग्रान्ट देते रहे थे वही देते रहें और इसके लिए यदि भारत सरकार से निवेदन करना हो तो भारत सरकार से भी निवेदन करें क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। आज गरीबों को रहने के लिए हम मकान नहीं दे सकें—इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। इसलिए जहां हम दूसरी दूसरी बातों की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो हम बड़े बड़े कदम उठाना चाहते हैं उनको उठाने में हम इन छोटी छोटी बातों को न भूल जांय। यह छोटी छोटी बातें गरीबों के लिए बड़े महत्व की बातें हैं। जो बड़ी बड़ी बातों के लिए हम कदम उठाना चाहते हैं उनका लाभ गरीबों को मिलने वाला है, वह इन्डाइरेक्ट लाभ मिलने वाला है। जो अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग की बात है उसका लाभ इन्हें सीधा नहीं मिलने वाला है, दूसरी बातों का लाभ नहीं मिलने वाला है। सीधा लाभ तो इन्हें छोटी छोटी योजनाओं से ही मिलने वाला है, जो बातें सीधा असर करने वाली हैं, वह होती हैं तभी हम लोग कह सकेंगे कि हम उनकी समस्याओं को दूर करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज की स्थिति में यह महसूस करता हूं कि राजस्थान सरकार कुछ योजनाओं के पूरा करने के लिये अभी असमर्थ है, क्योंकि राजस्थान सरकार के आर्थिक साधन सीमित हैं। यह कहना बिलकुल मैं उचित नहीं समझता क्योंकि इससे कई योजनायें काम करना बंद कर देंगी या कई योजनायें चल नहीं सकेंगी जिससे जनता को जो राहत हम देना चाहते हैं वह नहीं दे सकेंगे। इसलिए सिर्फ आर्थिक साधनों पर ही पूरा वजन डाल देना कहां तक उचित है। हमें हमारे साधन बढ़ाने चाहिए। आज हमारे प्रदेश में जो योजनायें हैं उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है और अगर हम उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते है तो बड़े खेद का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मुझे अहसास है मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में पंचायती राज कायम हुआ। हमने पंचायती राज के अन्तर्गत कई योजनायें बनाई सन् 52 से हमारे प्रदेश में इसी पंचायती राज के अन्तर्गत कई विकास योजनायें, कई सामुदायिक विकास योजनायें बनी। ये पंचायती राज के अन्तर्गत जितनी योज

Page No 22

(श्री हीरालाल देवपुरा)

नाओं की क्रियान्विति हुई वे सभी जन सहयोग से बनी। जनता ने काफी सहयोग किया। लोगों के जन सहयोग से कई गांवों में सड़कें बनाई गईं, कई तालाब बनाए गये। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के अन्दर जिस माध्यम से लोगों ने जन सहयोग करके जो तालाब और सड़के वगैहरा बनायी उसी तरह अभी बड़ी योजनाओं के बारे में तो नहीं कहता परन्तु छोटी छोटी योजनाओं की क्रियान्विति अभी भी हम कर सकते हैं। परन्तु अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में जब सामुदायिक विकास योजनायें चली थीं तब तो लोगों में जोश था परन्तु बाद में रास्ते बदलते गये और लोगों की भावनाओं पर फर्क आता गया। ज्यों ज्यों स्थिति बदलती गयी त्यों त्यों उसमें गड़बड़ियें होने लगी और अन्त में उन्हें बन्द करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, अगर अभी भी हम इस तरफ ध्यान दें तो, जनता को जन सहयोग के लिये कहें तो आज भी हमें जन सहयोग प्राप्त होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आज भी समाज में हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो जनता के कार्य के लिये सहयोग देने को मिल जायेंगे अगर हम इस तरफ सही दृष्टिकोण से, सही ढंग से, प्रयास करें तो। यह हो सकता है कि बड़ी योजनायें पूरी नहीं कर पायें परन्तु छोटी छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिये लोगों में आज भी उत्साह है। लोग आज भी मदद करना चाहते हैं। इसके लिये अध्यक्ष महोदय, हमें पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सशक्त बनाना चाहिये। हमें आज जरूरत है पंचायती राज के अन्तर्गत पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को ज्यादा बलशाली बनाने की जिससे कि हमें जनता का सहयोग मिलेगा और उसके जन सहयोग हम कई कार्य कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है ताज्जुब होता है अध्यक्ष महोदय, कि जिस धारणा से जिस उत्साह से हमने पंचायती राज प्रारम्भ किया था और क्या क्या बातें हमने इसके बारे में सोची थी आज पंचायतों के बारे में लोगों का दृष्टिकोण ही बदल गया है। अगर हम जनता को कुछ राहत देना चाहते तो हमें उसे बदलना होगा। पंचायती राज से अध्यक्ष महोदय. जनता को फायदा होगा। मै कहना चाहता हूं कि इससे समाज को फायदा मिलेगा। जनता को लीडर मिलेंगे समाज को काम करने वाले मिलेंगे। लोग काम करने के लिये आगे आयेंगे। जैसा कि पहले पंचायती राज के अन्तर्गत हुआ था। लोगों ने पहले खूब जन सहयोग दिया पर धीरे धीरे दृष्टिकोण के बदल जाने से चाहे वे पंचों की वजह से, चाहे वह सरपंचों की वजह से वह पंचायती राज. नाम मात्र का ही रह गया। पंचायती राज के नाम मात्र के रह जाने के कई कारण हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर में नहीं जाकर यही कहना चाहूंगा कि हमें पंचायती राज से मूल सिद्धान्तों को लेकर काम करना है और हम उसके मूल सिद्धान्तों को लेकर काम करेंगे तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, की जो आज. राज्यपाल के भाषण में जो आर्थिक दृष्टिकोण की बात कही गयी है, वह सीमित आर्थिक स्थिति की कठिनाई जो है, वह हम जन सहयोग से पूरा कर लेगें और बड़ी योजनाओं के बारे में तो मैं नहीं कहता परन्तु जो छोटी छोटी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

योजनायें हैं उन्हें तो हम पूरी कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज भी गावों में ऐसी योजनाओं के लिए जन सहयोग देने को तैयार हैं। लम्बी योजनाओं के लिये ज्यादा धन की आवश्यकता तो रहती ही है पर उनमें समय भी ज्यादा लगता है परन्तु छोटी योजनायें, जो जल्दी ही फायदा करने वाली हैं, उनकी समस्या तो हल की जा सकती है। इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पंचायतों को और पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को ज्यादा सशक्त बनाये जाने के लिए अगर राज्य सरकार कदम उठाये तो अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं और निवेदन करना चाहता हूँ वह है पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में। अध्यक्ष महोदय, हालांकि राज्य सरकार ने इस ओर काफी काम किया है पर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ज्यादा काम शहरी क्षेत्रों में किया गया है। अभी अभी अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई क्षेत्र हैं गावों में जहां पर हमें इसके लिये ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहां तक ध्यान देने की बात का सवाल है मेरा निवेदन तो यह है अध्यक्ष महोदय, कि इस ओर हमें प्राथमिकता देनी चाहिये। राज्य सरकार का यह कहना कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी नहीं मिल पा रहा है, या वहां पानी लाने के लिये क्या उपाय किये जायें, या पानी किस प्रकार लाया जायेगा यह तो सारी बातें राज्य सरकार के सोचने की हैं पर जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है उसे पूरी करने के लिये ध्यान दिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा निवेदन मैं आपसे फोरेस्ट के बारे में भी करूंगा। राज्यपाल महोदय के भाषण में इसके सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है कि राज्य सरकार ने फोरेस्ट का काम भी अपने हाथ में लिया है और राज्य सरकार ने कान्ट्रेक्ट सिस्टम को खतम करने की व्यवस्था की है। कान्ट्रेक्ट सिस्टम होने से फोरेस्ट का काम सरकार के डाइरेक्ट हाथ में होता और उससे सरकार को आमदनी होगी। आमदनी की बात तो जहां तक कही गयी है वह ठीक है पर जिस रफ्तार से जिस तेजी से, आज जंगलों को काटा जा रहा है उससे एक दिन ऐसा भी आजायेगा अध्यक्ष महोदय कि सभी जंगल नष्ट हो जायेंगे और हमें जंगल देखने को भी नहीं मिलेंगे। आमदनी के लिहाज से जंगल कब तक काटते रहेंगे? एक तरफ आप जंगल काट रहे हैं पर दूसरी तरफ दूसरे जंगल उगाने की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस रफ्तार से जंगल कट रहे है और जब बिलकुल जंगल नहीं रहेंगे तो आमदनी कैसे होगी। आज कई जगह ऐसी है जहां पर पहले घने जंगल थे वहां अब जंगल नहीं रहे और समाप्त हो गये हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को एफोरेस्टेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। एफोरेस्टेशन की जो स्कीम्स बनी हुई हैं, उसके अनुसार जितने जंगल लगाने चाहिये वे उतने नहीं लगा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जंगल कटने से उसके आसपास के एरिया में वर्षा होने पर भी प्रभाव पड़ता है। वर्षा की वहां कमी होने के कारण वहां जहां कि पहले अकाल नहीं पड़ता था और घने जंगल थे वे प्रायः सभी

Page No 24

(श्री हीरालाल देवपुरा)

समाप्त हो रहे हैं। पेड़ सूखते जा रहे हैं। वहां भी अकाल पड़ने लग गया है। या यों कहिये अध्यक्ष महोदय, की अकाल की स्थिति पैदा हो रही है। तो मेरा इस बारे में यह निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा फोरेस्ट उगाये जायें और अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जो आज राज्य सरकार जो फायदा जंगलों को काट काट कर, बेच कर, पैदा कर रही है वह भी समाप्त हो जायेगा। एक दिन ऐसा आयेगा कि वह आमदनी भी खतम हो जायेगी और वहां वर्षा की कमी के कारण अकाल भी पड़ने लग जायेगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस ओर जल्दी ही ध्यान दिया जाना चाहिये। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, अभी इन चुनावों के समय में मैं जहां जहां भी गया वहां एक समस्या जो हमारे सामने लोगों ने रखी वह है विद्युतिकरण के बारे में। आज जहां जहां पर लोगों ने मशीने लगा रखी हैं वहां पर बिजली अभी तक नहीं पहुँच पायी है और बिजली नहीं पहुंचने से जो फायदे किसान को होने चाहिये वह उसे प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिये आज मुख्य आवश्यकता हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की। हालांकि राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है फिर भी उसकी गति धीमी है। आज बिजली के प्रसार की जितनी ज्यादा जरूरत नहीं है उससे ज्यादा तो उन कुओं पर जहां की मशीनें लग गयी हैं, वहां बिजली पहुंचाने की है। यह मैं मानकर चलता हूं कि इसमें कठिनाईयां भी आती हैं और आवेंगी पर इसे तो प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यह बात इस सदन के माननीय सदस्य चाहें, इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के, उन सभी को यह कठिनाई मालूम होगी। इस बारे में कई बार इस सदन में विचार किया गया है और कुछ सुझाव भी दिये हैं परन्तु इस समस्या का तुरन्त हल निकालने के लिए हमें रास्ता निकालना होगा। अगर जल्दी ही नहीं निकला तो किसानों को इसका बहुत ही नुकसान होगा क्योंकि ज्योंही मोटरें कुओं पर लगती हैं, किसान बैंक से लोन लेकर मशीनें लगवाता है, उधर तो बिजली नहीं पहुंचती है और किसान के खेती में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो लोन किसान लेता है उस पर उसी दिन से ब्याज तो लगना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि किसानों को जल्दी से जल्दी लाभ पहुँचाने के लिए उन्हें बिजली जल्दी से जल्दी दिलानी चाहिए। आज जब हम नये समाज की रचना करने जा रहे हैं, समाजवाद की तरफ अग्रसर हो रहे है, तो हमें नये दृष्टिकोण अपनाने होंगे। जनता ने हमें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां भेजा है, जनता आज हमारे से इस बात की अपेक्षा करती है कि हम उनकी कठिनाईयों का निराकरण जल्दी से जल्दी कराये। दूसरी बात इसके अलावा मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, वह है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जब तक प्रशासन में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, काफी समस्यायें हमारे सामने रहेगी। इसके लिए मेरा निवेदन है कि जो निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिये जायं उन्हें अमली रूप दिया जाय ऐसा

Page No 25

(श्री हीरालाल देवपुरा)
नहीं हो कि चाहे राज्य सरकार निर्णय ले परन्तु उस पर अमल पूरी तरह से नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, आज हमने कई निर्णय लिए लेकिन उनकी पालना जो सही रूप से होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। इसका मूल कारण प्रशासन है। आज एक प्रशासन अच्छा भी हो सकता है, कुशल हो सकता है लेकिन दृष्टिकोण में जब तक परिवर्तन नहीं आता, जब तक उनके दृष्टिकोण में समाजवाद न बैठ जाए, तो जो कुछ हम एक प्रगति करना चाहते हैं, उसमें गति नहीं मिलेगी। आज हमें उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण का जो फर्क है, वह हमें उनको देना होगा। वह फर्क उनको प्रशिक्षण देकर दिया जा सकता है। यह केवल फाइल को डिस्पोज आफ करके पूरा नहीं होगा लेकिन दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं समझता हूं, राज्य सरकार को अविलम्ब कदम उठाने चाहिए। आज जो नया दृष्टिकोण समाज हमसे लेकर चलना चाहता है, जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, उस रास्ते पर हमें प्रशासन को चलाना उतना ही आवश्यक होगा और यदि प्रशासन ने उस रास्ते पर चलना स्वीकार नहीं किया तो जो प्रगति हम करना चाहते हैं, वह नहीं कर पायेंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि रीओरीटेशन सारे प्रशासन का किया जाए। इस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाए जिससे प्रशासन समाजवादी दृष्टिकोण लेकर चले, रूढ़ीवाद छोड़े, पुराने समय के शासन के दृष्टिकोण को छोड़े, आम लोगों की जरूरतों को महसूस करते हुए जिस भावना को हमने बनाया है, उसको दिमाग में रखते हुए, उसका पालन करे। यह दृष्टिकोण अगर होगा तो हम सही रूप से आगे बढ़ सकेंगे, प्रगति कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया उस पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव मैंने सदन में प्रस्तुत किया है उसको सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

कार्य सलाहकार समिति के-प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

पहला प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार दिनांक 22 मार्च, 1972 को प्रातः 10.30 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 8 अप्रेल, 1972 तक सदन की बैठकों का कार्यक्रम निम्नानुसार रखा जाए:--

Page No 26

(श्री खेतसिंह)

बुधवार दिनांक 22 मार्च, 1972 शुक्रवार दिनांक 24 मार्च, 1972 शनिवार दिनांक 25 मार्च, 1972	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर वादविवाद
मंगलवार दिनांक 28 मार्च, 1972	धन्यवाद के प्रस्ताव पर वादविवाद तथा सरकार की ओर से उत्तर
बुधवार दिनांक 29 मार्च, 1972	अनुपूरक अनुदान के लिए मांगों पर विचार और विनियोग विधेयक ।
गुरुवार दिनांक 30 मार्च, 1972	लेखानुदान (वोट आन अकाउण्ट) तथा विनियोग विधेयक ।
शुक्रवार दिनांक 7 अप्रेल, 1972 शनिवार दिनांक 8 अप्रेल, 1972	शासकीय विधायी कार्य ।

उपरोक्त कार्य के बंटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

श्री खेतसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करे ।

श्री हीरालाल देवपुरा : सहमति प्रकट कर दो ।

श्री केदारनाथ : अभी रूल्स आपको सीखने हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो इस सदन में अपना अभिभाषण दिया और जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री हीरालाल देवपुरा ने पेश किया उसका मैं समर्थन करता हूं । राजस्थान में और सारे हिन्दुस्तान में जो ऐतिहासिक चुनाव हुए और उन ऐतिहासिक चुनावों के अन्दर जनता ने जो कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन प्रकट किया, वह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है । देश की जनता ने जो लोकतांत्रिक परम्पराओं के अन्दर अपनी आस्था प्रकट की, उसके लिए इस देश की जनता को और खास तौर से राजस्थान की जनता को धन्यवाद दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में चुनाव जिस निष्पक्षता और शांति व व्यवस्था के साथ

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
पूरे राज्य में सम्पन्न हुए, उसके लिए भी राज्य सरकार को और राज्य कर्मचारियों को धन्यवाद दिया जाना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, इन ऐतिहासिक चुनावों के अन्दर देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के अन्दर जो आस्था प्रकट की व कांग्रेस की नीतियों के कारण जो कांग्रेस ने जनता के सामने रखीं, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कार्यक्रम जो जनता के सामने पेश किया, उन नीतियों के अन्दर जनता ने अपनी आस्था प्रकट की है। कांग्रेस की नीतियों में आस्था प्रकट करने के साथ विरोधी दलों की नीतियां जो थीं जनता ने उन्हें अस्वीकार किया है, इस बात को हमें मानकर चलना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है, 1971 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनको भी इन विधान सभा के चुनावों के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। 1971 में लोक सभा चुनावों में जनता ने कांग्रेसी नीतियों में, समाजवादी समाज की रचना में, इकानामिक इक्वीलिटी के अन्दर, देश से गरीबी को दूर करने के लिए, इन्दिरा गांधी के कार्यक्रम में जनता ने आस्था प्रकट की थी। 1971 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनके अन्दर जब विरोधी दलों ने देखा कि इसमें पूरी तरह से मार खा गए तो किसी तरीके से 1972 के चुनावों पर उनकी निगाहें थीं। 1972 के चुनाव उनके सामने थे। जनसंघ जो देश की घोरतम साम्प्रदायिक पार्टी है, रीएक्शनरी पार्टी है, पूंजीपतियों की पोषक पार्टी है ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर अभिभाषण दे रहे हैं या मेरी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपसे पुराना सदस्य हूं।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पोलिटिकल फंथ है अपना अपना.....

(शोरगुल)

इस प्रकार की बात करना माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता।

श्री अध्यक्ष (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) : आपका अवसर आए तो आप भी बोल सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य नए आए हैं। उनको मालूम नहीं क्या बोला जा सकता है क्या नहीं बोला जा सकता।

श्री प्रद्युम्नसिंह : थोड़ा समय लगेगा समझने में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपसे ज्यादा समझता हूं। आपको समझाने की जरूरत नहीं है।

(शोरगुल)

सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : बिराजिए।

श्री अध्यक्ष : आपस में बातचीत न करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन की गारिमा बनाए

Page No 28

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
रखने के लिए इस प्रकार की अव्यवस्था ठीक नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोई अन पार्लियामेन्ट्री वर्ड यूज नहीं किया है । मै निवेदन कर रहा था कि 1971 के आम चुनाव के बाद जो पराजय का मुंह जनसंघ को देखना पड़ा, उससे उन्होंने अपने दिमाग पर वजन डाला और सोचने पर मजबूर हुए कि क्या किया जाए । आपको अध्यक्ष महोदय, मालूम है कि जैसा कि अभी मैने कहा कि सांप्रदायिक पार्टी, पूंजीपतियों की पोशक पार्टी, राजा महाराजाओं के प्रिवीपर्सेज का समर्थन करने वाली पार्टियों ने सोचा कि कांग्रेस को हराने के लिए कुछ किया जाए । गाजियाबाद में जनसंघ का अधिवेशन हुआ उसके अन्दर जनसंघ, घोर प्रतिक्रियावादी पार्टी, ने कहा कि भूमि की सीमाबंदी होनी चाहिए । अर्बन प्रोपरटी पर सीलिंग लागू होना चाहिए । राजाओं के अधिकार और प्रीविपर्स जाने चाहियें । परन्तु राजस्थान की जनता असली और नकली चेहरों को जानती थी । उसने इन नकली चेहरों को वह तमाचा दिया कि वे चौकड़ी भूल गये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्धक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भाषा का प्रयोग शालीनता से करना चाहिये।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत बातें सुननी पड़ेगी । अभी से घबराने लग गये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस तरह की भाषा के प्रयोग की अनुमति देकर कोई नई परम्परा कायम करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि जब चेयर कहे तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । यह दूसरा अवसर है । जब अन-पार्लियामेन्टरी कोई बात कही जावेगी तो आसन उसे जरूर रोकेगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जनसंघ ने जो नई नीतियां अपनाई उनको भी जनता ने अस्वीकार कर दिया । देश की और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की घोषित नीतियों में अपना विश्वास प्रकट किया । जनता ने विरोधी दलों की नीतियों को नहीं माना । यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस को 145 सीटें प्राप्त हो गई सारे देश में खास कर पश्चिमी बंगाल जैसे प्रान्त में जहां कम्यूनिस्ट मार्क्सिस्टों का आंतक था जिसने हिंसा की राजनीति को अपना रखा था, हत्याओं और आंतक का दौरदौरा था, आज वहां भी मार्क्सिस्टों को पराजय का मुख देखना पड़ा है।

कांग्रेस की इन्हीं नीतियों का यह फल हुआ कि मध्यप्रदेश, बिहार, पंजाब, आन्ध्र, मैसूर महाराष्ट्र, गुजरात आदि अन्य प्रदेशों में कांग्रेस को प्रचण्ड बहुमत मिला ।

परन्तु इससे एक बोझा कांग्रेसजनों पर आ पड़ा है, जनता ने जिस प्रचण्ड बहुमत के रूप में कांग्रेस पर अपना विश्वास व्यक्त किया है,उतना ही अधिक बोझ कांग्रेस की उन नीतियों को कार्यान्वित करने के बारे में आज कांग्रेस सरकारों पर आ पड़ा है । हमने जिन

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

नीतियों को जनता के सामने रखा और जिन के आधार पर चुनाव लड़े अब उनको पूरा करने में हमें अधिक समय नहीं लगाना है। जी जान से हमें उनको पूरा करना है। इसलिये हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे मुख्य मन्त्री ने भी इस बात को कहा है कि हमें एक निश्चित समय में कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करना है। अगर हमने ये कार्यक्रम पूरे नहीं किये तो जनता हमें नहीं बकशेगी, जिस तेजी से जनता ने हमें अवसर दिया है उसी तेजी से दूर भी फेंक देगी। गरीबी को दूर करना और समाजवाद की स्थापना करना सबसे बड़ा कठिन कार्य है जिसका बोड़ा कांग्रेस ने उठाया है। पहले गरीबी भी अगर दूर करली तो समाजवाद अपने आप आ जावेगा। इस गरीबी को दूर करने के लिये हमें ईमानदारी से और कड़ी मेहनत से काम करना होगा।

राजस्थान जिस समय बना उस समय हालत बहुत खराब थी। हमारा कोई इन्फ्रा स्ट्रक्चर नहीं था। इसे हमने पिछले सालों अपने शासनकाल में बनाया है। न यहां काफी सड़कें ही थीं, न इण्डस्ट्रीज थीं, न बिजली के साधन थे। अकाल बराबर पड़ते रहते थे। जो हालत थी वह किसो से छिपी नहीं है। परन्तु जनता आज उन पुरानी बातों को दोहराते रहने को भी मानेगी नहीं हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। ईमानदारी से काम करना होगा और जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको पूरा करना होगा।

राजाओं के समय में राजस्थान में पावर जनरेशन के नाम पर कुछ नहीं था, आज पिछले वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल में वह काफी बढ़ चुका है। शायद 280 मेगावाट तक पहुँचने वाला है। उस समय हमारा प्रदेश पड़ौस के प्रदेशों से काफी पिछड़ा हुआ था। पंजाब और उत्तरप्रदेश की हालत हमसे बहुत अच्छी थी। इसके बावजूद भी पिछले सालों में हमने जो प्रगति की है वह आशातीत थी। हम इन राज्यों से आगे नहीं तो समकक्ष जरूर आ गये हैं बहुत सी बातों में।

अब इकोनोमिक ग्रोथ के बगैर गरीबी हट नहीं सकेगी। इसलिये इस दिशा में हमें प्रयत्न करने हैं। हमें अपने प्रदेश का औद्योगीकरण करना होगा शीघ्रता से। भारत सरकार भी इस बारे में बहुत चिन्तित है। जब से भारत सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों पर अंकुश लगाये हैं, मोनोपोली कमीशन की स्थापना की है, बिड़ला टाटा और साहू सरीखी पार्टियों की पूंजी में जिस तेजी के साथ देश की आजादी के बाद इजाफा हुआ है और उद्योगों पर जिस तरह से उनका एकाधिकार होता जा रहा था, उस इजाफे को रोका है, तब से इन पूंजीपतियों ने असहयोग का रुख अपना लिया है। वे नये उद्योगों में पूंजी लगाने से इन्कार हो रहे हैं, नई पूंजी लगाना कम कर दिया है और इससे इण्डस्ट्रियल ग्रोथ की हमारी गति रुक रही है।

इसको देखते हुए मेरा राजस्थान सरकार को यह सुझाव है कि हमें स्टेट सैक्टर में नये नये उद्योगों को लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इन उद्योगपतियों की खुशामद नहीं कर सकते। अगर उनको नई पूंजी लगाने के लिये कहेंगे भी तो वे नये नये कन्सेशन मांगने लगेंगे, जिससे गरीबी हटने के बजाय गरीब

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
और गरीब होता चला जावेगा और उनकी पूंजी और बढ़ती जा वेगी । इस स्थिति को बर्दाश्त करने के लिये देश आज तैयार नहीं है ।

स्टेट सैक्टर में अलवर में एक बड़ा कारखाना लगाया भी जा रहा है राजस्थान इण्डस्ट्रियल और मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन की तरफ से। यह शुभ चिन्ह है । इसके साथ ही जिन उद्योगों को लगाने के लेटर आफ इण्टेण्ट हमें मिल चुके हैं उन पर भी हमें शीघ्रातिशीघ्र अमल करना चाहिए तभी हमें कामयाबी हो सकेगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पूंजी की कमी है सरकार के पास । पर मैन्यूअल लेबर की कमी नहीं है । तो हमें कुछ इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिये कि कम से कम पूंजी की लागत पर अधिक से अधिक मेन्यूअल लेबर को हम खपा सकें अधिक रोजगार दे सकें ।

खनिज और खनिज आधारित उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान भाग्यशाली है । इस दिशा में अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिए और खनिज का अधिक से अधिक एक्सप्लोइटेशन किया जाना चाहिए। बड़े बड़े काम और खनिज उत्पादन के बड़े बड़े काम स्टेट सैक्टर में ही दिये जाने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिये जाने चाहिए। नहीं तो शोषण बढ़ेगा । प्राइवेट पार्टियां लाखों करोड़ों रुपया बनावेंगी । रा-मेटीरियल जो आज खनिज का बाहर जा रहा है उसको भी बाहर जाने से रोका जाना चाहिए और उनका प्रोसेसिंग और उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना राजस्थान में ही की जानी चाहिए । इस ओर मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

दूसरी बात, लैंड रिफार्म्स के बारे में कहना चाहूंगा । राजस्थान में सीलिंग की जो घोषणा की गई है उसको शीघ्र ही लागू किया जावे । उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि वे, लैण्ड होल्डिंग की जो सीमा वहां से तै की गई थी, उसे भी घटाने जा रहे हैं। तो इसी तरह से मेरा निवेदन है कि राजस्थान में ऐसा किया जाय, खास तौर से राजस्थान के पूर्वी जिलों में जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है ।

दूसरी बात, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल में भूमि का आवंटन किया जा रहा है । राज्यपाल महोदय के भाषण में यह बात कही गई है कि 1–1–71 तक जमीन पर जो एन्क्रोचमेन्ट हुए हैं उनके लिए राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिये हैं, लेकिन राजस्थान कैनाल में जमीन के आवंटन के मामले में गड़बड़ी हुई हैं, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए । (करतल ध्वनि) जमीन भूमि हीनों को दी जाय और इसमें किसी प्रकार की सिफारिश और पार्शियलिटी नहीं बरती जाय यह मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात राजस्थान कैनाल के बारे में है। भारत सरकार इस सम्बन्ध में 290 करोड़ की योजना पर विचार कर रही है और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात की जा रही है। सदन में प्रस्ताव पास करना चाहिए और भारत सरकार से निवेदन करना चाहिए कि वह इस कैनाल को सम्भाले और मैं सदन से और राज्य सरकार से

(श्री प्रद्युम्नसिह)
निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार से यह पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहिए कि राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए भी राजस्थान कैनाल के इस भारी-भरकम खर्चे को बर्दाश्त करे यह संभव नहीं लगता है और न हीं यह समझ में आता है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग लगाने की बात कही गई और मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र एक विधेयक लाया जावेगा। मेरी इस सम्बन्ध में बहुत से लोगों से बात हुई। वे लोग कहते हैं कि इस सम्बन्ध में काम्पलीकेशन्स आवेंगे अथवा दिक्कतें आवेंगी। लेकिन उनसे हमको नहीं घबराना चाहिए क्योंकि जिनका इन्ट्रेस्ट क्लेश होता है वे इस प्रकार की बात करते हैं। आज सामाजिक और आर्थिक विषमतायें देश में व्याप्त हैं और जो सम्पत्ति का दिखावा हो रहा है, शहरों में जो सम्पत्ति का बड़े से बड़ा प्रदर्शन हो रहा है इसको यदि बढने दिया और समय रहते ही इस पर चैक नहीं किया तो इसके बुरे परिणाम निकलने वाले हैं। अब जनता सामाजिक भेदभाव को बर्दाश्त करने वाली नहीं हैं। जनता जाग चुकी है, जनता जागृत है। उसकी आशायें और आकांक्षायें बहुत बढ़ चुकी हैं। यदि उनको पूरा नहीं किया तो जनता आपको बख्शने वाली नहीं है। यदि इसका इलाज नहीं किया तो 154 जने 145 राजा होंगे।

एक माननीय सदस्य : वही दशा होगी जो जनसंघ की हुई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वे भी इस बात को मानते हैं कि उनकी भी यही दशा होने वाली है। आप तो इसलिए वकालत कर रहे हैं क्योंकि आप तो उनकी मदद पर चुन कर आये हो। कांग्रेस की पूंछ पकड़ रखी है, फिक्र मत करो आपकी भी वही गत होने वाली है।

(12.45 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, चेयरमैन, पदासीन)

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रोल प्ले किया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा सेना के उच्चाधिकारियों ने भी की ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा था। लड़ाई के दौरान राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई थी आपत काल में जो सहयोग सेना को प्राप्त रहा और जिस कौशल और त्याग की भावना के साथ हमारे बहादुर सैनिक लड़े उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि सारे संसार में हमारे देश और सेना की ख्याति बढ़ गई है। यह हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। जो हौसला बढ़ाया उसकी जितनी तारीफ की जाय वह कम है। साथ ही साथ राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि जो लोग अपंग हो गये हैं उनके प्रति राज्य सरकार की बड़ी भारी यह जिम्मेदारी है और उनका नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि उन लोगों की हर प्रकार से आर्थिक सहायता की जाय, जिन लोगों ने अपने देश के खातिर जान दी उनकी विधवाओं और उनके परिवारों के प्रति हम अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभायें और हम उनको भूल न जायं और हमारा यह कर्तव्य बन जाना चाहिए कि उनकी पूरी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सहायता करें। यह न हो कि बात गुजर जाती है और लोग उनको भूल जाते हैं। यह नहीं होना चाहिए। इस ओर ध्यान रखना चाहिये।

एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रशासन के सुधार के लिये कदम उठाये हैं वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब यह पद सम्भाला उनका प्रयास तब से यह रहा है कि क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाय और इसके लिये उन्होंने बहुत मेहनत की। अखबारों में पढ़ा था कि सेक्रेटेरियेट में भी नये डायरेक्टोरेट की स्थापना की है जो शिकायतों के बारे में पूरी जांच पड़ताल करेगा। यह भी बड़ा सराहनीय उनका कदम है।

राज्य सरकार की इन बातों को मैं आपकी निगाह में लाना चाहता था। जो प्रस्ताव माननीय देवपुराजी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, से निवेदन किया था कि मैं परसों बोलूंगा। अभी मेरी तैयारी अपरिपक्व है। मुझे आप क्षमा करेंगे। मैं 24 तारीख को प्रातःकाल बोलूंगा।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, सर्व प्रथम राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलने का मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिये तो मैं आपका आभारी हूं। संविधान के अनुच्छेद 175 के अन्तर्गत जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है सदन में और माननीय देवपुराजी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

अभिभाषण के अन्दर सबसे पहले जो बात दर्शायी गयी है, मुख्यतः भारत की जनता ने जो आदेश दिये हैं, भारत के अन्दर मतदाताओं ने जिस परिपक्वता के साथ निर्णय किया है उसकी सराहना की गयी है। परन्तु मुझे आश्चर्य तब होता है जब कि जहां भारत के मतदाताओं ने जहां अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है वहां विरोधी दल और खास तौर से ऐसे विरोधी दल जिनका स्वयं का अस्तित्व ही खतरे में हो गया है, वे आज कांग्रेस के विघटन की बात सोचते हैं। भारतीय जनसंघ की ओर से यह कहा जाना और खास तौर से चुनाव जिस परिपेक्ष्य में हुए हैं और जो उसके बाद उनके द्वारा समीक्षा की गयी है और उस सम्बन्ध में, आरोप कांग्रेस पर लगाये गये हैं, इस सम्बध में मैं बाद में निवेदन करूंगा। मैं पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो फिजा हिन्दुस्तान में बनी और जनता ने अधिकतर कांग्रेस की नीतियों में जो आस्था व्यक्त की वह लोकतन्त्र के इतिहास में एक मिसाल कायम करेगी। साल भर पहले जो मतदान हुआ और भारत की प्रधान मंत्री इन्दिरा जी की नीतियों का जिस तरह से जनता के द्वारा स्वागत हुआ यह जनता के द्वारा किये गये निर्णय को

(श्री हरीसिंह बेहू)

परिपक्वता का द्योतक है। कांग्रेस के अन्दर महात्मा गांधी, महामान्य तिलक, गोखले, सुभाषचन्द्र बोस, अन्य अनगिनत देश भक्तों के त्याग और बलिदान से हजारों सालों से देश, जो परतन्त्रता में जकड़ा हुआ था, उसको आजादी मिली। कांग्रेस को श्रेय मिला और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत आजाद हुआ। परन्तु जैसे जैसे समय निकला आजादी के बाद और कांग्रेस सरकार का दायित्व सम्भालना पड़ा– एक जिम्मेदार पार्टी के नाते और पार्टी के कार्यक्रमों से ऐसी अनुभूति होने लगी जो अधिवेशनों से सम्बन्धित होने लगी। चाहे वह अधिवेशन पूना में हो चाहे बम्बई का अधिवेशन हो और चाहे अलग अलग प्रांतों में हो जो अधिवेशन हर वर्ष होने लगे उसमें समाजवाद की नीतियों पर चलने के लिये जो बड़े बड़े कार्यक्रम–15 सूत्री कार्यक्रम भारत की जनता के सामने रखे गये, परन्तु जहां अनुपालना का प्रश्न आया उसमें कुछ कमी रही। उस कमी के कारण जनता कांग्रेस से दूर होती गई और उसका स्पष्टतः परिणाम 67 के आम चुनावों में हुआ। जनता ने आदेश दिया और भारत के अन्दर अधिकतर विरोधी सरकारें बनीं देश में विरोधी हवा चलने लगी और प्रांतों में विरोधी सरकारें बनीं। अब वह विरोधी सरकारें कहां तक सफल हुईं, वह तीन महीने चलीं, तीन दिन चलीं या तीन घंटे चलीं और समाप्त हो गईं। उन्होंने जो कुछ वायदे जनता के सामने किये वे पूरे कर सकीं या नहीं कर सकीं किन्तु जनता ने परख लिया। सन् 1969 में बेंगलोर में एक ऐतिहासिक अधिवेशन इन्दिराजी के नेतृत्व के अन्दर हुआ। उस अधिवेशन में जो कुछ हुआ उस पर इन्दिराजी ने चिन्तन किया और उसको स्वीकार किया। जैसा मैंने अभी निवेदन किया जनसंघ ने दोषारोपण किया और यह दोषारोपण उनकी एक आदत सी हो गई है या तो सरकारी शासन तन्त्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं या बंगला देश में जो कुछ हुआ उसके लिये कह देते हैं, परन्तु इन्दिराजी ने दोषारोपण की नीति की ओर ध्यान नहीं दिया और उसे नहीं माना। उन्होंने बंगला देश की स्थिति का चिन्तन किया और चिन्तन करने पर इस नतीजे पर पहुँचीं कि यदि कांग्रेस को जिन्दा रहना है तो जो कांग्रेस में कमी आ गई है उसे पूरा करना होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे वे प्रधान मंत्री रहें या नहीं रहें किन्तु उन्होंने एक स्वीकारोक्ति की और सही मायने में समस्या को समझा। भारत के बेंगलोर अधिवेशन में उन्होंने जो 10 सूत्री कार्यक्रम रखा–समाजवाद की बात को लेकर, राष्ट्रीयकरण की बात को लेकर कुछ कांग्रेस के लोग भयभीत हुये और उन्होंने जो नीतियां निर्धारित कीं, 10 सूत्री कार्यक्रम रखा, उसमें उन लोगों ने रोड़े अटकाये, परन्तु जो दृढ़ संकल्प इन्दिराजी ने किया उसके फलस्वरूप वे रोड़े सामने नहीं रह सके और उनका पता नहीं लगा। समय आगे बढ़ गया और वे पीछे रह गये जैसे हरे वृक्ष से पत्तियां गिर जाती हैं उसी तरह बड़े बड़े नेता–निजलिंगप्पा, घोश एस. के. पाटिल– आज ये लोग कहां पर रह रहे हैं इसकी भी गवेषणा करनी पड़ेगी तभी पता चलेगा कि ये लोग कहां निवास कर रहे हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात चली देश को 36 हजार करोड़

(श्री हरीसिंह बेग्र)

की धनराशि 25–30 औद्योगिक परिवारों में वितरित की हुई है। उस 36 हजार करोड़ की पूंजी को जनता में बिखेरने का प्रश्न आया तो मुरारजी कहने लगे इसका सामाजीकरण कर दिया जाय। जनसंघ हो या स्वतन्त्र पार्टी इन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया और जो कुछ भारत की आंकाक्षायें थीं उसको ध्यान में न रख-कर ऐसे कदम उठाये परन्तु समय ने बताया वे कहां तक सफल सिद्ध हो सके चाहे कोई पुरानी कांग्रेस के नाम पर जीवित रहना चाहते हैं, वह भारत के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया (विराम) जो चुनाव हुये प्रदेशों के अन्दर और जो समीक्षा की गई चुनाव परिणामों को देखकर उसमें दो आरोप लगाये गये कांग्रेस पर जनसंघ द्वारा पहला आरोपये तो यह कि जो बंगला देश की हवा बही और जिस तरीके से बंगला देश आजाद हुआ उसमें इन्दिरा गान्धी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसमें मानवता की नेता होने का जो श्रेय इन्दिरा गांधी को मिला, यह सब बात लेकर भारतीय जनसंघ ने यहां पर मीटिंग करके यह कहा कि इसका लाभ इन्दिरा की सरकार ने उठाया है जब कि यह श्रेय सबको मिलना चाहिये, विशेष रूप से जन संघ को मिलना चाहिये क्योंकि उन्होंने भी पूरा योगदान दिया है। मैं कहना चाहूंगा योगदान तो पूरा दिया लेकिन किस प्रकार का योगदान दिया यह तो मैं बाद में कहना चाहूंगा। दूसरा जो आरोप लगाया वह यह लगाया कि सरकारी शासन तन्त्र का दुरुपयोग किया है। सर-कारी शासन तन्त्र के दुरुपयोग की बात तो यह हमेशा कहते आये हैं और यह इनका सबसे पहला नारा रहा है परन्तु यह होता तो मैं समझता हूं जोधपुर क्षेत्र से माननीय गुमानमल जी लोढा आज विधान सभा में न दीखते, उदयपुर के माननीय सदस्य भानु कुमार जी आज विधान सभा में न दीखते। अगर सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग किया जाता और उसी से चुनाव जीते जाते तो ये नहीं आते; अतः स्पष्ट है कि सरकारी शासन तन्त्र ने किसी प्रकार का पक्ष नहीं लिया यह परिणामों ने सिद्ध कर दिया।

अब रहा सवाल बंगला देश की विजय का और उसके बारे में जो आरोप लगाया कि इसकी हवा की वजह से कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला है। स्वतन्त्र पार्टी पर आरोप लगाया है काफी निकटतम पार्टी होने के नाते और संयुक्त मोर्चा बनाने के लिये परन्तु जो कांग्रेस पर आरोप लगाया उसी के लिए मैं निवेदन करूंगा। जो बंगला देश के अन्दर पिछले वर्ष कार्यवाही चल रही थी उसी के परिणाम स्वरूप 3 दिसम्बर, 1971 को जो अचानक हमला हुआ और पाकिस्तान ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, अमेरिका की बैंकिंग पर भारत पर आक्रमण किया और जो स्थिति पैदा हुई उस समय जिस संयम और धैर्य से प्रधान-मंत्री ने काम लिया, 36 करोड़ की जनता पर अपना जो प्रभाव जमाया और जो वीरता पूर्ण कार्य किया वह लोकतन्त्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा उस समय भारतीय जनसंघ का यह कहना कि लड़ाई बंगला देश और पाकिस्तान में छिड़ गई उससे एक करोड़ शरणार्थियों को यहां पर शरण दी गई और सारे बंगला देश के शरणार्थी भारत आ गये। उस समय यह कहना कि हम पर आर्थिक बोझ

(श्री हरीसिंह वेग्)
पड़ेगा इनको वापिस खदेड़ा जाय इन शरणार्थियों को यहां नहीं रहने दिया जाय इस तरह की बात उठाई गई। इसके बाद जो युद्ध की गति बढ़ी और जो स्थिति सामने आई वह यह भी आई कि इसको मान्यता दी जाय और शायद उनका यह ख्याल था कि उनका यह नारा लगाने से भारत का बहुमत हमारे पक्ष में चला जायगा और बार बार यह कहना कि मान्यता न देकर भारत ने भारी भूल की है अब असामयिक मान्यता देने का क्या अर्थ होगा ? अमेरिका किसी तरह से हिन्दुस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था। मुझे ताज्जुब है कि उस समय अलग अलग देशों ने किस तरह की मदद बंगला देश को दी, कोई मेडिसिन्स भेज रहा है, कोई गोलियां भेज रहा है विटामिन्स की कोई बिस्कुट्स के डिब्बे भेज रहा है। इस तरह की मदद भेजकर वे ये कहना चाहते थे कि हम बंगला देश की मदद कर रहे हैं। उस समय मान्यता देने का जहां तक प्रश्न था, अगर उस समय मान्यता दी जाती तो अमेरिका के ही हाथ मजबूत होते और उससे हमारा पक्ष कमजोर होता। इस सम्बन्ध में जब जब भी कहा गया हमारी प्रधानमंत्री द्वारा तो यही कहा गया कि जब उचित अवसर होगा भारत सरकार इस पर मनन करके उचित निर्णय लेगी। उन्होंने विश्व का दौरा किया और यूरोप के प्रमुख देशों में वे गयीं और अमेरिका और रूस भी पहुंची....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं "

श्री हरिसिंह : आप तीसरी बार खड़े हुए हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप क्या राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उस पर बोल रहे हैं ? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे माननीय सदस्य लोकसभा में भाषण दे रहे हैं। यह राजस्थान की विधान सभा है और राज्यपाल महोदय ने जो कुछ कहा है उस पर ही बोलें न कि जनसंघ ने ये कहा अटलविहारी जी ने ये कहा और उसने यह कहा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब आपका समय आगे बोलने के लिए आए तो आप भी बोल सकते हैं। जो भी आपत्तिजनक होगा वह इस चेयर से व्यवस्था देदी जायेगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरे खयाल से गालियां देने की परम्परा तो नहीं होनी चाहिये। आप कुछ भी कहें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि यह लोक सभा नहीं है विधान सभा है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम यहां बहस कर रहे हैं।

श्री सभापति : आपने इस ओर ध्यान दिलाया इसके लिए धन्यवाद।

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्य दो तीन बार खड़े हुए हैं। आप मुझे एडवाइस करना चाहते हैं मेरे ख्याल से मुझे स्वतंत्रता है बोलने की और आपकी एडवाइस अच्छी होती तो जरूर मानता परन्तु आपने जो लोकसभा की संज्ञा दी तो अच्छा है विधान

(श्री हरिसिंह बेग्र)
सभा में लोक सभा स्तर की बात कही जाय तो और भी अच्छा है।

मैं निवेदन कर रहा था कि आपने जो आरोप लगाये, आप भी बंगला देश को इसमें नहीं घसीटते और चुनावों ने जो कुछ जनता को दिया है और उसको सही रूप में लेते तो यह मौका नहीं आता। जिस तरह से आपने राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश की है और जनता को भ्रामक करने की कोशिश की है मैं तो उसी को क्लियर कर रहा हूं। अगर आप आरोप नहीं लगाते तो मैं भी कुछ नहीं कहता।

तो बंगला देश के विषय में मैंने कहा कि असामयिक मान्यता का क्या परिणाम होता? 7वीं फ्लीट अमेरिका की जब पहुँच गई थी। और उस समय रूस से संधि हुई और ऐतिहासिक संधि हुई और दिल्ली में जनता एक करोड़ से भी ज्यादा इकट्ठी हुई उन्होंने प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करके जो एक स्वर में उद्घोष किया और भारत रूस की संधि हुई और ऐसी संधि हुई कि जिससे अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी अपने जहाजी बेड़े को वापिस लौटाना पड़ा। श्री अटलविहारीजी उस परिवेक्ष को सही न समझ कर यह कहने लग गये कि भारत ने रूस के साथ संधि करके भारत को रूस के गिरवी रख दिया है यह कहा था। यह कहां तक उचित है? भारत को रूस के गिरवी रखने की बात कही और मान्यता देने की बात कही, शरणार्थियों को खदेड़ भगाने की बात कही और इसके साथ ही साम्प्रदायिकता का प्रचार भी किया कि वहां पर हिन्दुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। यह बातें आपके नेताओं ने कही। इसका क्या अर्थ था? यह बातें कह कर अमेरिका के हाथ मजबूत करना था। भारत के अन्दर जो हिन्दू समाज है उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए आपने इतने निम्न स्तर की बात कर दी कि वहां पर हिन्दुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है जब कि स्थिति और थी। वहां पर हिन्दुओं का ही सवाल नहीं था बल्कि मुसलमान, हिन्दू और सभी जातियों के, जो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन सबके साथ समान ही व्यवहार किया गया। वृद्ध, बच्चे, मातायें और बहनें सबका कत्लेआम कर दिया गया, ऐसी स्थिति वहां पर थी। हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में और जिनकी संज्ञा हिटलर और नादिरशाह से दी जाती है ऐसी स्थिति थी और इसको जो साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश की यह आपकी पुरानी बात है और आदत पुरानी है। हैदराबाद में दंगे हुए उसमें राजनैतिक लाभ उठाने को कोशिश की, चाहे विहार में हों या महाराष्ट्र में हों, आपकी यही स्थिति सब जगह रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनसंघ पर प्रहार करने के लिए क्या यह डिबेट का विषय है? क्या यही विषय है कि जनसंघ ने देश में क्या किया, अटलबिहारी जी ने क्या किया? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस नहीं होकर सारी प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री की रट लगाए हुए हैं। मैं समझता हूं कि देश के सम्माननीय नेताओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग इस सदन में करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि आप केवल गालियां देते रहें, यह सदन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
का समय है और अमूल्य समय है इसको इस तरह से बरबाद न किया जाये और यदि आपके पास ठोस सुझाव हों तो वह राष्ट्रीय हित में देने चाहिए।

श्री सभापति : आप अपनी भावनाओं को यहां प्रकट कर चुके हैं। अब आप आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि आप अपनी भावनाओं को कई बार प्रकट कर चुके हैं। सदन के अन्दर माननीय सदस्य जो कुछ भी अपनी इच्छानुसार बोलना चाहते हैं वह बोल रहे हैं।

श्री मनोहरलाल (कामां) : जनसंघ को गालियां दे रहे हैं और अपनी सामन्तवादी नीति को छिपा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको भी बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्य मैं आपके पहले सदस्य चुन कर आया हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने फिर अपने 5 साल गंवाये।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा कि जनसंघ को गालियां देने के बजाय यदि कोई ठोस सुझाव देते, अपने अनुभवों से, तो अधिक उचित रहता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें।

अपना भाषण संक्षिप्त करें।

श्री दलपतसिंह (खारची) : व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई माननीय सदस्य भाषण करता है और जिनमें ऑल इण्डिया स्तर की जो पार्टीज हैं, जनसंघ है, उसकी राजनैतिक गतिविधियों के बारे में अपने भाषण में, जनसंघ के बारे में कोई बात कोई माननीय सदस्य कहता है तो जनसंघ के सदस्यों को उसमें व्यवधान करने का अधिकार नहीं है। यह बात नहीं हो सकती कि जनसंघ के नेताओं का नाम ही न लिया जाय।

श्री सभापति : इस बारे में कहा जा चुका है, आप जो कुछ भी भावना व्यक्त कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अखिल भारतीय स्तर के नेताओं को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गाली की परिभाषा क्या है?

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप राज्यपाल महोदय के भाषण के सम्बन्ध में कह सकते हैं। कोई बात राज्यपाल महोदय के भाषण में अच्छी लगी हो या अच्छी न लगी हो तो उसके बारे में कह सकते हैं। यह स्वस्थ परम्परा होगी। स्वस्थ परम्परा के आधार पर आपको कोई ठोस सुझाव देने चाहिए। केवल यह नहीं कि जनसंघ ने यह किया और जनसंघ ने यह नहीं किया

(शोरगुल)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात को कह चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य का इतना खर्चा होता है। यहां पर लोग आते हैं लेकिन इस सदन का उपयोग जनसंघ को गाली देने में कर रहे हैं। यह समय इन बातों को लेकर सदन के समय का दुरुपयोग करना···

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये खुद ही तो समय का दुरुपयोग कर कहे हैं।

श्री सभापति (श्री भार्गव की ओर मुखापेक्ष) : आप भी बहस का ध्यान रखिये, समय का ध्यान रखिये।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य बीच बीच में बोल कर डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस प्रकार की जो गलत परम्परा माननीय सदस्य डाल रहे हैं वह वापिस जाकर उन्हीं पर पड़ने वाली है। जिस वक्त उधर के सदस्य बोलेंगे उनको डिस्टर्ब किया जायगा। इसलिए यह उचित होगा कि सदन की कार्यवाही वैधानिक रूप से, सुचारू ढंग से चलने दी जाय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके बीच में इस तरह से डिस्टर्ब न करें यह अच्छी स्वस्थ परम्परा होगी।

श्री सभापति : मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन के अन्दर जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बीच में उनको रोकने की कोशिश न करें। जो कुछ भी अनुचित बात होगी मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि यह चेयर रोकने की अपनी ओर से खास तौर से व्यवस्था करेगी।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदय···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय ने जो बात कही वह बिल्कुल वाजिब है। लेकिन हम यह कहते हैं कि किसी भी पार्टी की रीति नीतियों की आलोचना करें केवल पर्टीक्यूलर पार्टी को गाली देंगे तो यह अनुचित होगा···

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपना आसन ग्रहण करें।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव एवं श्री मनोहरलाल एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : इस तरह से सदन का समय आप स्वयं बर्बाद कर रहे है। आप संयम में रहे।

श्री हरिसिंह : मैं निवेदन कर रहा था···

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं।

(श्री रघुनाथ विश्नोई) :

सभापति महोदय, कोई भी माननीय सदस्य अगर बोलना चाहते हैं तो अपने नियमों के अनुसार पोइन्ट आफ आर्डर या पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन कह कर इसके जरिये बोलने की व्यवस्था है। परन्तु अभी देखा गया है कि कोई भी माननीय सदस्य वहां का खड़ा होकर पांच सात मिनिट इस तरह से सदन का समय बर्बाद कर देता है। यह नियमों का उल्लंघन है। आप इस बारे में व्यवस्था दीजिए कि कोई भी बोलने के पहले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर या पोइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन के जरिये अपनी बात उठा सकते हैं। नियमों के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री सभापति : धीरे धीरे सारी व्यवस्थायें सभी के समझ में आ जावेगी।

श्री हरिसिंह : छठी वार माननीय सदस्य जनसंघ के ने व्यवधान किया है।

श्री सभापति : आप कृपया अपना भाषण संक्षिप्त करें।

श्री हरिसिंह : इन्हें तो मीठी बातें सुनने की आदत है, कड़वी बातें बुरी लगती हैं। जब मैं इनकी नीति की बातें कह रहा था और जो कुछ भी भारत की जनता ने अपना निर्णय दिया है, वे बातें सारे देश को असर करने वाली हैं। जो इस तरह का व्यवधान करके चल रहे हैं वे, वाद-विवाद का स्तर कहां ले जाना चाहते हैं; माननीय सदस्य स्वयं उस पर चिंतन करें।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस के अन्दर, कांग्रेस ने जो कदम देश में उठाये जो संविधान के अन्दर जो परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, खास तौर से संविधान में संशोधन के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई, संविधान के अन्दर कई धाराओं का संशोधन करने का अधिकार लोकसभा को दिया गया और उसके बाद 25वां संशोधन और 26वां संशोधन हुआ तथा जब ये संशोधन किये गए तब उस समय कुछ व्यक्तियों ने उसमें नाराजगी प्रगट की। फिर आप कहेंगे कि कैसे कह रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, कि 25 वें संशोधन के द्वारा शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाई गई। आज माननीय सदस्य उस बात को लेकर किस तरह का माहोल खड़ा कर रहे हैं। भारत की जनता ने एक साल पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे उसमें सारे देश से 385 सदस्य कांग्रेस के चुन कर भेजे थे। इस तरह से भारत की जनता ने जिस तरह का आदेश दिया उससे स्पष्ट है कि आज भारत की आकांक्षाएं किस तरफ हैं और कांग्रेस की नीतियों में कहां तक विश्वास कर रही हैं।

26 वां संशोधन हुआ और 26वें संशोधन के द्वारा विशेषाधिकार और प्रिवोपर्सेज राजा महाराजाओं के समाप्त हुए। जब यह 26 वां संशोधन प्रस्तुत हुआ तो उससे भी नाराज होकर राजा महाराजा और पूंजीपति और ये हमारी भारत की जनसंघ की पार्टी इन सब ने मिल कर जिस तरह का सिण्डीकेट बनाया है और सिण्डीकेट को जिस तरह का जनता ने आदेश दिया उस बारे में स्थिति स्पष्ट है। उसके बाद भी जनता ने जो मेंडेट दिया उससे मुझे खुशी होगी यदि जनता

(श्री हरिसिंह)

के उस निर्णय को माननीय सदस्य सही रूप में लेंगे। जो माननीय सदस्य की व्यथा है, यदि जनता के निर्णय को सही रूप में लेते तो शायद उन्हें इस प्रकार की व्यथा नहीं होती और जिस प्रकार का मेंडेट दिया गया है...

श्री सभापति : आप कृपया संक्षिप्त में करें भाषण को।

श्री हरिसिंह : मैं संक्षेप में ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं कुछ नीतियों की तरफ जो यहां पर अभिभाषण के अन्दर उल्लिखित हैं खास तौर से कृषि के क्षेत्र के अन्दर मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा और खास तौर से कृषि का जो गवेषण का विषय है उस तरफ ठोस सुझाव रखना चाहता हूं...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पांच मिनिट और लूंगा। जो 88.12 लाख टन उत्पादन 1970–71 में होगा उससे भी ज्यादा उत्पादन 72-73 के अन्दर करने की उम्मीद की जा सकती है। इस टार्गेट से भी मैं समझता हूं कि अधिक उत्पादन किया जा सकता है, अधिक पावर पैदा करके। इस अधिक उत्पादन का खास श्रेय हमारी गवेषणा की है। जो हमारी मोर्डन टेक्निक कृषि के अन्दर हमारे सामने आई है उससे भी आज उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है परन्तु जो गवेषण की अभी व्यवस्था रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान के अन्दर कृषि गवेषण का कार्य यूनिवर्सिटीज को सौंपा गया है। इसकी तो मुझे खुशी है। परन्तु उसको अभी फेज्ड मेनर में देने का निश्चय हुआ है उसका मैं विरोध करता हूं। मेरा सुझाव है कि जितनी भी डवलप्ड कण्ट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो या और कोई देश हो, कोई कण्ट्री हो कोई विकासशील देश हो, उन्होंने इस कार्य को किया है। यूनिवर्सिटिज जो ज्ञान के मन्दिर हैं, जहां कृषि की शिक्षा दी जाती है वहां कृषि की शिक्षा है, कृषि प्रसार है और उसका गवेषण है। टीचिंग, एक्सटेंशन और रिसर्च, यह इण्टरगल मेनेर में लिया जावे, ताकि मिनिंगफुल हो सके। एग्रीकल्चर एजूकेशन और उसका ज्ञान व्यापक तौर से हमारे प्रदेश में दिया जाता है। इसको फेज्ड मेनर में लेकर क्रियान्वित करने का अर्थ होगा कि एक समय में हम दुर्गापुरा फार्म देंगे तो दूसरे समय में तबीजी फार्म देंगे और इस तरह से एक एक करके देना चाहें तो फिर उसके परिणामस्वरूप यूनिवर्सिटीज हमारे पर यह आरोप लगा सकती हैं कि उनके पास डवलपमेंट के पूरे साधन नहीं मिल रहे हैं। तो फेज्ड मैनर में फार्म देने की बात चल रही है मैं इसका विरोध करता हूं मेरा यह सुझाव है। जो मैंने पहले दिया था कि तीनों यह जो विषय हैं उन्हें एक इन्टीग्रल पार्ट माना जाये। इसको स्वीकार किया, इसकी मुझे प्रसन्नता है परन्तु जिस तरीके से इसको लिया जा रहा है। वह न होकर एक साथ और वह भी एक ही आर्डर के द्वारा किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि यह पूरा फेज यूनिवर्सिटी को दिया जाय तो अच्छा हो। अभी हमारे राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार कि स्थिति है, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो स्थिति

(श्री हरिसिंह)

है, जहां पर ऊसर भूमि है, जहां पर कि जमीन रेतीली है तो वहां पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। वहां पर खारे पानी की समस्या है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आज क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज को जहां पर कि रिसर्च बोडिज हैं, उनको ये ज्वलन्त समस्याएं दी जायं कि वे इसको सुलझायें और वहां पर रिसर्च के अन्दर जो स्कालर्स लगे हुए हैं, जो डाक्टरेट और डी. लिट. काम कर रहे हैं, वे आज इन पर ज्यादा ध्यान दें। वे आज गवेषणा किस बात की कर रहें हैं। जो डी. लिट. और डाक्टरेट की उपाधियां उनको मिल रहीं हैं वे किन विषयों पर मिल रही हैं, उससे तो राजस्थान का भला नहीं हो सकता। उनको चाहिये कि जो राजस्थान की ज्वलन्त समस्याएं हैं उनसे वे जूझें कि किस तरह से खारे पानी को मीठा किया जाये। अमेरिका, इजरायल, यू. ए. आर. ने इस दिशा में काम किया है और समुद्र के खारे पानी को मीठा किया है। चाहे वे केमीकल प्रोसिजर से यह हुआ है लेकिन यह सिद्ध हो गया है कि इस दिशा में प्रयत्न किये जा सकते हैं। इस तरह से रिसर्च के द्वारा ज्वलन्त-समस्याओं को हाथ में लिया जाना चाहिये ताकि आने वाली समस्याओं के लिये हमें दूसरों की तरफ मुंह न ताकना पड़े। मैं इतना ही संक्षिप्त में निवेदन कर राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक इस सदन में जो अभिभाषण दिया है, उसके लिये प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : सभापति महोदय, अभी हमारे सामने आम चुनावों के बाद यह पांचवा चुनाव हुआ और इस चुनाव में और कांग्रेसी साथियों ने जो अभी सत्ता में आये हैं, उनका कहना है कि हमारा बहुमत हो गया और उनके कई साथी तो जो विरोधी दल के सदस्य बैठे थे वहां पर पहुंच गये है। यह तो समय की बात है और प्रजातंत्र में बहुमत इधर उधर होता रहता लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि 25 साल के बाद कांग्रेस का बहुमत हुआ और किस कारण से हुआ है यह तो आप और हम सब जानते हैं। आप यह न सोचें कि हमारा बहुमत हो गया तो आपने कोई बहुत बड़ा मीर मार लिया। आपने 25 साल के अन्दर जो कार्य किया और जिस कार्य के कारण आप को बहुमत मिला है, यह बात गलत है। आपको इस बात से बहुमत मिला हो, तो वह गलत है। आपने समाजवाद की एक झूंठी नीति को अपना कर, सही नीति न अपना कर जनता के वोटों को प्राप्त किया है। जनता को धोखा दिया है। आपने जनता को सही रास्ता नहीं दिया है। जनता को आपने ये शब्द बताये कि हम समाजवाद को ला रहे हैं, हम गरीबी को मिटायेंगे, हम गरीबों को आगे लायेंगे और गरीबी को बिलकुल मिटा कर छोड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जनता आज भी गरीब है और गरीबी के कारण मर रही है। 25 सालों के बाद उसने कांग्रेस को बहुमत इसी कारण से दिया है। हो सकता है कि यह नई कांग्रेस आखिर में हमारा भला कर सकती है। लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि आपकी नीति क्या है? नीति तो आपने बता दी कि हम गरीबी को खतम करेंगे, बेकारी को मिटायेंगे। मध्यावधि चुनावों में

(श्री बिट्ठल भाई)

यह आपने घोषणा की थी, इन्दिराजी ने यह घोषणा की थी कि हमारे देश में जो गरीबी है, उस गरीबी को मिटाने के लिये हम बेकारी को नहीं रहने देंगे। साल भर हो गया। साल भर में गरीबी वहीं की वहीं रही है, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ी है, घटी नहीं है। आप कुछ भी कहिये कि हमने इतना किया। लेकिन आज 25 सालों के बाद देश में क्या हालात है लोगों की ? आज गरीबों की क्या स्थिति है यह आपको पता है और आप जानते हैं और फिर भी मुंह से कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया है, देश को आगे लाये और गरीबी को मिटाया है, मैं पूछता हूं कि किस जगह पर आपने गरीबी को मिटाया है, यह बतायेंगे ? जो इलाके पिछड़े हुए हैं, जहां गरीबी थी, वहां पर आज भी गरीबी है। कई आदिवासी, कई हरिजन जो पिछड़ी हुई कौम हैं वे जहां की तहां हैं। आज उनके नाम के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वतखोरी ली जा रही है, न उनका कोई हिसाब है और न समय पर उनको कोई चीज मिलती है।

यहां पर सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया है कि इतने भूमिहीन लोगों को जमीन दी गई है, इतने लोगों के पट्टे बनवा दिये। मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें गलत हैं। आज भूमि किस को मिली है ? भूमि गरीबों को नहीं मिली है। जो पैसे वाले थे, जो साधन सम्पन्न थे, जो पूंजीपति थे, उन्होंने बड़ी बड़ी जमीन हड़प ली है लेकिन गरीबों को यह जमीन नहीं मिली। आज भी उनके पास में एक बीघा, पांच बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप गरीबी को मिटाने के लिये खड़े हो रहे हैं। आज इस पर प्रतिदिन भाषण कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन गरीबी कहां पर है यह आपने देखा है क्या ? जयपुर शहर में गरीबी देखेंगे तो कहां मिलेगी। गरीबी देखनी है तो गावड़ों को देखिये। आज गांवड़ों की हालत क्या हो रही है। उनके पास एक दिन की रोटी नहीं है। साल भर के लिये कपड़े का एक जोड़ा उनके पास में नहीं है। यह हालत है गरीबों की। हमारे लोगों में यह चीज नहीं है कि वे पूंजीपति बन गये हैं, बड़े बन गये हैं। विकास हुआ है तो क्या विकास हुआ है उनमें ? 25 साल के अन्दर एक भी कुआ उनको नहीं मिला। एक भी तालाब उनको नहीं दिया। जो नहरें चलती थी उनका विकास नहीं हुआ। बिजली के खम्भे आपने वहां पर नहीं गाड़े हैं। ऐसे कई जिले है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको आप देखेंगे तो वहां की हालत वही है जो राजाओं के वक्त में थी, वही आज है। हो सकता है कि थोड़े स्कूल जरूर खोल दिये।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : जहां पर टी. डी. सी. ब्लाक है वहां पर स्कूल खोले गये हैं।

श्री बिट्ठल भाई : जो हुआ है वह हम जानते हैं। आप जीतकर आये हैं कैसे यह हम जानते हैं। मैं कह सकता हूं आपने वोट किस तरह से लिये है। जनसंघ दल का जो आरोप है वही मेरा आरोप है। इस चुनाव में कोई नहीं कह सकता कि आपके दल के लिये सरकारी नौकरों ने काम नहीं किया। चुनाव में आपने ...

श्री रोशनलाल शर्मा : यह गलत है।

श्री विट्ठल भाई : मैं कहता हूं ···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह सही है··· (शोरगुल)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ? माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय सभापति जी आप इसकी व्यवस्था कीजिये। किसी नियम के आधार पर तो सत्ताधारी दल के सदस्य चलें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं आपकी बात को समझ गया हूं। कोई माननीय सदस्य बीच में इन्टरवीन नहीं करेगा। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री बिट्ठल भाई : यह प्रचार कांग्रेस ने किया है। सब पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों ने किया और करवाया है यह बात भी मैं कहूंगा। यह आप लोगों ने किया है।

श्री नाथूलाल (बागीडोरा) : बिलकुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए।

श्री बिट्ठल भाई : साफ शब्दों में क्या कहलाना चाहते हैं ? किया है।

मैं यह कहूंगा कि यह गरीबी का मिटाने का थोथा नारा है। यह मैं नहीं कहूंगा कि गरीबी नहीं मिटना चाहिए। आपका बहुमत है आप गरीबी मिटाओ लेकिन किस हद तक आप मिटायेंगे। आपने पक्षपात से नाता नहीं छोड़ा है। भ्रष्टाचार जो प्रशासन में चल रहा था वह आज भी चल रहा है। क्या किया ? (विपक्ष से करतल ध्वनि) भ्रष्टाचार आज भी हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव से पहले अकाल के वक्त हमारे जिले में मेढ़ बन्दी हुई है। हमारे मंत्री महोदय से यह शिकायत भी हमने पहले की थी कि अकाल के वक्त में क्या हुआ ? 25 पर्सेन्ट तो जनता का और 75 पर्सेन्ट गवर्नमेंट का इस पर पैसा खर्च किया गया रिलीफ के नाम से। ठीक है 25 पर्सेन्ट जनता देने को तैयार थी। 25 पर्सेन्ट का तो कानून नहीं था तब भी आप ले सकते थे। लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे नमूने बताता हूं कि हमारे जिले में जिस खेत में एक भी खन्दी नहीं हुई उससे 200 रु. और जिस आदमी के खेत में तीन तीन खन्दियां हुई हैं उससे 90 रु. कौन खा गया यह पैसा ? कहां गया वह पैसा। कैसे किसानों को आज लूटा जा रहा है और आप कहते हैं कि बहुत बड़ा काम हुआ है ? एक तरफ तो मजदूरों को मजदूरी नहीं दी और दूसरी तरफ आपकी लूट। आज उनके ऊपर कुर्कियां हो रही हैं और उनसे वसूलियां हो रही हैं। थोड़े से दिन चुनावों में रोकी गई थी और फिर वसूली चालू कर दी गई। कुशलगढ़ और पीपलखूंट में हुई। पटवारी ने मारपीट करके वसूली की। मैं आपसे निवेदन करूंगा और मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसके लिए पूरी जांच करायें कि इस मेड़ बन्दी में कितना खर्चा हुआ और कितनी मेड़ बन्दी हुई और किस किस गांव में हुई और वसूलियां किस किस से कर रहे हैं ? अगर नहीं करायेंगे तो मैं सदन में भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अगर होगी वसूली तो मैं उसका विरोध करूंगा चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े और मेरे खिलाफ जितनी भी कार्यवाही करना चाहें करें। मैं उसकी वसूली नहीं

(श्री विट्ठल भाई)
होने दूंगा जब तक कि आप इसकी जांच नहीं करायेंगे

जनसंघ पक्ष : बहुत बढ़िया।

श्री विट्ठल भाई : अगर आपको गरीबी मिटाना है तो पहले भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा। अगर आप भ्रष्टाचार को नहीं मिटायेंगे तो गरीबी को कभी भी नहीं मिटा सकेंगे। कितना ही पैसा आप खर्च करेंगे तो लोग खा जायेंगे। उनके नुमायन्दे जो हम चुने हुए आते हैं विधान सभा में वे जो आवाज करते हैं उसको नहीं सुनते हैं। न जांच होती है उसी वक्त। समाजवाद की नीति आपने अपनाई है तो नकली समाजवाद नहीं चलने वाला है।

श्री लक्ष्मण सिंह : और सभापति महोदय, बार बार इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और बार बार यह कहा गया है कि निष्पक्ष जांच कराई जाय। आप नहीं सुनेंगे और करोड़ों का घोटाला बरदाश्त करके यह सरकार बैठी है और समाजवाद का ढोंग भरती है, यह क्या वास्तविकता है?

श्री विट्ठल भाई : अगर गरीबी मिटाना चाहते हैं तो आप बहुमत में आये हैं उसको मिटायें। अगर गरीबी नहीं मिटती है तो आपके साथी ने जो बात कही वही मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल के बाद आप यहां नहीं दिखेंगे, क्योंकि लोगों ने धोखे से वोट दिया है। मरे हुए लोगों ने वोट दिये हैं, 25 साल में कुछ नहीं मिला तो आप उनका भला जल्दी करो। आपने भला करने का आश्वासन देकर वोट लिये हैं। अगर आश्वासन दिया है तो भला करो। आप राज करें तो हमको बुरा नहीं लगता है। अगर आप गरीबों का भला नहीं करेंगे तो जो संख्या आई है उससे बहुत कम हो जायगी। गरीबी मिटी कहां है। जहां देखो वहां गरीबी है····

श्री लक्ष्मण सिंह : गरीबी बढ़ी है। गरीबी घटी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गरीब मिट रहे हैं।

श्री विट्ठल भाई : एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम किसानों को पूरा पैसा देंगे और दूसरी तरफ आप किसानों का माल सस्ता ले लेते हैं···

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : कौन?

श्री विट्ठल भाई : कौन क्या बनिये लोग और वह मरजी आये उस भाव बेचते हैं। कभी भी आपने भाव बान्धने की कोशिश नहीं की। हम बार बार कहते हैं इस विधान सभा में कि भाव बान्धो। चाहे जो फसल खलिहान में आती है तो उसके एक साल बाद के भाव बान्ध देना चाहिए सवाया या डेढ़ा, कुछ भी बान्ध दो, लेकिन दुगुना और चौगुना क्यों करवाते हो? यह कौन करवाते हैं? यह आप करवाते हैं। दूसरे करवाते हैं···

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : बनिये करते हैं।

श्री विट्ठलभाई : जनसंघ वाले बनिये कुछ भी हो, लेकिन भाव बान्धने की कोशिश करें। हमारे राज्यपाल महोदय ने जो विवरण दिया है उसमें अनाज सस्ता

(श्री विट्ठल भाई)
बताया गया है। क्यों सस्ता पाया गया? उसने उसमें क्या कमाया? हमारे इलाके में सस्ती कपास बिकी और अच्छे भाव पर नहीं बिकी तो उसके कारण क्या हुआ कि वह रकम तो खर्च पानी में पूरी हो गई और उसके आगे वे कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। आखिर काश्त में कितनी मेहनत पड़ती है, कितना पैसा लगता है। जब वह नाज या कपास खेतों में बोता है और वह सस्ते भावों में बिकता है तो वह परिवार को कैसे पालेगा? बच्चों को कैसे पढ़ायेगा और शादी विवाह कैसे करेगा? आप ध्यान देते नहीं हैं उस मामले पर।

इसी तरह से यह बिजली का है। बिजली कहां ले गये। खेत कहां होते हैं? शहरों में होते हैं? आज कुए के लिए मांग है बिजली की आज गांवों में खेतों को पानी मिलना चाहिए और बिजली मिलना चाहिए। यह आपका भी नारा है और बरसों से हम लोग कहते आये हैं कि खेतों में बिजली दो और खेतों में पानी दो तभी देश का भला हो सकता है, लेकिन क्या किया आपने? जहां के नेता अच्छे थे, कांग्रेस के थे, उनके गांव में बिजली आ गई, उनके गांवों में तालाब बन्ध गये और जहां से विरोधी दल के जीते वह दुश्मन बन गये। वहां पर आपने बिजली नहीं दी, तालाब नहीं बान्धे। नाथूरामजी कह रहे थे कि क्या नहीं हुआ? आपके इलाके में आप जीतकर आ गये तो 1-2 तालाब बन गये तो क्या हुआ? बांसवाड़े में बहुत बड़ा सूखा है, क्या किया आपने 25 साल में?

श्री रोशनलाल शर्मा : आपने क्या किया?

श्री विट्ठल भाई : हमारे पास राज्य होता तो सब कुछ कर सकते थे और आपको नहीं लेते। यह क्या बात कर दी कि आपने क्या कर दिया? यह बात छोड़िये।

श्री नाथूराम : आपके क्षेत्र में टी.डी.सी. ब्लाक था।

श्री लक्ष्मण सिंह : अगर नहीं बनोगे कांग्रेसी तो विनाश होगा और अभी भी विनाश होग।

श्री मनोहरलाल : चार आने में कांग्रेसी बनते हैं।

श्री सभापति : आपस में कृपया बात-चीत न करें। आप अपना भाषण दें।

श्री विट्ठलभाई : मैं बिजली के विषय में अपने जिले के लिए कहूंगा।

मेरे जिले में बिजली थोड़े से हिस्से में दे रखी है। सारा इलाका पड़ा हुआ है। अभी मैंने राज्य सरकार को लिखा। चम्बल से आई हुई बिजली मेरे क्षेत्र से 6 मील दूर है। जैसे सरवन है वह हमारे जिले से 6 मील दूर है। राज्य सरकार को मैंने लिखा है। लेकिन उसके लिए कहते हैं कि वोट देंगे तो हम बिजली देंगे। आप कुए बनवायें, बिजली लगवायें आप ये काम करके उनको अपना बनालो। पहले ये चीजें बनाई जायें तो वोट आप को मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मतलब है। जनता का बहुमत है। यह तो जनता है, आप को वोट दे या नहीं दे। आप सत्ता में है, काम करो। आप की जिम्मेदारी है। काम कराना आप की जिम्मेदारी है। हमारी सत्ता होगी तो

Page No 46

(श्री विट्ठल भाई)

हमारी जिम्मेदारी होगी। आपकी सत्ता ही तो आप की जिम्मेदारी है। आप अच्छा काम करेंगे तो हम मानेंगे। लेकिन यह नीति दिखाना कि आप सत्ता के हैं और वहां से सत्ता वाला नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : समाजवाद है इसलिए।

श्री विट्ठल भाई : 6 मील दूर बिजली हमारे इलाके से है। बांसवाड़ा तक सड़क आ गई है। सारे इलाके में बिजली आ सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घंट.)

(विराम)

हां एक शक्कर के भाव के बारे में मैं भूल गया।

एक माननीय सदस्य : आप गुड़ की बात करें।

एक अन्य माननीय सदस्य : गुड़ और शक्कर एक ही भाव है।

श्री लक्ष्मणसिंह : टके सेर मूली टके सेर खाजा।

एक माननीय सदस्य : यह आप के राज में होता था।

श्री लक्ष्मणसिंह : अन्धेर नगरी गबरगंड राजा।

एक माननीय सदस्य : गुड़ तो कुम्भा राम खाकर अमर हो गये हैं।

श्री विट्ठल भाई : गरीब लोगों को शक्कर मिलती नहीं है। कूपन लिये फिरते है। आप को कम से कम कन्ट्रोल की चीनी को तो ऐसा रखना चाहिए कि वह लोगों को ठीक भावों पर मिल सके। पहले का तो यह मालूम हुआ था कि पहले जब कन्ट्रोल होता था तो लोगों ने उसको बेच खाया। उन्होंने अपना पैसा कमाया। गरीबों को शक्कर नहीं मिली। इसकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

थोड़ा सा मैंने बांसवाड़ा जिला के लिए उद्योगीकरण के लिए कहा है, उसके लिए बोल दूं। वहां पर कोई उद्योग नहीं है। न वहां पर कोई कारखाना या मिल है। सिर्फ अकाल के ही काम वहां पर चालू किये हैं। बांसवाड़ा में 90 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। जमीन कम है। आप उद्योग बढ़ावें तो काम चल सकता है। जमीन आप के पास रही नहीं है। जितने भी बेकार लोग हैं, उनको धन्धा मिलना चाहिये। उद्योग वहां ज्यादा से ज्यादा खुलने चाहिए। भूमिहीनों को जमीन नही मिल पा रही है, वह उनको मिलनी चाहिए। लोगों को जमीन मिली नहीं है वह जूते रगड़ते फिर रहे हैं। मैं थोड़ा सा मेरे जिले के बारे में कहूंगा। मेरे जिले में जंगल का एरिया ज्यादा है। उस जंगल के एरिया से आपको जमीन निकालनी पड़े तो आपको निकालनी चाहिए। मैं इस बात को विधान सभा में बार बार कहता आ रहा हूं। वहां पर 50 प्रतिशत जंगल कर रखा है। बाकी रैवेन्यू की जमीन है। इसलिए उस जंगल से जमीन को निकालना चाहिए। तभी वहां पर जमीन की समस्या हल हो सकेगी। इतना कह कर मै अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, गवर्नर महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, राज्य सरकार ने जो उपलब्धि की है, उसमें उनका लेखा जोखा है और, आगे हम विधान सभा में क्या करेंगे, इस पर विचार करना है। नव निर्वाचित विधान सभा में जो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, उनको क्या करना है इसका उन्होंने अपने अभिभाषण में इशारा किया है। सभापति महोदय, इस बार जो जनता ने कांग्रेस को जिस बहुमत से भेजा है, उससे जनता बहुत उत्साहित प्रतीत होती है। जनता कुछ परिवर्तन चाहती है। जिस होड़ से निर्वाचन क्षेत्रों में, जनता ने जिस उत्साह से मतदान किया है, बुढ़ों ने और अन्धों ने जिस उत्साह से मतदान किया है, वह लहर है जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गान्धी की 'गरीबी हटाओ', 'समाजवाद लाओ' की है। गरीबों की जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं पर हमें विधान सभा में विचार करना है और, उस परिवर्तन को गवर्नर महोदय ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है। हमें इस सत्र में उस पर विचार करना है। जनता की जो आशाएं हैं, उनको किस प्रकार से पूरा करना है। सभापति जी, पिछले कई वर्षों से इस राजस्थान में, आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, राजस्थान में एक पूर्वी राजस्थान है, एक पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में पिछले कई वर्षों से भयंकर अकाल आये हैं। राज्य सरकार की ओर से कुछ कार्य किये गये हैं। लोगों का पेट भरने के लिए कुछ व्यवस्था की गई हैं। परन्तु वास्तविक रूप से जनता को क्या मिला है और आगे क्या मिलेगा, इस विधान सभा में यह विचार करना है।

सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में आप को मालूम है कि इस विधान सभा में बार बार हमने विचार किया है। पश्चिमी राजस्थान में पीने के पानी की समस्या गम्भीर है। पीने के पानी के लिए राज्य सरकार ने अब तक जो कार्यवाही की है, वह अपर्याप्त है। पश्चिमी राजस्थान में राज्य सरकार ने ट्यूब वेल खोदे हैं। अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के जरिये से एक्सपेरीमेण्ट्स किये हैं। वहां कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां का पानी काफी खारा है। दूर से पीने का पानी पहुंचाने की समस्या काफी गम्भीर है। इसकी ओर मैं विशेष रूप से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां लोगों को पांच पांच, सात सात मील से पीने का पानी ले जाना पड़ता है। उस क्षेत्र के लोगों ने बेहद छोटी इच्छा जाहिर की है कि उनकी समस्या हल हो। पिछली बार यह कहा गया था कि ऐसे किसी भी क्षेत्र में दो किलोमीटर से अधिक दूर पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिये राजस्थान सरकार को विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। विधान सभा में कई बार यह प्रश्न आया है। मैं इसके लिए राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार पर जोर डाले। पश्चिमी राजस्थान में पीने के पानी की समस्या को शीघ्र ही हल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीलिंग कानून को गवर्नमेंट ने लागू करने का ज्यादा जोर दिया है। मेरा कहना है कि जो जमीन भूमिहीनों को अलाट की गई है, उसका कब्जा उनको नहीं दिया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गया है। पहले एक हाई पावर कमेटी गवर्नमेन्ट ने इसके लिए गठित की थी कि कानून का पालन हो। दुर्भाग्य से उसकी एक ही बैठक हुई। उसके द्वारा पूरी तरह से कार्य नहीं किया गया है। नतीजा यह हुआ है कि जमीन के अलाटमेण्ट के आंकड़े तो हजारों दिखाई पड़ते हैं किन्तु वास्तव में जब उन क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां के पटवारी और राजस्व के अधिकारी बहुत कम ध्यान देते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने जो हाई पावर कमेटी बनाई थी, उसके द्वारा पूरा ध्यान दिया। जब भी जमीन दी जाये, प्लाट काट कर पूरा कब्जा दिया जाये। अगर देखा कि कोई बड़े नाम वाला है तो उसको कब्जा दिया जाता है। पटवारी लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। जो बड़े लोग हैं, उनको कब्जा दे दिया जाता है। बाकी जो गरीब लोग हैं, उनको नहीं देते हैं। मैंने एक प्रश्न के जरिये से पूछा था। तो आवंटित आंकड़े तो मिलते हैं। लेकिन वास्तविक कब्जा नहीं मिलता है। अन्धाधुन्ध अलाटमेण्ट हुये हैं। इसीलिए कब्जा नहीं मिला है। जिन्होंने ऐसे आवण्टन किये हैं, उन अधिकारियों पर अनुशासन की कार्यवाही करनी चाहिए। उन पटवारियों और अधिकारियों को सस्पेण्ड किया जाना चाहिए। आंकड़ों में तो भूमि आवण्टित हुई है लेकिन वास्तव में भूमि नहीं दी गई है।

सभापतिजी, इसके अलावा दूसरी बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग लगाने की गई है। जमीन पर सीलिंग के लिये कानून बना तो दिया गया है लेकिन उसका [illegible] है। परन्तु अब अर्बन सीलिंग की बात आई है तो अब इसमें देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज संविधान का 24वां, 25वां और 26वां संशोधन भी हो चुका है, तो हमारी विधान सभा को शीघ्र ही अर्बन प्रापर्टी के बारे में कानून बना देना चाहिये। आज शहरों में जो बड़े बड़े मकानात हैं उन पर कुछ लोगों की आंखें लगी हुई हैं। यह सही है कि अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग का कानून काफी कम्प्लीकेटेड होगा, लेकिन जो भी कुछ है, हमें वह कानून तुरन्त बना देना चाहिये ताकि हम विधान सभा में गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकें, जो लोगों की भावनायें हैं, जो लोगों के सामने आर्थिक असमानतायें हैं उनको दूर करने के लिए जो सीलिंग शीघ्र लगाने की आवश्यकता है–उस बारे में सरकार को निर्णय करना है। यदि इस निर्णय को करने में देरी की गई तो लोगों में बेचैनी है वह बढ़ेगी और जिस उत्साह के साथ उन्होंने हमें भेजा है, उस उत्साह की जगह निराशा उनमें पैदा होगी। साथ ही यदि देरी हुई तो जनता ने जो फैसला किया है, उसे पलटने में भी देरी नहीं लगेगी। इसलिए जिस उत्साह से जनता ने हमें भेजा है उसी उत्साह से राज्य सरकार को काम करने की आवश्यता है। जो भी कानून राज्य सरकार को बनाना है जो भी घोषणा इस बारे में राज्य सरकार को करनी है, वह शीघ्र ही सदन के सामने आ जानी चाहिए। जो गवर्नर महोदय ने इस अभिभाषण के अन्दर घोषणा की है उनको उनको शीघ्र इम्पलीमेन्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि शीघ्र ही कानून इस विधान सभा के इसी सत्र में सदन में आये ताकि हम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
उस पर विचार कर सकें।

सभापति जी, जो काश्तकारों के सामने गम्भीर समस्या आती है वह उनका उत्पादन है, प्रड्यूस है, उसके मार्केटिंग का प्रश्न है। यह गम्भीर समस्या आम आदमियो की समस्या है। इसके बारे में राज्य सरकार की ओर से कोई स्टेप्स नहीं उठाये गये हैं, जब भंयकर अकाल होता है उस समय सौ, सवा सौ रुपये में क्विन्टल अनाज के भाव देखने को मिलते हैं। उस पर भी अनाज देखने को नहीं मिलता हैं जहां एक फसल होती है। इस सम्बन्ध से विधान सभा के कई सत्र में आंकड़े प्रस्तुत कर चुके हैं, जो उनकी प्रड्यूस होती है। वह बीस, पच्चीस रुपये क्विन्टल में विकती है लेकिन उस समय अकाल वर्ष में सौ सवा सौ में भी नहीं मिलती है। तो कहां सौ, सवा सौ रुपये और कहां बीस पच्चीस रुपये। यह क्यों है? इसका कारण है मार्केटिंग की दुर्दशा और आवागमन के साधनों का अभाव। इस कारण जो प्रड्यूस की प्राइस उन्हें मिलनी चाहिए उसकी गारन्टी नहीं है। इस बारे में राज्य सरकार को शीघ्र विचार करने की आवश्यकता है। यह आम काश्तकारों का प्रश्न है। आज जो ग्रामीण है, उनमें जो भूमिहीन है, उनको भूमि दी जा रही है, वह उस भूमि पर ही निर्वाह करते हैं। इसलिए जब वह अपनी फसल को लेकर बाजार में जायें, जो उत्पादन वह करते हैं, उस प्रोड्यूस को लेकर बाजार में जायं तो उनको सही भाव मिलें। इसलिए इस समस्या का समाधान राज्य सरकार को करना चाहिए। मार्केटिंग कमेटी और मण्डी कमेटी का कानून बना, उनका इम्प्लीमेंटेशन तेजी से किया जाना चाहिए। आज उस कानून की कुछ हिस्सों में दुर्दशा की गई है उससे थोड़ा बहुत रिलीफ काश्तकारों को मिलना चाहिए वह कुछ इलाकों में नहीं मिला है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के अन्दर शिथिलता बरती गई है। यह क्यों? इसका कारण यह है कि बिजनेस मैन हैं, जो व्यापारी लोग है, वह आकर अपना असर जमा लेते हैं और इस कारण कानून का इम्प्लीमेंटेशन जिस शीघ्रता से किया जाना चाहिए वह नहीं होता है। इस बार जिस उत्साह के साथ कांग्रेस के बेंचों पर लोग जीत कर आये हैं उनको इस शिथिलता को कम करना होगा और जो शिथिलता बरती जाती है उसको चैक करना होगा। जो कानून बने उसका इम्प्लीमेंटेशन शीघ्र होना चाहिए। आज सभापतिजी, कानून इम्प्लीमेंटेशन में राज्य सरकार के स्तर पर देरी होती है और राज्य कर्मचारी कानून को फलाउट करते हैं, वह नियमों की अवेहलना करते हैं, कानून की जो सतर्कता से अमल करने की आवश्यकता है उसके बजाय जो कानून बनता है उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे के स्तर पर जाकर शिथिलता से या ऐसे ढंग से किया जाता है कि जो फायदा कानून का लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। इसलिए, सभापतिजी, राज्य कर्मचारियों को जो जनता का इशारा है, जनता का जो इस समय उत्साह है उसे समझ लेना चाहिए और जो कानून की मन्शाह है, जो रूल्स रेगुलेशन्स हैं, जो इनको मन्शाह है, उनका इम्प्लीमेंटेशन जनता की भावना को मद्दे नजर रखते हुए सही होना चाहिए– यह कहना में उचित समझूंगा।

इसके अलावा सभापतिजी, जो फसल के लिए प्रोडक्शन के लिए उर्वरक की आवश्यकता है और जो उर्वरक देने से प्रोडक्शन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बढ़ा है वह बात सही है । काश्तकारों को उर्वरक की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये । इस बारे में निवेदन है कि फर्टीलाइजर कोपरेटिव सेक्टर के जरिये वितरित होता है । पहले पंचायत समिति के जरिये होता था लेकिन वह फर्टीलाईजर काश्तकारों को मौके पर उपलब्ध नहीं होता है । उर्वरक को लेकर एक्स्प्लोईटेशन होता है, उर्वरक का ब्लेक मार्केटिंग होता है । इसलिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सहकारिता विभाग को, सतर्कता के साथ काम करने की आवश्यकता है । काश्तकारों को सुविधा प्रोडक्शन के लिए सुविधा प्राप्त हो—उसके मौके पर वितरण की व्यवस्था की जाय

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

सभापति जी, इन शब्दों के साथ गवर्नर महोदय ने कृपापूर्वक इस सदन में आकर बातें कहीं हैं उनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री विट्ठल भाई ।

कई माननीय सदस्य : बोल गये ।

श्री **परसराम मदेरणा** : बोल गये ।

श्री **सभापति** : माननीय श्री सुरेशचन्द्र ।

श्री सभापति : श्री सुरेशचन्द्र । (अनुपस्थित)

श्री सभापति : श्री मूलचन्द । (अनुपस्थित)

श्री सभापति : श्री गोवरधन सिंह (अनुपस्थित)

श्री सभापति : श्री ललितसिंह ।

श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया इस सदन में उसके समर्थन में राज्यपाल महोदय, को धन्यवाद देते हुए, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । सभापति महोदय, इस प्रदेश में समाजवाद की लहर ऐसी चली हमारे यहां की जो लाल झन्डिया, व हरी झन्डिया व पीली झन्डियां दिखती थीं वह सभी समाजवाद की हवा से बह गयीं । सभापति महोदय, वह लाल, पीली व हरी झन्डियां वाले सदस्य सिर्फ इस सदन में ही गायब नहीं हुये बल्कि उनका पूरे प्रदेश से ही सफाया हो गया है । जो राजे महाराजे थे उनके बाजे जनता ने ऐसे बजाए कि सभी इस समाजवाद की लहर में बह गये । मुझे आज यह कहने में बड़ा हर्ष होता है कि आज जनता का दृष्टिकोण सिर्फ समाजवाद का रह गया है—आज की मांग है समाजवाद की । आज राजस्थान की गरीब जनता को राजे, महाराजाओं की आवश्यकता नहीं और न ही आवश्यकता है, पूंजीपतियों की सभापति महोदय, जो हमारे भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्द्रा गांधी ने समाजवाद का नारा दिया है वह समाजवाद हमारे भारत में आकर रहेगा । हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व न सिर्फ हमारे राजस्थान का ही इतिहास बदलेगा अपितु पूरे भारत का ही इतिहास बदल जायेगा । हमारे राजस्थान ने बड़े बड़े इतिहास बनाये हैं यहां की जनता हमेशा से ही इतिहास बनाने

(श्री ललितसिंह)

वाली रही है और अबकी बार इन चुनाव में वोटों के माध्यम से नया इतिहास बनाया है। सभापति महोदय, जनता ने हम में विश्वास व्यक्त किया है और अगर हम उन्हें कुछ करके राहत नहीं पहुँचायेंगे तो इसके नतीजे गम्भीर होंगे। आज राजस्थान में हालांकि सीलिंग कानून की घोषणायें विधान सभा में कई बार हो चुकी है परन्तु अभी तक उसकी क्रियान्विति नहीं हो सकी है अतः मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को उसे तुरन्त लागू किया जाना चाहिये। जो जमीनें राजे महाराजाओं के पास थी वह उनसे जल्दी से जल्दी सीलिंग के तहत में लेकर राजे महाराजाओं के परिवार वालों को न देकर गरीब आदिवासियों जो हरिजनों को व भूमिहीनों को ही बांटी जानी चाहिये। इसके अलावा सम्पत्ति जो राजे महाराजाओं की है, वह उनसे सीलिंग लगा कर वहां महलों में सरकारी दफ्तर न खोलों जाकर गरीब आदिवासियों व हरिजनों में बांटी जानी चाहिए। वह महल हरिजनों में बांटे जाने चाहिये। इसके लिए सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। इसके अलावा में आपसे एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि अब की बार से जब इलेक्शन हुए तो मुझे वहां पर कई प्रकार की समस्यायें वहां की जनता की जाननी पड़ी जिनका निराकरण करना सही माने में समाजवाद लाने के लिये आवश्यक है। सभापति महोदय, आज राजस्थान के प्रशासन में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं जिनका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। आज वोटर इतना समझदार होगया है, आज का व्यापारी बहुत स्वाभिमानी होगया है, आप जहां जायेंगे वहां आपको वोटर पानी बिजली की बात नहीं करेंगे, सड़क बनाने की बात नहीं करेंगे, पर आज जो राजस्थान सरकार के प्रशासन के छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनके परेशान होने की बात जरूर करेंगे। मैं जहां भी गया वहां पर छोटे मोटे व्यापारियों ने माप और बांट तोलने वाले कर्मचारियों की शिकायतें की। इसके लिये मैं आपके मारफत राज्य सरकार से निवेदन करता हूं सभापति महोदय की कुछ ऐसी व्यवस्थायें की जाय कि व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाय। जहां तक पुलिस का व रेवेन्यू का सवाल है यह तो आमतौर से शिकायत रहती है कि गरीब जनता को पुलिस व रेवेन्यू वाले परेशान करते रहते हैं। अगर हमें समाजवाद लाना है तो इसमें तब्दीली लाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अलावा सभापति महोदय मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि रेवेन्यू विभाग में भी काफी गड़बड़ियां हैं। जंगलात के मामले के बारे में भी आपसे निवेदन करदूं कि आज जंगलों के विकास के बारे में बात की जा रही है सभापति महोदय आज जंगलों की बदतर हालत होगयी है। आज राजस्थान बने बीस साल हो गये हैं मैं आपसे निवेदन करदूं सभापति महोदय की जो हालत जंगलों की इन पिछले बीस वर्षों में खराब हुई है वह हालत पिछले सैकड़ों सालों में भी नहीं हुई। आज हमारे इलाके में जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। जो जंगल हमारे यहां बैंक बैलेन्स का काम करते थे वे अब प्रायः समाप्त से हो रहे हैं। मैं मेरे रेन्ज वासी की बात करता हूं जहां की बहुत ही हाई फोरेस्ट था। उन जंगलों को काटा गया है। पिछले

Page No 52

(श्री ललितसिंह)

25 वर्षों में सभापति महोदय, इस इलाके से करीब 1 करोड़ रुपये की आमदनी इन जंगलों के काटे जाने से हुई, होगी परन्तु उसमें से 20 प्रतिशत भी, हमारे इलाके पर, जो आदिवासी हैं, जो हरिजन हैं, उनके और इस इलाके के विकास के लिये खर्च नहीं किया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि यहां के लोग जो पहले ही गरीब और पिछड़े थे वह आज भी गरीब और पिछड़े हुए हैं । उनके विकास के लिये जल्दी ही कार्यवाही की जानी चाहिये । आज जब आपने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करदी है और आपने डिपार्टमेंटल वर्क्स खोले हैं, तो उनमें आपने शहर के लोगों को नौकरी में लगा रखा है, जितनी भी वहां सहकारी समितियां हैं उनमें सभी में शहर के लोगों को भर रखा है । इसलिये इसके लिये सुझाव है कि राज्य सरकार को चाहिये को वहां जो लोग शहर के कार्य कर रहे हैं, उन्हें तुरंत हटाकर वहां पर उसी इलाके के जो हरिजन हैं, वहां के जो आदिवासी हैं, उन्हें उनकी जगह काम मिलना चाहिये । और एक बात मैं आपको जो निवेदन करना चाहता हूं वह है कि जंगलात के जितने भी डिपार्टमेंटल वर्क्स चल रहे हैं उनमें कई प्रकार के घोटाले हैं उनमें जो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये । सभापति महोदय, वहां पर ठेकेदारों ने सैंकड़ों ट्रक प्राइवेट फौरेस्ट में से और सरकारी जंगलों में से काट कर बाहर भेज दिये हैं । मैं आपको एक उदाहरण दूं, सभापति महोदय, एक ठेकेदार ने प्राइवेट बीड में से सरकारी जंगलात के बीस हजार फलदार पेड़ काट डाले और उसकी लकड़ी काट कर बाहर भेज दी मैंने उस वक्त श्री परसराम जो मदेरणा जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्हें और भीखाभाई वन मन्त्रीजी को व श्री बरकतुल्ला साहब जो मुख्य मत्री थे, उन्हें तार दिया और इसको रोका जाये, परन्तु मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया और न उस ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही ही की । आज जंगलों को तहस नहस किया जा रहा है और ठेकेदार लोग सरकारी वनों की लकड़ी को काट कर लेजा रहे हैं । और वन विभाग का रेन्जर वहां पर सोता रहता है इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि जंगल जो कि हमारे बैंक बेलेन्स है, उन्हें खतम नहीं किया जाये और उनकी रक्षा की जाये । आज स्थिति यह हो गयी है ठेकेदार तो अनधिकृत रूप से सरकारी जंगलों को काटकर अनधिकृत रूप से ट्रकों की ट्रकें भरकर ले जायें तो कार्यवाही नहीं की जाती सभापति महोदय, आज चित्तौड़ जिले के और मेरे गांव वासी जो बड़ी सादड़ी के इलाके में आता है वहां पर इन ठेकेदारों ने सुन्दर और घने जंगल जो ये उन्हें तहस नहस कर दिया है । लोकल फोरेस्ट की यह हालत कर दी बुरी तरह से काट काट कर कि वहां जंगल तो नाममात्र का सा ही रहा है । आज अगर गांव का गरीब किसान एक गाड़ी भी भर ले तो वह रेन्जर और दूसरे वन विभाग के कर्मचारी उन पर पेनेल्टी सवाई लगा देते । और परेशान करते हैं जंगलों की उस जगह कमी नहीं थी यहां पर आज इस तरह की हालत है कि अगर वहां पर कोई मर जाय तो उस मुर्दे को जलाने के लिए गांव वालों को अपने

(श्री ललितसिंह)

घरों से एक लकड़ी लानी पड़ती है। सभापति महोदय, आज जब हम समाजवाद की बातें करते हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं, तो राज्य सरकार को इस प्रकार के रास्ते अपनाने होंगे जिनसे वहां के जो आदिवासी हैं, वहां के जो हरिजन व गरीब हैं, उन्हें राहत देनी होगी। हमें अपनी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन करने होंगे और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जब हम हमारे इलाके में जावेंगे तो उन इलाकों में हमें पकड़ कर मारेंगे। हमारे जंगलों की हमें रक्षा करनी होगी। हमारे जंगल ऐसे घने और सुन्दर थे कि इन जंगलों से आप सौ गज से हाथी नहीं देख सकते थे वहां पर अब आप दो मील से खरगोश भी देख सकते हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि जंगलों की रक्षा की जाय। और जंगलों के बारे में जो राज्य सरकार की नीति है वह चेन्ज होनी चाहिए। और जो हमारे इलाके के जो गांव हैं, वहां जो आदिवासी हैं, जो हरीजन हैं, उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभापति महोदय, आज राजस्थान बने 20 वर्ष हो गए पर राज्य सरकार ने वहां की जनता के लिए जो भी काम किया है वह नगण्य हो है। राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए 10–15 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो जंगलों से आय होती है वह हमारे इलाके चित्तौड़ जिले के गांवों में खर्च होना चाहिए। वहां जो डिपार्टमेंटल वर्क्स है उनमें से शहरी लोगों को निकाल कर हमारे वहां के आदिवासियों को काम दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आपके जंगलात से आय काफी बढ़ जायेगी। जो चोरियां वहां जंगलों की होती है वह खतम हो जायेगी, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। इस प्रकार जंगलों की समस्या के साथ वहां के आदिवासियों और हरिजनों की बेरोजगारी की कुछ समस्या हल होगी।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ वह विद्युतिकरण के लिए। आज राजस्थान में कई जगह विद्युतिकरण के लिए काम हुआ है पर सभापति महोदय, हमारे चित्तौड़ जिले और हमारे गांवों में कोई प्रगति नहीं हुई है। राज्य सरकार की यही नीति रही है की जब कभी बिजली देने की बात हुई तो वहां न लगकर आज बिजली लग रही भीलवाड़ा जिले में, या बिजलीलग रही है उदयपुर में। आज उदयपुर में तो फतेहसागर पर आपको ट्यूब लाईटें लगती हुई मिलेगी, वहां चाहे उन पर मच्छर भिनभिनाते रहे हों पर हमारे यहां के काश्तकारों को बिजली उपलब्ध नहीं हुई। हमारे यहां की स्कूलों में जाने वाले बच्चे बिजली नहीं होने से परेशान हैं, काश्तकार परेशान है। बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि जो चित्तोड़ जिला विद्युतिकरण में पिछड़ा हुआ है वहां पर तुरन्त प्राथमिकता देकर विद्युतिकरण होना चाहिए। ताकि वहां के गरीब आदिवासी हैं उनके बच्चे पढ़ सकें। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं अभी जिस दिन मुख्य मन्त्री जी का चुनाव हुआ था तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं मेरी कान्सटिटूएन्सी में सब कुछ करूं बाकी में कुछ नहीं करूं तो उचित

(श्री ललितसिंह)
नहीं होगा । तो नहीं होगा उन्होंने मंत्रीयों को सलाह दी कि सब कान्सीट्यून्सी को एक साथ बर्ती जाय यह खुशी को बात है अगर मंत्री लोग अपनी कान्सटीट्यूएन्सी में ही काम कराते रहे तो फिर सभापति महोदय, आज राजस्थान की ढाई करोड़ जनता है उनका क्या होगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी जगह पर काम किया जाना चाहिए व मुख्य मंत्री की सलाह सब मंत्री माने ।

बैंकों का जहां तक सवाल है, बैंक सुविधायें भी अभी तक गावों में ठीक तरह से नहीं हो पाई हैं । जिनका जरिया है वह लोन ले लेते हैं लेकिन हमारे यहां न तो शाखायें खुल पाई हैं न लोन ठीक तरीके से दिया गया गया है ।

भूमि आवंटन में गड़बड़ होती है । चेयरमेन कमेटी का एस.डी.एम. होता है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि आवंटन कमेटी में विधायक भी सदस्य होता है । जिस दिन एलाटमेंट हों, उसी दिन ऐसी व्यवस्था की जाये, काश्तकारों को उसी दिन पट्टा मिल जाए बाकी हम लोग निर्णय लेते हैं तो बाद में तहसीलदार वगैरह को पैसा देकर पट्टा लेते हैं फिर तो काश्तकार बाजार से ही क्यों न जमीन खरीदे । इसलिए मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि प्रशासन के अन्दर रैडीकल चेंजिंग करनी पड़ेगी । स्वाभिमानी लोगों को जो समय समय पर सरकारी कर्मचारियों के आगे नीचा देखना पड़ता है, इसमें परिवर्तन लाना चाहिये ।

वन प्राणियों के बारे में कहा गया कि उनकी रक्षा की गई और सैंचूरीज खोली गई है लेकिन वन प्राणी राजस्थान में जिस बुरी तरह से मारे जा रहे हैं, शायद सरकार न जानती होगी हमारे इलाके में सैकड़ों की संख्या में पैंथर थे, जंगली मुर्गे थे, उनके 10 परसेंट भी आज जंगल में नहीं मिलते । कारण यह है कि पोचर्स इतने बढ गये हैं कि हमारे कई माननीय सदस्य, भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, वह सेंक्चूरी में जाकर शिकार करते थे । इस तरह से न करके उनकी रक्षा की जाय ।

श्री **हरिसिंह बेंगू** : शिकार तो आपने काफी किए ।

श्री **ललितसिंह** : मैंने तो बड़े बड़े शिकार किए जिनमें राजा महाराजा और दीपक बुझ गए ।

श्री **गिरधारी लाल भार्गव**: अभी भी आप उनकी वकालत करें तो शोभा नहीं देता एक ओर तो कांग्रेस पार्टी की आलोचना करें और दूसरी ओर···

श्री **ललितसिंह** : जो सही बात है वह कहता हूं और कहूंगा ।

श्री **सभापति** : श्री फारूक हसन ।

श्री **फारूक हसन** (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसको में समर्थन करता हूं । चुनाव से पहले मुख्तलफ पार्टियों ने मुख्तलफ बातें जनता के सामने रखी । किसी ने समाजवाद की बात कही किसी ने विनाश की बात कही और

[redacted]

(श्रीफारूक हसन)

जनता ने फैसला किया। उस समय हम आशा करते थे कि जनता किस दृष्टिकोण का समर्थन करती है। जनता ने कांग्रेस को जिताकर समाजवाद का समर्थन किया। एक भारी बहुमत विधान सभा में कांग्रेस को दिया। अब यह तो जिम्मेदारी हमारे पर आ पड़ी है उससे जनता हमसे कुछ चाहती है। वह चाहती है कि गरीबी दूर करने का जो नारा दिया था वह गरीबी दूर हो और समानता भी आये। जहां तक हकूकों का सवाल है, संविधान में इस बात की जमानत दी गई है कि हकूकों की सुरक्षा हो। इसके लिए रास्ता है कि हम अदालतों में जाकर हकूकों कि रक्षा करें। जब यह बात सामने आती है कि आदमी के अधिकार सुरक्षित रहे और कोर्ट ऑफ ला में जाने के बाद उनकी शरण लें तो जहां यह बात सामने आती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुख और आराम मिले तो उसमें जहां इन्साफ की बात आती है, वह ऐसे किस्म का हो कि वह सस्ता और जल्दी मिल पाये कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि राजस्थान हाईकोर्ट में 14 हजार कैसेज पेंडिंग हैं। जहां सस्ते और जल्दी न्याय की बात सामने आती है आज हमारे सामने और जनता के सामने यह कठिनाई है, काफी दूर फासला तय करने की बात करके न्याय लेने की बात सामने आती है। हमारे यहां हाई कोर्ट जोधपुर में है और वह सेंट्रल प्लेस नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता, कि हाई कोर्ट वहां से हटा ली जाए। उसको अवश्य कायम किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जहां हमारी जिम्मेदारी है कि सस्ता और जल्दी न्याय मिले तो ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे वह वाकई में जल्दी मिले जो जयपुर में बैंच थी वह अगर फिर यहां कायम हो जाती है तो सेंट्रल प्लेस होने के नाते इन्साफ सही तरीके से और जल्दी मिल सकेगा।

जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण का ताल्लुक है, जो गोया, कांग्रेसी विचार धारा की बात है पूरे भाषण को अच्छी तरह से गौर किया गया है। मैं उससे सहमत हूं लेकिन जहां तक ओइल रिफाइनरी की बात है भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने इस बात का आश्वासन दिया था कि ओइल रिफाइनरी राजस्थान में कायम होगी और इस सिलसिले में सवाई माधोपुर में टेक्नीकल समिति कि रिपोर्ट के अनुसार कायम करनी थी। इतनी बड़ी रिफाइनरी जहां पर हजारों मजदूर काम करते हैं हजारों बेरोजगार आदमी काम पर लग सकते हैं मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का उद्योग यदि राजस्थान में टेक्निकल समिति की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर इन्सटाल हो जाता है तो बेरोजगारी दूर करने की जो राज्य सरकार पर जिम्मेदारी है वह मिट सकती है और हजारों आदमियों को रोजगार मिल जाएगा और इस तरह जो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है वह साल्व हो सकती है।

वैसे सड़कों वगैरों का जिक्र भी राज्यपाल महोदय के भाषण में है लेकिन

(श्री फारूक हसन)
वैसे माननीय सदस्यों ने कहा था सवाई माधोपुर क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में हमने देखा बहुत सी सड़कें इस किस्म की हैं जो काफी समय पहले मुकम्मल होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर तर बाउटी से खेरली। इस प्रकार कई सडके थीं। आज से 10 साल पहले 1957–62 में जब से मेरे भाई इस सदन के सदस्य थे, एक सड़क स्वीकृत हो चुकी थी लेकिन आज तक वह नहीं बन पाई। समझ में नहीं आता कि सड़कों का निर्माण कार्य कैसे होता है? मेरा मानना है कि शायद निर्माण कार्य होता ही नहीं है। इसलिए आज कथनी और करनी वाली बात आती है। जहां तक इम्पलीमेंटेशन का ताल्लुक है उस पर सरकार की नजर नहीं पड़ी।

जहां तक लैंडलेस को जमीन एलाट करने का ताल्लुक है सवाई माधोपुर में यह पोजीशन आ चुकी है कि वहां पर कोई जमीन एलाटमेंट के लिए उपलब्ध नहीं है। एक तरीका इस बात का निकाला कि सीलिंग के जरिए लैंडलेस को जमीन एलाट हो जाए लेकिन जब सीलिंग की बात आई तो सवाई माधोपुर में एक हजार नोटीसेज लोगों को दिए गए लेकिन एक हजार में से सिर्फ 10 आदमियों की जमीन ली, वह भी बहुत कम। हजारों बीघा जमीन सीलिंग के अन्दर आनी चाहिए थी लेकिन दसवां हिस्सा भी नहीं लिया। तो इस तरह पूरे सब-डिविजन में एलाटमेंट नहीं हुआ। तो यह जो बात कहते हैं कि हम एलाटमेंट करेंगे तो एलाटमेंट करनी चाहिए, तह जमीन है, रबड़ से तो खींची नहीं जा सकती।

कुछ फारेस्ट लैंड को सवाई चक करके एलाटमेंट करने की बात आई थी। इस सिलसिले में एक कमेटी मुकर्रर की गई ताकि फारेस्ट लैंड को सवाई चक में लेकिन एलाटमेंट किया जाय। लेकिन गुजारिश करू कि आज तक कोई मीटिंग उस अलाटमेन्ट कमेटी की नहीं हो सकी। थियोरी वाली बात आती है, योजना की बात आती है, तो वह अच्छी होती है, पर उनका इम्पलीमेन्टेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता या कभी कभी तो होता ही नहीं है।

अलाटमेन्ट का जहां तक प्रश्न है, पहले भी बताया जा चुका है कि अलाटमेन्ट भी कहीं कहीं कर दी जाती है, पर जब उसके पजेशन देने का सवाल आता है तो पजेशन नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? तरीके से पहले देखा नहीं जाता। रेवेन्यू अधिकारी लापरवाह हैं, पहले तो खाली लैंड की इतला दे देते हैं पर पजेशन के वक्त पजेशन नहीं मिल पाता तो इस योजना का जो मकसद है वह भी डिफीट हो जाता है।

तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो अलाटमेन्ट के नियम बनाये हैं उनका कड़ाई से और ईमानदारी से पालन किया जाय।

मैं म्यूटेशन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। इसके रूल्स बने हुये हैं। ये सो मोटो स्वतः सरकार की तरफ से हो जाने चाहिये। पर ऐसा नहीं होता। आदमी को इसके लिये भी दर दर की ठोकरें खानी पडती हैं, दुनियां भर की तवालत उठानी पडती है, दफ्तरों की खाक छाननी पडती

Page No 57

(श्री फारूक हसन)

है पटवारी और गिरदावर के पास बार-बार जाना पड़ता है उनकी खुशामद करनी पड़ती है। और बावजुद तमाम कोशिशों के कई मामलों में तो वह फिर भी म्यूटेशन को साबित नहीं कर पाता। तो मुझे विश्वास है सरकार इस ओर खास तौर से ध्यान देगी।

फोरेस्ट की बात पर आता हूं। माननीय कई सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां डिफोरेस्टेशन हुआ है। सवाई माधोपुर तो बहुत थिकली फोरेस्ट वाला एरिया है। सही बात है। पर यह गुजिश्ता जमाने की बात रह गई है अब तो पहले सवाई माधोपुर शहर में घुसते ही राइट लेफ्ट साइड में दोनों तरफ बहुत उम्दा पहाड़ देखने को मिलते थे और जैसा कि कहा जाता था कि अगर हाथी भी वहां घुस जाय तो सौ गज जाने के बाद नजर नहीं आये। वास्तव में यह हालत वहां थी। पर आज देखा जावे तो बाकायदा तरीके से परमिट नहीं भी मिले, तब भी वह सारा फोरेस्ट बिलकुल साफ नजर आता है। सब अनधिकृत रूप में कट चुका। तो जहां तक योजना बनाने की बात है, मैं आप से सहमत हूं कि योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, पर जहां उनको इम्पलीमेन्ट करने की बात आती हैं वहां कुछ होता नजर नहीं आता। तो कार्य रूप में योजनाओं को परिणत करने की जरूरत है इसके लिये फोरेस्ट के एवं सभी सरकारी अधिकारियों को सख्त ताकीद की जावे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात और निवेदन करू कि यह अलाटमेन्ट भी जहां पर लैंडलेस परसन्स होते है उनको नहीं हो पाता, और इसकी भी वजह यह है कि सही तरीके से सरकारी अधिकारी रिपोर्ट तैयार नहीं करते तो राज्य सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि रेवेन्यू विभाग के जो अधिकारी हैं वे खासतौर से इस ओर ध्यान दें इसकी सख्त हिदायत उनको दी जाय और अगर वे गफलत, लापरवाही और बेइन्साफी करते हों तो उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाय।

इतना ही निवेदन करते हुए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछले वर्ष सरकार ने जो काम किये हैं उसका समुचित ब्यौरा है और आगामी वर्ष के लिये जो कार्य सरकार करना चाहती है उनकी भी विगत है। जिन कार्यों की उपेक्षा की गई है उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

बहुत बड़ा प्रोग्राम, जो बताया गया है वह है जमीन की सिंचाई का जिसके लिये दो करोड़ रुपया प्रत्येक रेगिस्तानी जिले में खर्च किया जावेगा। वह प्रोग्राम इतना अस्पष्ट है कि जिस कारण आज तक कोई रचनात्मक काम नहीं हो सका है कि जिसकी सराहना की जा सके।

वास्तव में तो रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे बड़ा काम है पानी पहुंचाने का। यहां तक

Page No 58

(श्री मोहर सिंह)
कि पीने के पानी की भी वहां भयंकर समस्या है। आज भी अनेकों गांव हैं जहां के निवासी दस दस मील की दूरी से सिर पर घड़ों में भर कर पीने का पानी लाते हैं। साधारण तौर पर जो अकाल-ग्रस्त इलाके हैं उनमें समस्या और भी गम्भीर है। चूरू और बीकानेर जिलों में पीने के पानी की कमी है। अभिभाषण में आश्वासन जरूर दे दिया गया है कि इस समस्या का हल किया जावेगा जितना और जब जब जरूरत होगी। मैं पूछता हूं कि जरूरत कब होगी? कैसे होगी? इसका निर्णय कौन करेगा? सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि यह एरिया आज भी अकाल-ग्रस्त है पर फिर भी व्यवस्था पीने के पानी तक की नहीं की गई। यह तथ्य है। पिछले साल अस्थायी व्यवस्था की गई थी, पर इस साल वह भी नहीं की जा रही। कुछ इलाके ऐसे हैं जो बराबर अकालपीड़ित रहते हैं उन इलाकों में भी पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है।

इस सदन में उस क्षेत्र से आने वाले प्रतिनिधियों ने बार बार इस बारे में मांग की है और अपने निश्चित सुझाव यहां पर रखते रहे हैं कि अकाल रोकने का केवल मात्र एक कारगर उपाय इस इलाके के लिये कोई हो सकता है तो वह यह है कि राजस्थान नहर का पानी ऊंचा उठाकर चूरू और बीकानेर जिलों को दिया जाय। इस सदन में सरकार आश्वासन भी इस बारे में बराबर देती रही है। पर काम कुछ भी ठोस रूप से नहीं किया गया है। वास्तव में यह सोचने की बात है। शर्म की बात है कि हम बातें जरूर समाजवाद की करते हैं, गरीबी हटाने की करते हैं, बड़ा ढिंढोरा इनका पीटते हैं पर जब काम करने का अवसर आता है तो रचनात्मक काम करने से कतराते रहते हैं।

यह योजना बनी थी कि राजस्थान नहर से पानी ऊंचा उठाकर इन इलाकों को दिया जावे। इसके लिये बड़ा आन्दोलन भी हुआ। जनता ने बड़ी मांग भी की। इस क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत एवं पंचायत समिति ने भी प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजे। जिला परिषद् ने भी मांग की परन्तु आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ।

सर्वेक्षण के आदेश भी होते हैं पर बाद में सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। राजस्थान में सिंचाई की जितनी भी योजनाएं है उसमें सबसे अधिक रचनात्मक योजना यह है, लाभदायक है सबसे अधिक, यह सब सोच समझकर केन्द्रीय सिंचाई मंत्री डा. के. एल. राव साहब ने अगस्त, 1966 में आदेश दिया था कि इस योजना को तुरन्त चालू किया जावे। पर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह योजना ठप्प कर दी गई।

इस बारे में मैं सदन का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर दिलाना आवश्यक समझता हूं। यह योजना ऐसे इलाके में से जावेगी जिसमें औसतन 15 इन्च वारिश सालाना होती है। जबकि राजस्थान नहर के प्रस्तावित क्षेत्र में पांच इन्च से कम वर्षा होती है। जहां 15 इन्च वर्षा होती है वहां यदि थोड़ा भी पानी सिंचाई हेतु दिया जावे तो उसका अधिक कारगर उपयोग हो सकता है,

(श्री मोहरसिंह)

ज्यादा फसलें पैदा हो सकती हैं उत्पादन भी ज्यादा हो सकता है और थोड़े पानी में हो सकता है। ऐसे क्षेत्र में थोड़े पानी से अधिक लाभ मिल सकता है बजाय इसके कि जहां पांच इन्च वर्षा होती है। इस पांच इन्च वर्षा वाले क्षेत्र में लोग खेती बाडी नहीं करना जानते क्योंकि इतनी थोड़ी वर्षा में यह सब करना व्यर्थ होता है इसलिये सदियों से वे भेड या गाय बैल ऊंट आदि पशु चराकर अपना जीवन यापन करते आये हैं। वे लोग खेती बाड़ी करना भूल गये हैं। अगर वहां नहर का पानी जावेगा तो वे पशुपालन के अपने धंधे से वंचित हो जावेंगे और दूसरी जगह के लोग जाकर वहां बस जावेंगे। उन पशु पालन करने वाले वहां के मूल निवासियों को धन्धा नहीं मिलेगा उनकी चराई का क्षेत्र अलग से समाप्त हो जावेगा। वे अपने मूल धन्धे से वंचित हो जावेंगे, नया धन्धा खेती करने का वे जानते नहीं, उसके वे अभ्यस्त नहीं इस लिए दूसरे उनको सरपास कर जावेंगे। दूसरी जगह से लोग जो धनी मानी हैं, और जो रिसोर्सफुल लोग हैं वे जाकर बस जावेंगे भूमि अलाटमेंट का झगडा वहां चलेगा क्यों कि नये सिरे से यह सब वहां करना होगा, जमीन आलरेडी वहां सेटल्ड नहीं है। राजस्थान नहर क्षेत्र में जितनी जमीन अलाट हुई है जितना रिटर्न उससे सरकार को मिलना चाहिये था जितनी बेटरमेन्ट लेवी सरकार को मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली वह ? क्या कारण है ? भूमि वितरण अधिकारी गलतियां करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते। झगड़े खड़े करने कराने में वे अपना भला समझते हैं।

(व्यवधान)

इसकी तुलना में चूरू जिले के जिस क्षेत्र में सिचाई योजना प्रस्तावित है वहां की सारी भूमि के अधिकार एकदम निश्चित हैं। वहां के लोगों को खेती करने का अनुभव है और उनके पास खेती करने के लिये पर्याप्त साधन व धन भी है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चूरू जिले में नहर बनाई जावेगी, तो निर्माण का खर्चा राजस्थान नहर के प्रस्तावित खर्चे से बहुत कम जावेगा। इसका कारण है। उस क्षेत्र में जिसमें प्रस्तावित राजस्थान नहर योजना जावेगी, पीने का पानी तक नहीं है आसपास मीलों तक तो वहां पीने के पानी के लिये पहले व्यवस्था करनी होगी, फिर निर्माण सामग्री बहुत दूर से पहुँचानी होगी। चूरू जिले के प्रस्तावित क्षेत्र में कोलोनाइजेशन का खर्चा भी इस समस्त क्षेत्र में कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारे सरकारी दफ्तर वहां पहले से ही बने हुए हैं सारे विभागों के वहां लोग बसे हुए है। वहां पर पीने का पानी है और बसने के लिए मकान भी नहीं बनाने पड़ेंगे। यदि वहां की जमीन को पानी दिया जाय तो छः महीने में ही फसल हो सकती है आपको बेटरमेन्ट लेवी मिल सकती है और उत्पादन बढ़ने से हमारे देश की समृद्धि हो सकती है। चूरू के लोग सारे हिन्दुस्तान में बसे हुए हैं चाहे आसाम का क्षेत्र हो चाहे दक्षिण का क्षेत्र हो सब जगह बसे हुए हैं। वे लोग राजस्थान की ओर टकटकी लगाये बैठे हैं कि जब हमारे उस क्षेत्र को पानी दिया जायगा तब हमें वहां पर आकर काम करने का अवसर मिलेगा और हमारे राजस्थान

(श्री मोहर सिंह)

प्रान्त और भारत की समृद्धि में योगदान करेंगे। इसलिये यदि बसे हुए क्षेत्रों में नहर बनायी जायगी तो लोग ज्यादा काम कर सकेंगे और यदि बिना बसे हुए क्षेत्रों को पानी दिया जायगा तो वहां पर लोगों को बसाना पड़ेगा और उस क्षेत्र के तैयार होने में भी वर्षों लगेंगे जबकि बसे हुए क्षेत्रों में पानी देने से जल्दी लाभ मिल सकेगा। रिटर्न भी जल्दी मिल सकेगा।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हिन्दी के लिए बहुत बात की जाती है। सरकार ने अपना कई बार यह निश्चय दोहराया कि हम हिन्दी में काम करेंगे लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि जितने बड़े अधिकारी हैं वे हिन्दी से दूर हैं। या तो अधिकारी हिन्दी जानते नहीं या जानबूझ कर हिन्दी से घृणा करते हैं। आज दिन तक कोई ठोस कारण नहीं बताया गया कि हिन्दी में काम क्यों नहीं करते हैं।

साक्षरता बढ़ाने के लिये वही बात किया करते थे निरक्षरता को हटाने की बात करते थे लेकिन आज तक तो हम देखते हैं कि इस ओर ध्यान नहीं दिया। केवल अनिवार्य शिक्षा कानून बना देने से शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्राइमरी और अन्य स्कूल बढ़ाने की बात किया करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए कालेज खोलने में भी भेदभाव बरता गया है। राजस्थान के बड़े से बड़े कालेज की चूरू क्षेत्र में लोहिया कालेज की उपेक्षा की गयी है।

प्रत्येक आदमी को रोजगार देने की बात हमारे संविधान में कही गयी है। समाजवाद लाने की बात इससे बढ़कर कोई हो नहीं सकती। बेरोजगार आदमी को जब तक काम नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, उनको रोटी नहीं दे सकते, तब तक समाजवाद नहीं आ सकता है चाहे कितनी ही बातें करें। इन्हीं शब्दों में साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र कुमार।

श्री राजेन्द्र कुमार भरतीया (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, उपस्थित माननीय सदस्यगण आज सब से पहले तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और उसके साथ साथ कुछ बातें आप से निवेदन करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम मैं इलेक्शन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हमने देखा है कि राजस्थान प्रान्त सामन्ती और प्रतिक्रियावादी तत्वों का गढ़ है। हिन्दुस्तान के दो ही प्रान्तों के बारे में-राजस्थान और मध्यप्रदेश-समाजवाद की तरक्की के लिये इस बात का खतरा नजर आता था कि कहीं ऐसा न हो कि राजस्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस की मेजोरिटी न आये। देश के नेता भी इस बारे में चिन्तित थे लेकिन जनता ने सन् 1971 के मध्यावधि चुनावों में वरडिक्ट दिया और असेम्बलीज के 1972 के चुनावों में मेन्डेट दिया। सोरी 71 में मेन्डेट दिया और 72 में वरडिक्ट दिया।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)

मैं अपोजिशन से निवेदन करना चाहता हूं कि खोखली किसकी बातें हैं। वही जनसंघ जिसके पास आर्थिक नीतियां नहीं हैं, ट्रेड यूनियन्स की बातें करता है प्रगतीशील तत्वों की बात करता है, लेकिन जनता ने इसको समझा है कि केवल बातें खोखली हैं और आज हम देखते हैं कोटा डिवीजन में जनसंघ पूरी तरह से टूट चुका है। आज वह कोटा डिवीजन में एक भी सीट का क्लेम नहीं कर सकता। क्योंकि उनकी समाजवाद में आस्था नहीं है। उसने श्रीमती इन्दिरा गांधी के समाजवाद में आस्था रखने वालों का विरोध किया। सरकार को गालियां देने से, कांग्रेस की मिटिंगों में हुल्लड़ कराने से, समाजवाद नहीं आ सकता। समाजवाद को लाने के लिये इन्दिरा गांधी की नीतियों को जनता ने समझा और आज जो जनसंघ का हाल हुआ है कोटा डिविजन में और खास तौर से आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी राजस्थान में जो जनसंघ अपनी सरकार नहीं बना सका। अब तो उसको उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिये। साथियो मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ के नेता वाजपेयीजी ने एक नारा दिया था जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच युद्ध की स्थिति थी कि देश के अन्दर एक ही नेता है। सारा देश एक नेता के नेतृत्व में है। सब दल एक दल। एक दल एक नेता। लेकिन सारी असेम्बलियों के चुनावों में हमारे जनसंघ के साथ केवल एक ही बात कहते थे और उनको एक ही काम था और जहां जहां भी वे मीटिंग करते थे केवल यही कहा करते कि इन्दिरा गांधी ने कुछ नहीं किया उसकी पार्टी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वह सब ही ने मिल कर किया। सब ने कन्धे से कन्धे मिलाकर काम किया। लेकिन साथियो आप इस बात को भूल नहीं सकते कि श्रीमती गांधी ने जिस प्रकार से अपना नेतृत्व देश को देने की कोशिश की, एक दल और एक नेता की जहां जनसंघ के अध्यक्ष वाजपेयीजी ने बात कही थी, एक करोड़ लोगों के बंगला देश से आते ही साम्प्रदायिकता की बात जनसंघ के लोग करने लगे कि इतने प्रतिशत हिन्दू हैं और इतने प्रतिशत दूसरे हैं। लेकिन देश ने इस बात को समझा। श्रीमती गांधी ने धैर्य रखा और इतनी बड़ी परिस्थिति का धैर्य के साथ मुकाबला किया और सारे विश्व में उन्होंने इसको साबित कर दिया। उस एक नारी ने यह साबित कर दिया कि धैर्य में क्या शक्ति होती है और आज हम देखते है कि बड़े बड़े देशों के नेताओं को नतमस्तक होना पड़ा। नेगोशियेशन्स के जरिये उन्होंने वर्ल्ड पावर्स को समझाया। जहां वे सोचते थे कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को मोहरा बनाकर साम्राज्यवादी हथकन्डे चालू रखे जावेंगे वहां उनको मुंह की खानी पड़ी है और जहां वे विचार विनिमय और समझाने बुझाने से भी नहीं माने थे, वे आज स्वयं इस बात को महसूस कर रहे हैं। आखिर आपने देखा कि इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी भारतीय फौजें और सारे भारत के लोग इस तरह से एकजुट थे। उन्होंने कितने उच्च कोटि का धैर्य दिखाया। आपने देखा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने इमरजेन्सी डिक्लेयर की, सबसे पहले वार डिक्लेयर की तो पाकिस्तान ने और हर तरह से पाकिस्तान ने

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)
ने पहल की। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यह जनसंघ वही है। माननीय सदस्य गण मुझे अफसोस है, भाई एम सोरी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बंगला देश में ज्योंहि पाकिस्तानी सेना का पतन हुआ और हमारी फौजों ने कब्जा किया, दूसरे दिन ही बंगला देश को वहां के देशवासियों को सौंप दिया।

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने और आपके साथियों ने बंगला देश में पाकिस्तानी फौजों का पतन नहीं कराया किन्तु भारत की फौजों ने कराया। आप और आपके एक साथी भी वहां नहीं गये। दुनियां के जनतन्त्र वादी लोग हमारे साथ थे, बंगाल का बच्चा 2 साथ था आप कहते हैं कि हमने यह किया। सारी भारतीय जनता एक साथ थी और सारे दल एक साथ थे। रूस के लोग और अमेरिका के कैनेडी वहां पर थे। आप नहीं थे।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या पतन किया है, फौजों ने पतन किया है।

श्री राजेन्द्रकुमार : मैं भारत की जनता की बात कह रहा हूं। माननीय सदस्य समझने की कोशिश करिये। जब भारत की जनता ने बंगला देश को फतह किया तो माननीय सदस्य इसको भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हमने उनको बंगला देश वापिस सौंप दिया तो सारे विश्व के सामने पंचशील के सिद्धान्त, को–एग्जिस्टेन्स के सिद्धान्त को, असली जामा हमने पहनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जो हमने संविधान बनाया था और एफ्रो एशियन कन्ट्रीज की जो उन्होंने बात कही थी उसको श्रीमती इन्दिरा गांधी ने असली जामा पहनाया...

श्री बनवारीलाल : साम्राज्यवादियों से मिले हुए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतिया : आपकी तो साम्राज्यवादियों से बड़ी सांठगांठ रही है आप इसमें नहीं बोलें।

मैं कहना चाहता था कि इन स्थितियों में हमारे समाजवाद के नारे को इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सारे देश ने माना, सारी दुनियां ने माना और इससे हमारे देश का गौरव सारी दुनियां में बढ़ा है और हम उन लोगों को फटकारने की ताकत रखते हैं।

मैं साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद का अर्थ है रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा और इनको हम पूर्ण रूप से अब तक के शासन के बावजूद भी लोगों को मुहैय्या नहीं कर पाये हैं। यह बहुत आवश्यक है और जैसा कि कल समाजवादी मंच की मीटिंग में मुख्य मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया है कि हम बड़ी तेज गति से आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि उनकी अध्यक्षता में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं हमारे 145 सदस्य चुनकर आये हैं और कांग्रेस ने कांटों का ताज पहना है, महात्मा गांधी के शब्दों में और हमें उनको अब पूरा करना हमारी पूरी जिम्मेदारी हो गयी है

Page No 63

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)
कि हम किस प्रकार से इन चीजों को मुहैय्या करें। मेरे कई विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कई बातें कही हैं, वे भी शत-प्रतिशत सही हैं और जो सही बातें हैं उनको हमें स्वीकार करना ही होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता था कि 25वां और 26वां अमेन्डमेन्ट हमने 1971 और 72 के बीच में कान्स्टीट्यूशन में मूव किया उस पर माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये थे। उससे भी जनता में बड़ी आस्था आई है। आपने देखा कि कांग्रेस के विभाजन के पूर्व जो बड़े–बड़े आवड़ी और भुवनेश्वर के प्रस्ताव थे वे सारे के सारे जन्तर–मन्तर में बन्द थे लेकिन हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने दस सूत्री कार्यक्रम को जनता के सामने रखा और उस पर अमल करने की बात भी की।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

तो माननीय सभापति महोदय, मैं सूक्ष्म में यहां निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के इस वरडिक्ट को हमने पूर्ण रूप से सामने रखकर देश के अन्दर तरक्की की बात को सामने रखा और हमारे जिले में भी अनेक समस्यायें हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। सारी बातों के बीच में अभी समय कम है इसलिए अर्ज नहीं कर सकता वर्ना जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि वहां पर बूंदी जिले में सीपेज की प्राब्लम है। वह एक नहरी इलाका है और मुझे ऐसा मालुम हुआ है कि सरकार उस डिवीजन को बन्द करने जा रही है। तो मैं सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि आप सरकार से निवेदन करें कि वहां पर सीपेज की समस्या है और इस डिवीजन को बन्द नहीं किया जाये।

इसी प्रकार से हमारे यहां चरागाह की समस्या है। चरागाह के अन्दर अब तक की सांठगांठ में कुछ बाहर के जानवर उदयपुर डिवीजन के जानवर बूंदी जिले में आते रहे हैं। पहले ही हमारे यहां चारा बहुत सीमित है और पशुपालन पर लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार से हमारे रेल्वे के फण्ड के हिम्मतनगर में इस्तेमाल किया गया है और बूंदी जिले का नेतृत्व दबा रहा यह नहीं होना चाहिए। बूंदी जिला जो बिलकुल ही नगण्य रखा गया है सड़कों के लिहाज से बिजली के लिहाज से और हर तरह से। कोटा डैम जो कि बूंदी की बिल्कुल सरहद पर है वहां के करीब के लोगों को बिजली का बहुत बड़ा अभाव है और इस प्रकार से कोई खास 25 साल में विकास नहीं हो पाया है इसलिए आप सरकार से निवेदन करें कि जितनी जल्दी हो जल्दी से जल्दी समाजवाद के तरीके से इसका विकास किया जाये।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, जो गवर्नर महोदय ने राज्य सरकार का लेखाजोखा रखते हुए कि आगे हमें क्या करना है इसके लिए इंगित

(श्री दीपंकर)

किया है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उसको सही मानता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यह नयी नयी विधान सभा है और इसमें बहुत से नये सदस्य आये हैं और हमें आपस की एक दूसरे की नुक्ताचीनी से काम नहीं करना चाहिए। जो गवर्नर महोदय ने कहा है कि हमारे ऊपर बड़ा भारी भार आया है और हमें बहुत कुछ करके दिखाना है यह सही हीं है। उन्होंने पिछला जो भी लेखाजोखा पेश किया है वह हम कहने को कहें कि असत्य है लेकिन ऐसी बात नहीं है। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत कुछ काम किये हैं। अभी अकाल के बारे में भी बात कही, हो सकता है किसी क्षेत्र में काम कम हुआ हो या कहीं पर कोई काम गलत हुआ हो लेकिन इसमें कोई शकोशुबाह नहीं कि राजस्थान पर जो अकाल की छाया पड़ती रही है उसको मिटाने के लिए राज्य सरकार ने जिस स्तर पर चेष्टा की वह बहुत सी सरकारों के मुकाबले उसका प्रयत्न सराहनीय है। हमें मानकर चलना चाहिए कि जो भी उसमें गड़बड़ियां हुई हैं वह शिकायतें अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी और लोगों की हो सकती हैं तो इसके लिए हमें अपने को और समाज को देखना होगा। सरकार में कौन जाता है और किस रास्ते से घुसता है हम समाज में रहने वाले हैं, जानते हैं, एक दूसरे के चेहरे को पहचानते हैं कि किस का रिश्तेदार कौन से विभाग में है और जब हम सुख सुविधाओं की बात सोचते हैं व्यक्तिगत जीवन में तो उसको कहां देखना चाहते हैं। इस तरह से हमारी जो व्यक्तिगत कमजोरियां हैं उसका लाभ सरकारी मशीनरी को बदनाम करने में लेते हैं और हमें कहने का मौका मिल गया कि इसके लिए सरकार दोषी है। वस्तुतः समाज में हर एक व्यक्ति जब तक विचार नहीं करे कि हम व्यक्ति व्यक्ति को सुधारेंगे तब तक किसी भी पार्टी की सरकार बन जाये, सरकार हमारे हर परिवार में से जाने वाला व्यक्ति दोषी है। इसलिए वह दोष हम किसी एक सरकार पर या पार्टी पर नहीं मंढ सकते। इसलिए हमें देखना होगा कि जनता ने विश्वास दिया है वह क्या बात है जनता ने एक ही बात में विश्वास प्रकट किया है और वह इसी बात में विश्वास प्रकट किया है कि अब आने वाले समय में आदमी बड़ा है या पूंजी बड़ी है, इसका फैसला होना है। इन्दिराजी के नेतृत्व में जो आज पूंजी बढ़ी है समाज में कोई भी जाति का हो कितना ही बड़ा आदमी हो उसकी प्रशंसा इन्हीं शब्दों में की जाती रही है कि उसके पास इतनी बड़ी फैक्टरी है इतनी मोटरें हैं, कितना आलीशान रहने का स्थान है तो वह समाज में बड़ा है। और चाहे कितना ही पढ़ा लिखा अच्छा गुणवान व्यक्ति हो, वह गरीब है तो उसकी समाज में प्रतिष्ठा कम है। तो पूंजी बड़ी है या इंसान बड़ा है इसका फैसला आने वाले समाजवाद को करना है। तो यह समाजवाद आने वाला है और उसके अन्तर्गत जो शहरी सम्पत्ति की सीलिंग लागू करना चाहते हैं तो यह एक आशाजनक बात है, लेकिन उसे केवल कह कर नहीं छोड़ा जाय। बहुत ही बखूबी उसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि गरीब बहुत दिनों तक यह बात सुनते रहे

Page No 65

(श्री दीपंकर)

कि कुछ धनवान जो जन्मा है वह धनवान रहने के लिए ही जन्मा है और जो गरीब जन्मा है वह जन्म भर गरीब रहने के लिए ही जन्मा है और इसी तरह से व्यवहार में उसका जीवन भी चलता रहा । जिस तरह से परमात्मा के घर से एक समान अंग प्रत्यंग लेकर जन्म लेने वाला इंसान गरीब होकर जन्म भर तकलीफ पाकर चला जाता है और धनवान जो जन्म लेता है वह परिस्थितियोंवश आनन्द पाता है तो यह परमात्मा का नहीं अपितु समाज का अन्याय है। इससे धनवानों को ही फायदा मिलता है और गरीब जन्म भर पिसते रहते हैं। इस तरह के कानून के बनने से लोगों के अन्दर विश्वास बढ़ेगा, उनमें आशा बढ़ेगी। परन्तु केवल कानून बना देने मात्र से ही काम नहीं होने वाला है, इसकी समाज को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी । आज से बहुत वर्ष पहले, सभापति महोदय, चान्दकरणजी शारदा के नाम से शारदा एक्ट बना था परन्तु कितना उस कानून का पालन होता है यह देखने की बात है। तो केवल कानून बन जाने से ही काम नहीं होने वाला है उसको लागू भी करना पड़ेगा । इसके लिए जनता की और समाज की और समाज के नेताओं को भी जिम्मेदारी बढ जाती है और जब इस जिम्मेदारी को समझेंगे तभी जाकर यह गरीबी दूर हो सकती है और तभी समाजवाद आ सकता है और तभी यह कानून सब गरीबों के हित में काम आ सकता है और तभी, अध्यक्ष महोदय (सभापति) जनता की तकलीफें दूर होंगी इस प्रकार से केवल कुछ क्षेत्रों में शहरी सीलिंग लागू करने से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए बाकायदा प्रयास करना पड़ेगा और जो दूसरे हिस्से हैं उनको भी देखना पड़ेगा । हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कौनसी और सम्पदायें हैं जिनका कुछ लोग सीमित दायरे में उपयोग करते हैं। इन सम्पदाओं को सरकार को अपने हाथ में लेकर इनका समाज के हित में उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमारी जो भूमिगत सम्पदायें हैं, जो हमारी खनिज है उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहले जो अधिकार मिला हुआ है कानून से कि जिनको कानूनी अधिकार हैं वे ही खान खोद सकते हैं, काम में ले सकते हैं यह अधिकार बन्द होना चाहिए और सरकार उसका उपयोग समाज के लिए करे । तो मैं समझता हूं कि बहुत सी सम्पदायें ऐसी हैं जिनका समाज में बहुत कुछ उपयोग हो सकता है। एक तरीके से देखा जाय तो कुछ भी जनता की इच्छायें हैं जो उनकी आशाएं है उनकी बहुत कुछ पूर्ति हो सकती है और समाज के अन्दर जो गन्दा वातावरण बन गया है वह दूर हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), बरसों से जनता शासन से, सत्ता से और सुधारों के नारों से ऊब चुकी है, उसे नई बातों की, नई प्रेरणा की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, राजस्थान प्रान्त ही एक ऐसा सूबा था जहां पंचायतीराज सर्वप्रथम शुरू किया गया और पंचायत की स्थापना से गांवों में विश्वास और आशा की एक लहर जगी । बरसों से शहरों का जो विकास होता रहा उसके मुकाबले में गांवों की सुख सुविधा बढी है, उससे लोगों

(श्री दीपंकर)

की सरकार में आस्था बढी है। और इस पंचायतीराज से नेताओं में जनता की आस्था बढी है। परन्तु थोड़े समय बाद जब यह देखा गया कि सारे के सारे बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारी देखते हैं। कि जो अच्छा काम करने वाला है उसको धन्यवाद देते हैं और जो बुरा काम करने वाला है उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। तो इस तरह से कब तक जंगल में भटकते रहते? तो एक काम चला और जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध इस तरह का षडयंत्र हुआ कि जो कुछ उनको पैसा दिया गया है उसका दुरुपयोग हो रहा है। न पैसे का हिसाब रखते हैं और चोरियां करते हैं और इस आधार पर इस तरह का षड्यंत्र रचकर पंचायतीराज के जरिए ग्रामीण जनता को जो विकास की सुविधाएं मिली वे सब की सब विट्ड्रो कर ली गई। आज तो यह हालत हो गई है कि लोग यह कहने लग गये हैं कि यह तो बन्द कर दी जावे तो बुरी बात नहीं होगी। इस तरह से पंचायती राज की व्यवस्था कुछ लोगों के योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से खराब हुई और ग्रामीण विकास रुका। तो गांवों में आज जो कुछ भी गरीबी का वातावरण है, जो भी हालत है उसको दूर करने के लिए यह जरूरी है कि ग्रामीण स्तर पर जो भी कार्य है चाहे वे रेशे के कार्य हों, चाहें कपड़े का काम हो, चाहे हमारी बढ़ई गिरी का धन्धा हो, हमें उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा तभी वह कृषि की तरफ से हटकर अपने उद्योगों की तरफ, चाहे वह छोटे उद्योगही हो, उनकी तरफ तवज्जोह रख सकेंगे। आज सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि एक गांव में चाहे वह लुहार का काम हो, चाहे खाती का काम हो, चाहे कुम्हार का काम हो, या किसी भी तरह का धन्धा करने वाला हो, अगर वह अपना धन्धा करता है तो उस व्यक्ति को पूरा पैसा मिलता नहीं है और कोपरेटिव सोसायटी बनती नहीं। इसलिए वहां के जो भी धन्धे हैं वे जहां के तहां पड़े हुए हैं। उन धन्धों को व्यवहारिक रूप से सहायता देकर और ऋण देकर, प्रोत्साहन देना, चाहे अनुदान देकर, चाहें किसी भी तरह से उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। इससे मैं समझता हूं कि बहुत कुछ लोग जो बेकार हैं वे अपना धन्धा चालू कर सकते हैं और हम विश्वास के साथ उनको कह सकते हैं कि गांव गांव में जो हमारे पुराने जरूरी काम धन्धे हैं उनको आप चालू कर सकते हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंक सरकार ने अपने हाथ में ले लिये और उनसे सरकार की तरफ से जनता को पैसा दिलाने की चेष्टा की गई। बहुत सी चीजों के लिए पैसा मिला भी होगा लेकिन दुःख की बात है कि इसमें भी पैसा लेते हैं। जिस तरह से पुलिस थानों से एजेन्ट रहते हैं उसी तरह से बैंकों से पैसा दिलाने के लिये भी एजेन्ट घूमा करते हैं तो हमें इस तरह की जो कमियां आ गई हैं उनको भी दूर करना जरूरी है और बैंकों का जैसा भी अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके, जनता के हित में उपयोग होना चाहिये। जिस तरह से काश्तकार को अपनी काश्त की, भूमि की

(श्री दीपंकर)

एक किताब मिलती है और उसमें जितना पैसा जमा होता है जितने लेन देन का हिसाब रहता है उसी किताब को देखकर, बैंक में किताब रख कर पैसा दिया जाना चाहिये। साहूकारी कानून बन्द होना चाहिये। साहूकारी कानून को चालू रखेंगे तो नाम तो इसका साहूकारी है लेकिन यह अव्वल नम्बर का चोर है, लुटेरेपन का धन्धा है। पांच, दस रुपया सैकड़ा ब्याज लेते हैं। आप देखिये कि शहरों में जितनी म्यूनिसिपैलिटिज हैं, वहां के भंगियों की हालत को देखिये। किसी किसी म्यूनिसिपलिटी में तो दो–दो महीने तक तनख्वाह नहीं देते हैं देर से पैसा देते हैं तो उनको बाहर से पैसा उधार लेना पड़ता है सौ रुपये की जगह अस्सी रुपये देते हैं और सौ की रसीद करवाते हैं और उस पर पांच रुपया सैकड़ा ब्याज लेते हैं। यह तो म्यूनिसिपैलिटी के भंगियों की स्थिति है। इसके अलावा आप देखिये कि गांवों में भी क्या हालत है। आप लोग जन प्रतिनिधि यहां पधारे हैं, आप सबको अनुभव होगा मैं तो अपने यहां की बात कह रहा हूं। अभी चुनाव हुए तो कोई कहने लगा कि मेरे हाथ में पचास वोट हैं। एक आदमी ने कहा कि यह कैसे सम्भव है तो उसने कहा कि अपने दस बीस हजार रुपये मांगते हैं। इस तरह से जो गरीब कौम हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं या दूसरी कौमें हैं, गरीब आदमी हैं उनको लेन देन के सिलसिले में इस तरह से गुलाम बना रखा है। आज भी गांवों के अन्दर राजनैतिक आजादी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसलिये जरूरी है कि हम किसी तरह से उन्हें इस बन्दिश से मुक्त करावें। साहूकारी कानून बन्द करें ब्याज का धन्धा करने वालों पर पाबन्दी लगावें और इस तरह से जो भी गरीब लोग हैं, बेकार लोग हैं उनको हम धन्धे पर लगा सकें। उनको धन्धे पर लगाने के बारे में भूमि वितरण का सवाल भी आया

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो इसमें भी पटवारी गलत रिकार्ड पेश करते हैं। सही भूमि को बताते नहीं हैं। पटवारियों के अपने पुराने जमाने के बटेर लगे हुए हैं, उनके अपने ऐजेन्ट हैं, भूमि नम्बर पर नहीं चढ़ी हुई है फिर भी काश्त होती है और ऐसी भूमि का पैसा केवल पटवारी लोग लेते है। इस तरह से नाजायज तरीके से भूमि को छुपा रखा है और जो भूमि आवंटित की गई है उसका कब्जा नहीं मिलता है। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भूमि आवंटित हो उसका कब्जा मिले ताकि उनका भी सरकार में विश्वास जमे।

एक गवर्नमेंट का सक्यूलर निकला कि जो भी हरिजन जिस जगह रहता है उसको उस भूमि का एक रुपये की दर से पट्टा दे दिया जायगा। इस प्रकार से केवल हुक्म निकालने से ही काम नहीं चलने वाला है। हमें यह देखना होगा कि कितनी ऐसी पंचायतें हैं कितनी ऐसी म्युनिसिपैलिटिज हैं और दूसरी संस्थायें हैं, जिन्होंने इस हुकम की तामील नहीं की और आज तक हरिजनों को पट्टे बनाकर नहीं दिये? आज जो यह सब बहुमत है, आज जो इन्दिरा गांधी को समर्थन मिला

(श्री दीपंकर)

है, वह समर्थन कौन करता है ? सबसे ज्यादा जो अभावग्रस्त लोग हैं वे ही करते हैं। उनके हित में जो भी कानून हैं उनका फायदा जो बीच के लोग हैं, दलाल हैं, वे उठाते हैं। जब तक इनको दूर नहीं करेंगे उन तक सुख सुविधा नहीं पहुँचेगी। इसलिये अधिक समय नहीं लेकर मैं सभापति महोदय, जो भी अभिभाषण गवर्नर महोदय ने दिया है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री जयकिशन।

श्री जयकिशन (फागी) : माननीय सभापति महोदय एवं समस्त सदस्यगण आज का समय एक शुभ अवसर का समय है क्योंकि माननीय राज्यपाल जी ने जो हमारे समक्ष विचार भावनाएं रखी हैं उनका समर्थन करने के लिये आज हम सदस्यगणों को आगाह किया गया है लेकिन इसके पहले मैं निवेदन कर देना चाहता हूं जब मैं कालेज, यूनिवर्सिटी में पढा करता था तो यह सोचा करता था कि सदन के अन्दर माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते होंगे। हमारे देश हमारे समाज और हमारी रीति नीति का पालन करते होंगे, लेकिन आज यहां पर देख कर दुःख हुआ कि हमारे सदन की बेन्चेज खाली है। माननीय सदस्य इस सदन की उपेक्षा करते रहे है। हम इस सदन के लिये चुन कर आये है। आज दो करोड़ सत्तावन लाख राजस्थान की जनता राजस्थान की राजधानी जो जयपुर हैं, उसकी ओर आंख लगाये हुए बैठी है। हमने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के अन्दर प्रचार किया है, वहां के प्रत्येक नागरिक ने हमारे सामने कई प्रकार की मांगें रखी हैं और उस मांग को पूरा करने के लिये हमने आश्वासन दिया है। यदि उन आश्वासनों को हमने पूरा नहीं किया और इस प्रकार की उदासीनता बरतते रहेंगे तो फिर हमारी सरकार और हमारी पार्टी की क्या दशा हो सकती है यह हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम उपेक्षा बरतते रहे तो वह दिन दूर नहीं है और उसी प्रकार से मुंह की खानी पड़ेगी जैसी 62 और 67 में खानी पड़ी थी। यदि हमारे समाज के प्रति, हमारी जनता के प्रति, उपेक्षा की भावना न रख कर हम कर्तव्य की भावना रखते हुए, सच्चाई की भावना रखते हुए, यदि आगे की ओर बढने की केष्टा करेंगे तो जनता हमारा साथ देगी।

राज्यपाल महोदय ने हमारे समक्ष जिन जिन चीजों का प्रस्ताव रखा, जो भी विचार और भावनाएं रखी और उन समस्याओं को कार्यान्वित करने की बात हमारे समक्ष रखी हैं, उनके बारे में हम सहमत हैं और उनके लिये भरसक प्रयत्न करेंगे। हमारी पार्टी का नेतृत्व जो भारत रत्न श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया है, उनकी भावनायें तथा विचारों की ओर हमारी समस्त जनता की आंखें हैं निगाहें हैं। समय-समय पर किस ढंग से रीति और नीति का पालन हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने किया वह हमारे समक्ष मौजूद है। फिर भी मैं समस्त नेतागणों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो विचार विमर्श हमने

(श्री जयकिशन)

जनता के समक्ष रखा है उनका हम पालन नहीं करेंगे तो हमारे समक्ष बड़ी विपतियां आयेगी। चुनाव क्षेत्र के दौरान में, हमारे समक्ष कई प्रकार के विचार आये, मामले आये। जब में पढा करता था तो हमें यह बताया जाता था कि हमारा देश समाजवादी है। लेकिन बाद में जब मैं चुनाव के दौरान गांव गांव में पहुंचा तो यह समझ पाया हूं कि वहां पर समाजवाद के बजाय आंतकवाद है। वहां पर आतंकवाद किस प्रकार मिला ? वहां की जनता, वहां का प्रत्येक नागरिक और बच्चे–बच्चे ने अपने विचारों को मोड़ते हुए, अपनी भावनाओं को छिपाते हुए यह कहा कि आप वोटों के लिये आये हैं लेकिन हमारे लिये क्या लाये हैं ? माननीय सभापति जी मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की भावनाएं जनता की रहो, ऐसी ही विचारधारा इस देश के अन्दर चलती रही, तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं ? मैरे क्षेत्र से 20 वर्षो से जब से देश आजाद हुआ है कांग्रेस पार्टी का कोई केन्डीडेट जीत कर नहीं आया है। यह स्थिति थी इसलिये

(3.05 म.प.)

(श्रीमती मदन कौर, सभापति, पदासीन)

वहां कि जनता से मैने कहा कि यदि आप फिर 20 वर्ष का इतिहास दोहराते हैं तो इस क्षेत्र की आप उन्नति नहीं कर पायेंगे मैंने इसके लिये उनको आगाह किया। जो विरोधी पार्टियां हमारे समक्ष बैठ कर यह कहती हैं कि हम समाजवाद को लाना चाहते हैं लेकिन उनके द्वारा मैरे क्षेत्र के अन्दर आतंकवाद फैलाया हुआ है मैंने लोगों से कहा कि वोट दो तो लोग कहा करते थे भाई प्रकट रूप से वोट देगें तो स्वतन्त्र पार्टी वाले मारेंगे, पीटेंगे और हमारी मवेशी को बन्द कर देंगे। इसलिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार के आतंकवाद को हम समाप्त नहीं कर पायेंगे और इन नागरिकों की भावनाओं को साकार रूप नहीं देंगे तब तक हमारा समाजवाद आगे की ओर नहीं बढ सकता है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि 20 वर्षो से मेरे क्षेत्र की उपेक्षा होती रही है। कई योजनाएं पूर्ण रूप से मन्जूर होकर पड़ी हुई है। बिजली की, पानी की, बांध की, कृषि की अन्य प्रकार की चीजें पड़ी हुई हैं फिर भी इस क्षेत्र की ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। योजनाएं बनती हैं और वे केवल मात्र रजिस्टर तक ही सीमित रह जाती है, उनको फाइल कर दिया जाता है और हमारे देश के नागरिक बन्धु आकर उन फाइलों को निकलवाते है तो उनको धमकाया जाता है। यदि यही भावना अब रही तो जितने सदस्य हम जीत कर आये हैं, जो कि आवश्यकता से अधिक है, इस प्रकार की नीति से हमें विरोध में भी बैठना पड़ सकता है। इस प्रकार की उपेक्षा बरती जाती रही और इसी प्रकार की भावना रखी जाती रही तो बाद में स्थिति हमारे लिये हमारे देश के लिये, हमारी जनता के लिए, और हमारे राजस्थान के लिये बड़ी भयंकर हो सकती है। समय समय पर यदि हमने जनता के समक्ष जाकर, जनता की भावनाओं को प्रबल रूप दे कर उनके अटके हुये कार्यों को

Page No 70

(श्री जयकिशन)

पूर्ण रूप से सफल बनाने की कोशिश नहीं की तो क्या होगा इसका नतीजा, इसका परिणाम भविष्य ही बता सकता है। कृषि के बारे में शिक्षा के बारे में, विद्युत् के बारे में, पेयजल योजना के बारे में, शिक्षा के बारे में और कई प्रकार की अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के बारे में जो हमारी सरकार ने वायदा किया है और जो वायदा हमने समाज के समक्ष प्रकट किया है, यदि उस वायदे को हमने कार्यान्वित नहीं किया और जनता की समस्याओं को परिस्थितियों को ठीक प्रकार से समझ कर दूर नहीं करेंगे तो हमारे लिये यह अच्छा नहीं होगा।

आज समाज के अन्दर विद्यार्थी वर्ग किस प्रकार से प्रबल होता जा रहा है, किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। यह इसलिये हो रहा है। क्योंकि उनकी भावनाओं को, विचारों को साकार रूप नहीं मिल पा रहा है। कालेजों और यूनिवर्सिटीज के अन्दर विद्यार्थी एकत्रित होते हैं उनके समक्ष सारे देश की परिस्थिति मोजूद रहती है वे विचार करते हैं हमारी सरकार की नीतियों पर वे हमारे समाज की रीति नीति को भी देखते है। वे हमारे बुजुर्गों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते है। सामाजिक बन्धन तोडने और विकास की भावनाएं उनके दिमाग में होते हुए भी वे आगे की ओर कदम रखने में असमर्थ होते हैं। माननीय सभापति महोदया में निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि इस विद्यार्थी वर्ग को आप अपनी ओर मोड़ना चाहते है और उनसे सही रूप से समाज की सेवा करना चाहते हैं तो आपको इस विद्यार्थी वर्ग के अन्दर सामाजिक नीति की भावना को जाग्रत करना होगा और उनकी भावनाओं को भी साकार करना पड़ेगा और अवश्य करना पड़ेगा...

माननीय अध्यक्ष (सभापति महोदया) में यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज जनता के समक्ष इस प्रकार की विपतियां है। हम कहते हैं कि गरीबी मिट जायगी, लेकिन मैं कहता हूं कि गरीबी आयेगी। क्यों आयेगी। इसलिए कि जिनके पास जो कुछ है वह खा रहे हैं और जिनके पास कुछ नहीं है वे देख रहे हैं। यदि इस प्रकार की वैमनस्यता रही, यदि इस प्रकार का फर्क रहा, यदि इस प्रकार की दूसरी नीतियां रहीं तो वह नहीं हो सकता है। जब तक यह दूर नहीं होती हैं तब तक देश के अन्दर सच्चा समाजवाद नहीं आ सकता। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं और मैं युवा वर्ग को, जो कि प्रत्येक क्षेत्र से जीत जीत कर इस विधान सभा के सदस्य बनकर इस सदन में आये हैं, उन नवयुवकों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि ढिलाई और उपेक्षा की भावना को लेकर आगे बढ़ते रहे तो हमारे देश की वास्तविकता को हम ग्रहण नहीं करते है। मैं युवक वर्ग को आगाह कर देना चाहता हूं और निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी भी समय हमारे लिए कम नहीं है। अब हम सब इकट्ठे होकर एकत्रित होकर, हमारे देश की वास्तविक नीति और रीति को समझकर, हमारी कमियों को दूर करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ दिनों के बाद युवा वर्ग

(श्री जयकिशन)

पर कालिख पोत दी जायगी । इसलिए मैं समस्त अन्य बन्धुओं और सदस्यगणों से भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि वास्तविकता को ग्रहण करते हुए, सच्चाई को कन्धों पर रखते हुए और असलित को पहचानते हुए, जिस जिस क्षेत्र से हम जीत कर आये हैं और जिस भावना को लेकर हम यहां आये हैं. उन समस्त व्यक्तियों की भावनाओं को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे समाज की रीति और नीति को आगे सफलता के साथ ग्रहण नहीं कर सकते हैं ।

माननीय सदस्यों और माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं एक युवक हूं और युवक होने के नाते यदि जोश और रोष में कोई ऐसे शब्द निकल जायं तो आपसे छोटा होने के नाते मुझे क्षमा करेंगे यह मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र का नाम फागी है और मेरा नाम जयकिशन लाल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कौनसी कक्षा के विद्यार्थी हैं ?

श्री जयकिशन : मै एम. ए., एल.एल. बी. का विद्यार्थी हूं ।

तो माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार से समाज की वास्तविक भावनाओं को देखना चाहिए और सब प्रकार की कमियों और विपत्तियों को दूर करने के पश्चात् ही हम समाज को सच्चे रूप में देख सकते हैं ! यदि समाज को सच्चे रूप में देखने की कोशिश करेंगे तभी समाज की सेवा करने की भावना बढ़ेगी । और वह तभी हो सकेगा जब कि अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से चलेंगे और अपनी एक दूसरे की वैमनस्यता को त्याग देंगे । हमारे विचारों में मन-मुटाव हो, तो समाज की सेवा करने के लिए उस मन-मुटाव को घर पर छोड़ दें । यह मेरा निवेदन है । यही कहकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए, मैं अपने विचारों को यहीं तक सीमित रखता हूँ ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जगमोहनसिंह ।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : आदरणीय अध्यक्षजी (सभानेत्रीजी), पंचों, आम चुनावों ने देश भर में यह साबित कर दिया कि हमारे देश की जनता हमारी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, समाजवाद की ओर गरीबी दूर करने की, उससे पूर्णतः सहमत है । इसके साथ–साथ जो धर्मनिरपेक्षता में आस्था है हमारे दल की, उसमें हमारी जनता की पूर्ण आस्था है । इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के अन्दर जो साम्प्रदायिकता फैलाने वाली पार्टियां हैं, साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले संगठन हैं, उनके लिये देश की जनता चाहती है कि उनका हमारे यहां पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर. एस. एस. और मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं, जो साम्प्रदायिकता फैलाती हैं, उन पर बान लगना चाहिए । (कांग्रेस पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
(सभानेत्री), साम्प्रदायिकता क्या होती है उसका ज्ञान है माननीय सदस्य को ?

श्रीमती सभानेत्री : आप उन्हें भाषण समाप्त करने दें।

श्री जगमोहन सिंह : साम्प्रदायिकता वह है कि धर्म के नाम पर दंगे करवाना, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना और खून खराबा करना है...

एक माननीय सदस्य (जनसंघ): तिजारा नहीं जाना चाहिए था।

श्रीमती सभानेत्री : आप माननीय सदस्यों को बोलने दें।

श्री जगमोहन सिंह : दूसरी बात जो यहां पर रखी गई है वह यह रखी गई है कि जो सरकारी मशीनरी है, उसका दुरुपयोग किया गया है। इस तरह का जो गलत आरोप लगा रहे हैं उसका वास्तविक उदाहरण मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के आधार पर और कान्स्टीट्यूएन्सी में जो कुछ हुआ है, उसका खण्डन करके मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दिनांक 10 फरवरी को मैंने चीफ सेक्रेटरी को टेलीग्राम दिया था और इलेक्शन कमिश्नर को टेलिग्राम दिया था कि यहां की सारी मशीनरी जनसंघ से मिली हुई है और उसके पक्ष में डटकर प्रचार कर रही है। उसके बाद गांवों में जो स्कूलें हैं, वहां पर जो अध्यापक है, वे सारे आर. एस. एस. के मैम्बर्स हैं और जिन बच्चों को वे पढ़ाते हैं उनका चुनाव के समय में वे डटकर उपयोग करते हैं। तो उनका जो यह आरोप है कि सरकारी मशीनरी का कांग्रेस दुरुपयोग करती है वह गलत है। अधिकतर कर्मचारी जनसंघ और आर. एस. एस. के मेम्बर होने के नाते उनका पक्ष करते हैं और जो हिंसा की बात कही गई है, सभापति महोदय, तो मैं इस तरफ की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। दिनांक 3–4 फरवरी को जनसंघ का जो उम्मीदवार था हमारे क्षेत्र में उसने भरे बाजार में एक आदमी को मारा और जब उसका विरोध किया गया तो उस आदमी को और ज्यादा बुरी तरह से मारा गया और जब जनता इकट्ठी हो गई तो जनसंघ का जो उम्मीदवार था वह पिस्तौल लेकर खड़ा हो गया मारने के लिये। (कांग्रेस पक्ष की ओर से शेम, शेम)। यह है हिंसा का रूप जो कि वास्तविक रूप में सामने आया है।

चुनाव खत्म होने के बाद और जनसंघ के उम्मीदवार की हार होने के बाद आज से 8-10 दिन पहले की बात है दिनांक 15 की, हमारे एक कार्यकर्ता को छबड़ा–छीपा बड़ौद सड़क पर मारकर घायल कर दिया। (कांग्रेस पक्ष की ओर से शेम, शेम) यह हिंसा का एक उदाहरण है। जो जनसंघ हिंसा की बात करता है और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात करता है यह उनका झूठा प्रोपेगेण्डा है। यह इससे साबित है।

माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है और उसमें गत वर्ष में समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हमने क्या प्रगति की है और आने वाले वर्ष में किस तरह से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए कुछ सुझाव और योजनाएं दी हुई हैं। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीड़ा हमने उठाया है, जो

(श्री जगमोहनसिंह)

वायदे हमने जनता से किये हैं, वह बहुत लम्बे और बहुत ज्यादा है। समय हमारे पास बहुत कम है। आने वाले चुनावों तक जो जो वायदे हमने दिये हैं जनता को, जो एलान किये हैं उसको हमें पूरा करना है। इस पृष्ठभूमि के अन्दर हमारे जो साधन हैं, हमारे जो अभाव अभियोग हैं, उन सब को ध्यान में रखकर इसके लिए एक योजनाबद्ध कार्य बनाकर आगे बढ़ने की बात करें तब तो अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। हमारी जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको हमें महसूस करना पड़ेगा। उस कमी को महसूस करते हुए, उसको दूर करते हुए, आगे बढ़ने की बात करना पड़ेगा, क्योंकि जो सच्चाई है उससे हमको दूर नहीं जाना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक राजस्थान के विकास का प्रश्न है सरकार की ओर से समय समय पर योजना बनाकर विकास करने का प्रयास किया गया है, वह हुआ है और सामने है, लेकिन बहुत से इलाके हैं, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर आज तक विकास की ज्योति नहीं पहुंची है। इस तथ्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। जहां पर मेरे क्षेत्र की बात करता हूं तो छबड़ा और छीपा बड़ौद का जो इलाका है तो 25 साल के अन्दर आज तक एक भी कोई काम विकास का उस क्षेत्र में नहीं हुआ है न वहां पर एक भी सड़क बनी है, न अस्पताल बना है, न शिक्षा के लिए स्कूल खोला गया है। कुछ भी नहीं हुआ है। सारा इलाका ऐसा है। वहां के लोगों ने देखा ही नहीं है कि आजादी के बाद विकास किसको कहते हैं। हमें क्षेत्रों को चुनना पड़ेगा। वहां हमें विकास और प्रकाश पहुंचाना पड़ेगा। आगे मैं निवेदन करूं, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भूमिहीनों को भूमि आवण्टन के बारे में उल्लेख किया है, इस बारे में भी एक मुद्दा है जिसको हमें देखना पड़ेगा। इस तरह का कानून पिछले चार पांच साल से निकाला जा रहा है। सन् 61 में, 69 में और 71 में निकाले गये हैं। 71 में यह निकाला गया है कि जो अवैध कब्जे हैं, उनको रेग्युलराइज कर दिया जाये। लेकिन जो मुख्य बात है, वह यह है कि हमारी सरकार नियम तो बहुत ही शुद्ध हृदय से बनाती है, शुद्ध हृदय से नियमों का निर्माण करती है, लेकिन जनता को उतना फायदा हो नहीं रहा है। लक्ष्यों की पूर्ति हो नहीं रही है। इसका मुख्य कारण हमारी सरकारी मशीनरी है। हमें इस मशीनरी को भी समाजवादी रूप देना पड़ेगा। जब तक हम इस काम को नहीं करते हैं, हमारी योजनायें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ट्रेसपासर्स के बारे में कानून बनाया गया था, उन लोगों पर इतने भारी जुर्माने किये गये हैं कि उनको दे सकने की उनमें क्षमता नहीं है। वह उस जुर्माने को चुका सकें, इतने सक्षम नहीं हैं। मुख्य बात यह है कि जो कानून काश्तकार के फायदे के लिए बनाते हैं, उसका काश्तकार को फायदा होना चाहिए। मैं यह भी मानकर चलता हूं कि सरकारी मशीनरी का कितना सहयोग रहता है? क्योंकि बहुत कुछ उस पर निर्भर रहता है कि वह किस तरह से काम करे। मैं यहां पर यह भी निवेदन करूंगा कि इन चार अधिकारियों को ठीक नहीं करेंगे तब

(श्री जगमोहनसिंह)

तक ठीक तरह से काम नहीं हो सकता है। पटवारी, थानेदार और रेवेन्यू के अधिकारियों को अगर ठीक नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हम आगे बढ़ नहीं सकते है। हमको मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार है। उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। अच्छा हो, इसके लिए उनको समझा दिया जायेगा मैं तो चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को एक बार समझा दिया जाये। अब तक जो हो गया है. वह हो गया है। लेकिन अब वे अपनी रीति नीति को बदलें। नहीं तो बहुत से लोग बेरोजगार हैं। उन कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाये और नये लोगों को स्थान दिया जाये तभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, वर्ना नहीं।

अब प्रश्न अगला आता है कि इन चार वर्ष, पांच वर्ष के पीरियड के अन्दर समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त किस तरह से करेंगे? पहला जो हमारा उद्देश्य है, वह यह है कि सीलिंग के द्वारा जल्दी से जल्दी भूमि ग्रहण की जाकर वह भूमि भूमिहीनों को दी जावे। इसके लिए पहले तो भूमिहीनों की संख्या देखनी पड़ेगी, फिर हमें योजना देखनी पड़ेगी कि कितनी भूमि सीलिंग से मिलने वाली है और वह कितने समय में मिल जानी चाहिए। उसके बाद भी यदि हमारा काम पूरा नहीं होता है तो दीगर और भूमि हैं, जैसे जंगलात की भूमि की बात है, हर क्षेत्र के अन्दर बहुत सी भूमि हजारों बीघा रकबा ऐसी है मैं अपने क्षेत्र की बताऊं, पहले भूमि माल के अन्दर थी लेकिन जबर्दस्ती उस भूमि का जंगलात में डिमार्केशन किया गया। उस भूमि में न पेड़ हैं, न जंगल हैं। तो ऐसे रकबे को लेना पड़ेगा। इसके साथ-साथ भूमिहीनों की समस्या को सोल्व करना है तो जिस ब्राड आउट लुक से, जिस तरह से, सीलिंग को लागू करना चाहते हैं, उसी तरह से जंगलात से जमीन को निकाला जा सकता है और माल में उसको लेना पड़ेगा और उसका भूमिहीनों को आवंटन करना पड़ेगा। आवंटन के सम्बन्ध में शिकायतें जो हैं, आम तौर पर उसे सब जानते हैं। उसमें भी सुधार लाना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि आवंटन हो, उसका सही तरीके से आवंटन हो और आवंटित जमीन का मौके पर कब्जा मिले। हर एक को कब्जा मिल जाय आवंटन के बाद। जब भूमि आवंटन में भूमि भूमिहीन को दे दी उसके बाद यह समस्या है कि उन लोगों के पास काश्त करने के लिए साधन होने चाहिए। इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, दीगर सहकारी बैंक पहले से ही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक कमी महसूस करता हूं वह यह है कि भूमिहीन काश्तकार को भूमि मिलने के बाद उसको सबसे पहली आवश्यकता है कि उसके पास बैल होना चाहिए। वह कोई पूंजिपति है नहीं, भूमिहीन था, उसके पास अब केवल जमीन का साधन है, जो आपने दी है। अब पहली आवश्यकता उसे बैल देने की है, फिर बीज, खाद और दीगर चीजें देने की है। मेरे ख्याल में आज कोई ऐसी राजकीय संस्था नहीं है जो बैल के लिए ऋण देती हो। पहले सहकारी बैंक ऋण देता था, अब वह बन्द कर दिया गया है। तो मुख्य मुद्दा यह है

(श्री जगमोहनसिंह)

कि बैल के लिए ऋण साथ–साथ मिलना चाहिए। यह मुख्य आवश्यकता है। बाद में बीज और खाद वाली समस्या है, उसके लिए एजेंसी, सहकारी एजेंसी मौजूद है। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक, जिनका राष्ट्रीयकरण किया है, उसमें मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे आदमियों को वह आर्थिक सहायता दें ताकि वह आर्थिक उत्थान कर सकें। लेकिन हमारा तीन वर्ष का अनुभव यह बताता है कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों का, जिसके लिए राष्ट्रीयकरण किया था, उसके लिए यह नगण्य मात्रा में भी काम नहीं कर पाये हैं। उसका मुख्य कारण यह है, जो मैं समझ पाया हूं, राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो आदमी आदमी, तमाम आदमियों के घर घर, झोंपड़ी-झोंपड़ी में जाकर, मजदूरों के पास जाकर, कारीगरों के पास जाकर एप्रोच कर सके और उनकी आवश्यकता का असेसमेंट कर सके, उनसे दरख्वास्त तैयार करा सके और फिर उनको सहायता दे सके। यह एजेंसी कब कायम होगी? वैसे इसमें विलम्ब हुआ है तो जो उद्देश्य है, जो बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए काम शुरू किया गया है वह अधूरा रह जाएगा। इसमें मुख्य बात यह देखने की है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसी एजेंसी कायम की जाय ताकि तमाम लोगों से एप्रोच हो सके।

अगली बात यह है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कि फर्टीलाइजर के भारी उपयोग और उससे उत्पादन बढ़ने की बात कही गई है। यह बात सही है कि हाई ब्रीड वेराइटीज का जनरेशन फर्टीलाइजर और दीगर डिसीज की चैक सुविधायें बढ़ने से उत्पादन बढ़ा है, आज फर्टीलाइजर का उपयोग बढ़ता जा रहा है दिन प्रति दिन और उपज भी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी हम यह अनुभव करते हैं कि जो छोटे काश्तकार हैं उनका आर्थिक स्तर सुधर नहीं पा रहा है। इसका कारण यह है, जड़ यह है मेरी राय में यह है कि हम कितना भी उत्पादन कर लें खेतों के अन्दर लेकिन जब तक उसके खर्चे को निकाल कर उसकी उपज के भाव तय नहीं करेंगे तब तक प्राइस के रेश्यो और एक्सपेंडिचर के रेश्यो में तालमेल नहीं हो पायेगा, और इस तालमेल से जब तक प्राइस नहीं मिल पायेगी तब तक काश्तकारों का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं उठ सकेगा। आज फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ती जाती है, ट्रैक्टर की कीमत बढ़ती जाती है, पेस्टीसाइड की कीमत बढ़ती जाती है, हर चीज की कीमत बढ़ती जाती है लेकिन एग्रीकल्चर प्रड्यूस, जो उत्पादन होता है, उसकी कीमत कम आती है, जो खर्चा आता है वह भी नहीं आता है। फिर राज्य सरकार भावुकता का अनुभव करती है और कहती है कि नीचे मार्केट गया तो हम उस प्रड्यूस को खरीदेंगे। मैं समझता हूं कि जो भी भाव तय किये जाते हैं वह भाव जो एक्सपेंडिचर आता है, फर्टीलाइजर, ट्रैक्टर, पेस्टीसाइड, खाद-बीज वगैरह पर, वह सब का निकाल कर तो वह भाव बहुत कम रहते हैं। तो मुख्य मुद्दा यह है कि जब तक काश्तकार की प्रड्यूस का मार्केट कंट्रोल नहीं कर पायेंगे, जब तक एग्रीकल्चर

(श्री जगमोहनसिंह)

प्रड्यूस की कीमत सही तौर पर नहीं कर देंगे, तब तक जो आर्थिक उत्थान की बात है, इकानामिक डवलपमेन्ट की बात है–वह नहीं हो सकती है।

अगला प्रश्न राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण का। यह बहुत ही आवश्यक कार्य है और शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए था। लेकिन अब करने जा रहे हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सीलिंग हमने लैंड पर लागू किया, हमारा मुख्य सिद्धान्त यह रहा कि पिचहत्तर बीघा लैंड एक कृषक परिवार के पास होना चाहिए। उसी रेस्यो के अन्दर कितनी सम्पत्ति उसकी बनती है, कितनी कीमत होती है–पिचहत्तर हजार रुपया इतनी जमीन का औसतन मान लें तो पिचहत्तर हजार रुपये की जमीन एक कृषक परिवार रख सकता है। उसी रूप के अन्दर मैं समझता हूं, सीलिंग की सीमा हो वह पिचहत्तर हजार से ज्यादा नहीं हो, अदरवाइज देअर विल बी टू मच डिस्क्रिमिनेशन बिटविन रूरल एण्ड अर्बन सीलिंग। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस सीमा में सम्पत्ति रखने का अधिकार जमीन रखने वाले को देना चाहते हैं उतनी ही कीमत की सम्पत्ति रखने का अधिकार आपको हमको अर्बन वालों के लिए तय करना पड़ेगा और उस रूप में पिचहत्तर हजार रुपये की प्रापर्टी पर सीलिंग होना चाहिए–यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात है मुख्य, जो निर्माण करने का कार्य है, उसमें मैंने पायी है, वह यह है कि आज शहर के अन्दर पचास लाख की बिल्डिंग बनती है उसमें कोई श्रमदान की आवश्यकता नहीं है, जबकि गांव में एक स्कूल दो कमरों का बनता है तो हम कहते हैं, आधा श्रमदान दीजिये आधा पैसा गवर्नमेंट देगी। यह कैसी बात है? पचास लाख की बिल्डिंग के लिए कोई श्रमदान नहीं, लेकिन गांव के अन्दर दो कमरों के स्कूल के लिए श्रमदान की बात करते हैं। यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि गांव वालों को अधिक से अधिक सुविधायें देनी चाहिए। इसको मैं डिस्क्रिमिनेशन वाली बात मानता हूं, इसलिए इसको समाप्त किया जाय।

दूसरी बात है निर्माण कार्य, सड़कों वगैरह की। मै मानता हूं पी. डब्ल्यू. डी. है, वह विभाग शायद सिर्फ यह मानता है कि शहरों में सारे लोग रहते हैं इसलिए शहरों की बिल्डिंग की पुताई, मरम्मत, रोड और रोड मरम्मत के दीगर काम उसके द्वारा होते हैं। मैं कहता हूं पी. डब्ल्यू. डी. का बाइफरकेशन करना पड़ेगा, पी. डब्ल्यू. डी. रूरल अलग से कायम करना पड़ेगा, जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी रूरल सड़कों, रूरल बिल्डिंग को देखने की हो, न कि शहरों की बिल्डिंग के कमरों की सफाई करने की। यह मेरा आपसे निवेदन है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिजली वाली बात भी कही गई है कि बिजली का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और चलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सदन से और सभानेत्री जी से, आज की तारीख में हमारे पास बिजली उत्पादन पर्याप्त मात्रा में है, इतना कि शायद गांवों को, हर गांव और उसके हर कुए को बिजली

(श्री जगमोहनसिंह)

दी जा सकती है। उसके लिए हमारे पास फण्ड भी है। फिर कमी क्या है ? बिजली क्यों नहीं पहुंचती है ? मैं एक उदाहरण दूं– हमारे छबड़ा, छीपा बड़ौद में एक कुए में, एक गांव में भी बिजली नहीं गई है। बिजली गई है तो प्रेमसिंह जनसंघी विधायक के कुए पर बिजली पहुँची है, बस, बाकी किसी खेत, किसी गांव पर, किसी कुए पर बिजली नहीं पहुंची है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वहीं रुक गई। आगे नहीं गई।

श्री जगमोहन सिंह : वहां कैसे तार खिंचा, कैसे कुए पर पहुंची · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कुए पर दीया बुझ गया, इसलिए बिजली पहुंचाई।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दीये को रिप्लेस करने के लिए।

श्री जगमोहन सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक निश्चित लिमिट कर देनी चाहिए, एक साल, दो साल के अन्दर राजस्थान के हर गांव, हर कुए को बिजली दे देंगे और उसके लिए आपको अपनी मशीनरी को गिअर अप करना पड़ेगा वरना हमारे पास साधन होते हुए भी इस काम को नहीं कर सकते। इस काम को करने के लिए साधन नहीं हो मशीनरी का तो करना मुश्किल हो जायगा। सारा कहने का लुब्बे लुबाब यह है कि हमको जो हमारी विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, काम को करने की विचारधारा है जिस तरह से गरीबी को मिटाना चाहते हैं और समाजवाद को लाना चाहते हैं तो हमारी जो पुरानी कमियां हैं, जो वास्तविक चीज हैं उसको सामने रख कर योजना का निर्माण करना चाहिए आगे के लिए और उसके लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, जो काम एक महीने में हो सकता है, वह काम उन्तीस दिन में होना चाहिए, और इस तरह से जो काम चले, उसमें जो भी कोई डिफेक्ट करता है, उसको सजा दी जाय। इस प्रकार स्ट्रिक्ट एटीट्यूड लेकर नहीं चलेंगे तब तक चुनाव हुए जैसे दस दिन निकल गये, वैसे ही दस महीने भी हो जायेंगे। इसलिए एक एक मिनट और एक एक पल की कीमत है जिसमें हमें काम करना है हर आदमी को, हर विधायक को, हर कर्मचारी को, सारे राजस्थान को और सारे राजस्थान के कर्मचारियों को, तभी लक्ष्य पूरा हो सकता है। यही निवेदन है। धन्यवाद !

श्रीमती सभानेत्री : श्री मुंशी लाल महावर !

श्री मुंशीलाल महावर (बस्सी) : माननीय सभानेत्री जी, माननीय सदस्यगण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह यह है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत इस पांचवें चुनाव में हुई है वह इसलिए हुई कि इस महान देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जनता ने खुले दिल से सबको आशीर्वाद दिया है। इसके पीछे इन्दिरा जी ने जो देश के लिए कुछ काम किया है, समाजवादी विचारधारा सामने लाई हैं उस वजह से जनता में वातावरण बना है और जनता ने यह आदेश दिया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतकर जायं और देश में, राजस्थान

(श्री मुंशीलाल महावर)

में, समाजवाद लायें। समाजवाद किस तरह से आयेगा, कैसे आयेगा–इस बारे में हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन कार्यक्रमों के बारे में कुछ निर्देशन दिया है और राजस्थान की प्रगति के बारे में काफी प्रोग्राम दिया है। मैं इस सम्बन्ध में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की एक राजनैतिक सफलता इसलिये भी है कि जैसे जयपुर जिले के अन्दर राजघरानों का बहुत बड़ा असर था, पूंजीपति ताकत लगातार इस इलाके से जीतती आ रही थीं और प्रतिक्रियावादी शक्तियां जोर पकड़ती जा रही थीं, लेकिन इस चुनाव के अन्दर और उप चुनाव में सामन्तशाही शक्तियां, धराशायी हुई हैं और मध्यावधि चुनाव में पूंजीवाद की कब्र खुद चुकी है। इन इलाकों के अन्दर जो व्यक्ति पूंजीवादी लोगों के दलाल या प्रतिक्रियावादी शक्तियां या सामन्तवाद के दलाल-सामने आये हैं एक बस्सी जैसे निर्वाचन क्षेत्र में तीन दिन के अन्दर पैंतालीस हजार रुपये बांटे हैं शराब की बोतलें खोल कर वोटर को खरीदा है किन्तु जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए खून देकर आजादी हांसिल की, जिन्होंने बलिदान दिये उनको शराब की बोतलों और पैसे के बल पर खरीदना चाहते थे लेकिन जनता यह जानती है कि कौन कहां खड़ा है कौन सेवा करना चाहता है और कौन खरीदना चाहता है तो जनता ने स्थाई फैसला दिया है, राजस्थान की जनता ने सही फैसला दिया है, उन्होंने इन्दिरा जी के आदेश को माना है और उन्होंने एक तरह से जनता ने आशीर्वाद देकर माननीय सदस्यों को भेजा है। राजस्थान की जनता की आंखें आप सब की ओर लगी हुई हैं। वह चाहती है कि देश के गरीब किसान हैं, मजदूर वर्ग है जो देश के निर्माता हैं, आज वह खान में जाकर काम करते हैं, वह मजदूर कहलाते हैं, खेतों में काम करते हैं वह कृषक कहलाते हैं, जो बन्दूक लेकर सेना में जाकर भर्ती हो जाते हैं वह सैनिक कहलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सड़कें किसने बनाई, यह रेल, यह मशीनरी किसने बनाई, रचनात्मक काम करने वाले कौन हैं–यह सब मजदूर और किसान हैं और उनके लिए सबसे ज्यादा प्रोग्राम होना चाहिए, राजस्थान की जनता के लिए कार्य होना चाहिए क्योंकि जो देश के निर्माता हैं उनको उपेक्षावृत्ति से नहीं देखे जा सकते। जो मजदूर हैं उनके लिए कल्याणकारी योजना बनानी पड़ेगी, अधिक उत्पादन की ओर ध्यान देना पड़ेगा जिससे राजस्थान के अन्दर ज्यादा धन पैदा हो। जो खान में काम करते हैं, जो खेत खलिहान में काम करते हैं और जो पशु पालक हैं वह राजस्थान को समृद्ध करने वाले हैं और उनके द्वारा ही राजस्थान के अन्दर धन ज्यादा पैदा होने वाला है। इसलिए उनकी ओर ध्यान देना होगा....सभापति महोदय, राजस्थान एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है। राज्य सरकार ने हालांकि विद्युतिकरण का काम किया है परन्तु जितनी बिजली की जरूरत है और जहां जहां बिजली पहुंचनी चाहिये, वहां आज तक नहीं पहुंच सकी है। आज स्थिति यह है कि कुओं पर मोटरें फिट हो गयी हैं परन्तु बिजली के कनेक्शन्स नहीं मिले हैं, उन कनेक्शन्स के लिये काश्तकार बहुत ही परेशान हैं। इस-

(श्री मुंशीलाल महावर)

लिये मेरा सुझाव है राज्य सरकार को कि काश्तकारों को राहत पहुंचे इसके लिये तुरन्त कनेक्शन्स देने चाहिये। अब इसमें उपेक्षा नहीं वरती जानी चाहिए। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिसमें सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है। अगर वास्तव में हमें समाजवाद लाना है, काश्तकारों को राहत पहुंचानी है, तो हमें प्रशासन में जनता के लिये, सुधार करना होगा। आज जो प्रशासन में काम करने वाले हैं, उनकी धारणा को बदलना होगा और जो लोग इसमें अड़चन डाल रहे हैं, उन्हें वहां से हटाना पड़ेगा। इसके लिये समाजवाद को लाने के लिये हमें हमारी नीतियों में परिवर्तन करना आवश्यक है। जैसे किसानों को खेती के लिये, सिंचाई के लिये, अगर आर्थिक सहायता की जरूरत है तो वह हमें देनी होगी अगर उनको लोन की आवश्यकता है तो हमें उन्हें दिलवाना होगा ताकि वो अपने कृषि में विकास कर सके। हमें इनके विकास के लिये, फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स है उनके द्वारा, चाहे वे भूमि विकास बैंक हों, चाहे कोआपरेटिव बैंक हो, चाहे और कोई साधन से हमें उन्हें मदद दिलानी होगी ताकि वे अपने आर्थिक हालत को सुधार सके। इसी तरह मजदूरों को भी अपने छोटे-छोटे उद्योगों के लिए अपने उद्योगों को कायम करने के लिये, फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से मदद दिलानी चाहिये। हमें समाजवाद लाने के लिये औद्योगिक विकास करना होगा। इस क्षेत्र में राज्य सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी जो बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, वह बेरोजगारी के बारे में। आज हमारे देश में ही नहीं सारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। हमें पढ़े-लिखों को रोजगार देना होगा। राज्य सरकार को बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए रास्ते निकालने होंगे। ऐसी स्कीम बनानी होगी ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिससे की पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार मिल सके। आज स्थिति यह है कि देश में कि बच्चे को पढ़ा-लिखा कर मां-बाप तैयार करते हैं और जब वह पढ़ लिख आते हैं तो उन्हें कोई नौकरियां नहीं मिलती है। माता-पिताओं को बड़ी आशायें हैं कि जब उनका बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो हमारे को कमा के देगा। पर आज स्थिति ऐसी है बेरोजगारी की कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता। पढ़े-लिखे लोग व युवक इधर-उधर बेकार घूम रहे हैं। अतः इस ओर भी राज्य सरकार को तुरन्त इस समस्या के हल के लिये स्थायी योजनायें बनानी चाहिये। आज जो राज्य सरकार ने जो क्रेश प्रोग्राम बनाये हैं उनसे इसका स्थायी हल नहीं निकल सकता। आज आप जितनी उम्मीद क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत वेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं वह आपको उतना फायदा नहीं देगी। इसलिये सभापति महोदया, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि बेरोजगारी प्रदेश से समाप्त करने के लिये स्थायी योजनायें बनायी जायं ताकि लोगों को राहत मिल सके। दूसरी बात मैं आपको जो निवेदन करना चाहता हूं वह है भूमि आवंटन के बारे में। आज राजस्थान में सीलिंग कानून बनाया गया है पर उसकी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं की गयी है।

(श्री मुंशीलाल महावर)

मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जो जमीन सीलिंग कानून के अन्तर्गत आती है वह तुरन्त उनसे लेकर गरीब काश्तकारों में जो कि भूमिहीन हैं उन्हें बांटी जाये। इसके अलावा जो जमीन आज बेकार पड़ी है उसको भी भूमिहीनों के अन्दर जल्दी से जल्दी बांटी जानी चाहिये। जिससे कि जिनके पास जमीन नहीं होने की वजह से मजदूरी करते हैं वे व भूमिहीनों को जिनसे पर्याप्त भूमि नहीं है उन्हें काश्त करने के लिये जमीन दी जाये।

सभापति महोदया, एक और निवेदन जो मैं करना चाहता हूं वह है औद्योगिकरण के बारे में। आज बदली हुई परिस्थितियों में हमारे प्रदेश में तुरन्त औद्योगिक विकास किया जाना चाहिये। ऐसा करने से लोगों को काम मिलेगा। इसके अलावा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह पीने के पानी की समस्या के बारे में। आज गांवों में और खास तौर से मेरे इलाके में पीने के पानी की बहुत समस्या है। वहां लोगों को पीने के पानी की समस्या का हल करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करना जरूरी है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस समस्या के हल करने के लिये तुरन्त आवश्यक कदम उठायेगी। वैसे ही हमारे यहां पानी की कमी है, पर ग्रीष्मकाल में तो इसकी हालत और भी गम्भीर हो जाती है। अब ग्रीष्मकाल शुरू हो गया है इसलिये पानी की समस्या और अधिक बढ़ जायेगी। मैं आपको दौसा का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर पानी की भयानक समस्या है। लोगों को स्नान करने को पानी नहीं मिलता है, पीने को पानी नहीं मिलता है। राज्य सरकार को कई बार जनता द्वारा निवेदन किया गया है पर अभी तक कोई स्थायी योजना नहीं बन सकी है। अतः मेरा राज्य सरकार को निवेदन है कि पीने के पानी की समस्या को तुरन्त हल की जाय। इसके लिये कोई स्थायी योजना बनायी ताकि जनता को राहत मिल सके। इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी थी वह है सिंचाई योजनाओं के बारे में। उन्हें जल्दी से जल्दी पूरी करने की कार्यवाही की जानी चाहिये आज हमारे यहां जैसे राजस्थान केनाल है और भी कई जो योजनायें सिंचाई के लिये हैं, उन्हें जल्दी पूरी की जानी चाहिये, और इसके लिये जो वित्तीय कठिनाइयां आती हैं उसके लिये केन्द्रीय सरकार से या और किन्हीं वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेकर पूरी किया जाना चाहिये। ताकि काश्तकारों को राहत मिले। बस में इतना ही कह कर आपका ज्यादा समय न लेकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में आया है उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): सभापति महोदया, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में कुछ मुद्दों पर मैं भी दो शब्द आपके माध्यम से राज्य सरकार को अर्ज करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के भाषण में सीलिंग कानून के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।

(श्री लूणा राम)

सीलिंग का मामला ऐसा है कि इस बारे में जितना कहा है उतना काम नहीं हुआ है। आज पूरी तरह से सीलिंग कानून लागू नहीं हुआ है। जिन लोगों के पास जमीनें ज्यादा थीं उनमें से कइयों ने बेच दी और कइयों ने अपने परिवार वालों में बांट दी और मैं समझता हूं एक दिन ऐसा आयेगा कि सीलिंग के लिये जमीन भी नहीं रहेगी। इसका कारण यह है कि जो जमीन सीलिंग में रखी गयी हैं उसकी सीमा ज्यादा है मेरा सुझाव है कि वह कम की जानी चाहिये। नहीं तो जिन लोगों ने अपनी जमीनों को अपने ही परिवार वालों को दे दी तो स्पष्ट है कि लोगों को जमीनें मिलेगी नहीं और जो जमीनें जिनके पास थीं वे उन्हीं के पास नाम बदल कर रह गयीं। वास्तव में जो सीलिंग कानून बना था कि भूमिहीनों को जमीन दी जाय उसका उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। इसलिये मेरा सुझाव है कि भूमि की सीलिंग की अधिकतम सीमा को कम करके वह तुरन्त गरीब किसानों में बांटी जाय ताकि उन काश्तकारों को राहत मिल सके। दूसरे मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग कानून की क्रियान्विति जल्दी से जल्दी की जाय। दूसरी समस्या जो आती है अलाटमेन्ट कानून के बारे में वह है कि अगर भूमिहीनों में भूमि आवंटित हो जाती है, अगर जमीन का अलाटमेन्ट होता है तो उसमें भी प्रभावशाली लोग बाधायें डालते हैं। कई बार जो भूमि का अलाटमेन्ट होता है वह गलत तरीकों से कर देते हैं तो उसके लिये मुकदमे अदालतों में चलने शुरू हो जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसान के भूमि से जो फायदा होता है वह उससे वन्चित हो जाता है। प्रभावशाली लोग बीच में अड़चनें डालते है और कई बार अनधिकृत कब्जा भी कर लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि किसान को अदालतों में जाना पड़ता है वह परेशान हो जाता है उसमें उसे 5 वर्ष तक लग जाते हैं क्योंकि एक नहीं, दो, तीन, चार और पांच पांच अदालतों में केस चलने लग जाते हैं उसका फैसला होने में समय लगता है और इस प्रकार जो किसानों को अलाटमेन्ट का फायदा होना होता है, वह वास्तव में नहीं होता। इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि सरकार ऐसे कानून बनावे जिससे किसानों को ज्यादा कोर्टस में नहीं जाना पड़े और दूसरे ऐसे कानून अलाटमेन्ट के लिये बनाये कि तुरन्त फैसला हो जावे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो दो दो तीन तीन साल फैसला नहीं हो तो मैं समझता हूं कि अलाटमेन्ट का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार कई बार मालगुजारी माफ कर देती है पर उसके माफी के आदेश दो साल तक नहीं पहुंचते हैं उसका नतीजा यह होता है कि गरीब काश्तकारों से मालगुजारी की वसूली कर ली जाती है। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वे ऐसे आदेशों के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें जो कि अत्यन्त आवश्यक है।

सभापति महोदया, इसके अलावा जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ वह हमारे चूरू जिले में पीने के पानी की बहुत ही समस्या है। वैसे ही यह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां से कई बार जनता द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि पीने के पानी की समस्या का हल

(श्री डूंगाराम)

निकाला जाय पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक तो पीने के पानी की कमी है दूसरी ओर वहां पानी जो है वह खारा है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि हमारे चूरू जिले में पीने के पानी के हल के लिये योजना बनाकर इसका स्थायी हल निकाला जाय ताकि जनता को राहत मिले। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि इसे प्राथमिकता दी जाय। आज हमारे पास ही गंगानगर जिले में नहरे आई हुई हैं पर उसके पास चूरू जिला है वहां पर पीने के पानी की बहुत बड़ी भारी समस्या है अतः मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार जैसा कि वहां की जनता की मांग है वहां नहरें लाई जायं ताकि सिंचाई उस इलाके में हो सके। पर सभापति महोदया, आज तक वहां पर पीने के पानी की व सिंचाई के साधनों की नहरें निकाल कर कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से पुनः अनुरोध है कि इस जिले में जो अभी तक नहरें निकाल कर व पीने के पानी की समस्या का हल नहीं किया गया है उसकी समस्या का हल जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिये। इसलिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारे जिले के लिये पीने का पानी और सिंचाई के लिये शीघ्र लिफ्ट सिंचाई से व्यवस्था कराई जाए तो इससे बढ़कर हमारे जिले के उद्धार का दूसरा अच्छा रास्ता नहीं होगा।

इसी प्रकार ग्रामों में बसने वाले हरिजनों के लिए पंचायत के मारफत मुफ्त पट्टा देने की व्यवस्था है यह व्यवस्था नियमों में तो अवश्य कर दी है लेकिन साथ साथ यह भी है कि 100-150 वर्ग गज से अधिक भूमि नहीं दी जा सकती क्योंकि 100,75,50 जो माल गुजारी का देता है उसे ही इस प्रकार भूमि देने की व्यवस्था है जबकि हकीकत यह है कि ऐसे पिछड़े हरिजन जिनके पास जमीन का एक बीघा नहीं होगा तो 50)रु. माल गुजारी देने का सवाल ही नहीं है। इसलिए, 200 गज से अधिक जमीन उपलब्ध होने का सवाल ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बगैर किसी प्रकार की माल गुजारी देने की रकम की पाबंदी लगाये, वास्तव में उनको आबाद करने के लिए मुफ्त जमीन देने की व्यवस्था होनी चाहिए जो पूरा पट्टा हो।

इसी प्रकार से आबादी भूमि के अन्दर कब्जा रेग्यूलराइज करने के लिए सरकार ने जिस प्रकार से व्यवस्था दी है, सरकार का यह कार्य बहुत सराहनीय है लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जहां लोगों ने श्मशान की भूमि को ओरण व पायतन जोहड़ चरागाह की भूमि को आबादी में परिवर्तित किया गया है, ऐसी जगहों के अन्दर कब्जा कर लिया गया है और अगर उसी तरह से रेग्यूलराइज किया गया तो इससे बढ़कर गल्ती नहीं होगी। इसलिए निवेदन है कि कम से कम ऐसे स्थानों जो श्मशान, कब्र ओरण व पायतन जोहड़ है की ओर विशेष ध्यान देकर रेग्यूलेराइज न करने की व्यवस्था की जाए तो उचित होगा।

सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र में है वह यह है रेलवे के पास खेतों का होना। हमारी पंचायत समिति के क्षेत्र में कम से कम 50 मील के अन्दर रेल्वे लाइन है।

(श्री लूणाराम)

जिस पर सिर्फ 4 रेल्वे क्रासिंग (पारण ग्रार) बने हुए हैं खेत रेल्वे के एक तरफ हैं और गांव दूसरी तरफ हैं। हालात यह है कि रेलवे कर्मचारी किसी को रेल से पास होने नहीं देते। नतीजा यह होता है कि लोग भारी बेचैन हैं, चोरी छिपे जो लोग निकलते हैं उनको पुलिस चोकी पर ले जाते हैं, उनके मवेशियों को फाटक में डाल दिया जाता है और खंभों से बांध दिया जाता है ऐसी विचित्र समस्या को लेकर ज्योंही हम चुनाव के दिनों में घूमे हैं तो उन लोगों की मांग है कि वोट लेना है तो कम से कम जो सदियों से रास्ते हैं, वहां से निकलने नहीं दिया जाता, खेत में चराने के भी अधिकारी हम नहीं हैं,एक गांव से दूसरे गांव में जाने के अधिकारी नहीं हैं, कम से कम आप ऐसा विश्वास दिलायें। तो इस सम्बन्ध में हमने भी उनसे यह निवेदन किया कि अगर हम सत्ता में जायेंगे तो आपकी मांग के बारे में अवश्य ही सदन का ध्यान आकर्षित करायेंगे। तो इस ओर विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसे रास्तों के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए जो ग्रामीण व कृषकों के रात दिन काम में आते हैं तो इससे बढ़कर हमारे क्षेत्र की अन्य सेवा नहीं हो पायेगी।

इसी प्रकार पंचायत समितियों के माध्यम से गांवों में जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है तो वह है ए.ई.एन. व ओवरसियर की। हर निर्माण कार्य के लिए एस्टीमेट बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस संबंध में कितना ही कुछ लिखा जाय कितना ही कहा जाए, पर इस विभाग की ओर से उदासीनता रहती है। उनका एपाइंटमेंट पंचायत समितियों और जिला परिषदों में किया जाता है। ऐसे आदमियों का किया जाता है जो न मालूम अपने आप को क्या समझते हैं कि उस क्षेत्र में काम करने लायक नहीं होते हैं। हर समय पंचायत समिति समय पर काम पूरा करवाने में असमर्थ रहती है। यह सिर्फ सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का पूरा सहयोग न होने के कारण है। इसलिए पंचायत समिति के माध्यम से कार्यों को शीघ्र संपन्न कराने के लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि इस समय जो दिक्कत वहां हैं वह दूर हो। दूसरी बात लंबे समय से पंचायत समितियों के चुनाव न होने के कारण जो हमारे में सुस्ती आ रही है यह किसी से छिपी हुई नहीं है। इसलिए पंचायतों के चुनाव शीघ्र करवायें जायं कई पंचायतों में आपसी वैमनस्य के कारण कई निर्माण कार्य जानबूझकर नहीं कराते। इस कारण उस क्षेत्र में जब तक दूसरे चुनाव हों एक प्रकार से उसकी उपेक्षा रहती है। इसलिए यह व्यवस्था कम से कम पंचायत समति के अधिकार में होनी चाहिए कि जहां पंचायत निर्माण कार्य कराने में असमर्थ हो तो वहां पंचायत समिति ऐसे कार्य को अपने हाथ में लेकर करवाये।

हमारा ग्रामों में विद्युत पहुंचाने के लिए प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में कम से कम 10 प्रतिशत कुछ सालाना रिटर्न वापस आना चाहिए ऐसा नियम है। योजना को क्रियान्वित

(श्री तुलाराम)

किया जाने की व्यवस्था है। पर हमारे ग्रामों में जो रेगिस्तानी इलाका है वहां पर आबादी कम होने व गांवों की दूरी ज्यादा होने से यह मामला कुछ कम बैठता है जिससे इस नियम का पालन अगर किया जाय, तो हमारे गांवों में सदियों तक बिजली न पहुंचे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए जो यह विद्युत् संबंधी गांवों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के जो नियम हैं, रेगिस्तानी इलाके में जहां पर दूर दूर गांव बसे हुए हैं, वहां के लिए इस नियम में ढील देते हुए बजाय 10 /' रिटर्न के 4 या 5 प्रतिशत ही लिया जाए जिससे उन गांवों विद्युत् पहुंचाई जा सके।

इन्हीं मांगों के साथ साथ क्रेश प्रोग्राम का जो सवाल है वह ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर व्यवस्था तो बेकार लोगों को मजदूरी देने की है लेकिन दस साल में अगर एक परिवार में दस बच्चे हों और दो स्वयं तो 12 आदमी परिवार में हो गये। तो ऐसे परिवार में एक ही आदमी को मजदूरी दी जाए, चाहे एक एक रुपये के बजाय तीन रुपये दे दें तो भी काम चलने का नहीं है। इसलिए ऐसे जरूरतमंद लोगों को कम से कम 5 आदमियों में दो तीन आदमियों को मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे वे अपने परिवार का पेट पाल सकें।

साथ साथ क्रेश प्रोग्राम में जो काम खास खास लिए गए हैं, उनकी शर्तों के बारे में व्यवस्था है। सड़कों के बारे में हैं कि ऐसी सड़कों को अगर योजना में शामिल करते हैं तो उनको पूरा करने की व्यवस्था की जाए तो उचित रहेगा। इन्हीं क्रेश प्रोग्राम की योजनाओं के बारे में जो कुछ मैंने निवेदन किया यह बहुत आवश्यक है और गरीबों को मजदूरी देने का प्रश्न है।

इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने कुछ विचार सदन में रखना चाहता हूं।

सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यत्र तत्र समाजवादी विचारों का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। इसमें कई बातें बताई गई हैं लेकिन मैं उन बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा जो मेरे क्षेत्र के निवासियों से सम्बन्धित हैं।

भूमिहीनों को जमीन देने की बात कही गई है परन्तु इसमें भी हमारे यहां कई तरह की खामियां रही हैं। आदेश अवश्य राज्य सरकार से हो जाते हैं, परन्तु उनकी पालना नीचे के अधिकारी और कर्मचारी लोग बराबर नहीं करते हैं। सरकार को अब इस पर भी ध्यान देना चाहिये।

हमारे यहां इसका कारण यह रहा है कि पटवारी द्वारा मौके की रिपोर्ट और

(श्री देवीलाल)
पुराने कब्जे जितने भी थे उनको उस तारीख में दर्ज नहीं किया। इसको लेकर कई तरह की कानूनी अड़चनें पैदा कर दी गई। इससे कई गरीब काश्तकार भूमि लेने से वंचित रह गये। कई कानूनी अड़चनें खड़ी कर दी गई।

श्री परसराम मदेरणा : रेगुलेराइजेशन से रह गई, यों कहिये।

श्री देवीलाल : इसमें भी जिन जिन जगहों पर मैं स्वयं पहुंच पाया वहां तो ठीक कराई मैंने वे खामियां, पर आवागमन के साधनों के अभाव के कारण जहां मैं और वहां के कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाये समय पर, वहां ये गलत कार्यवाहियां हो गई। अब अपील में जाने की स्थिति में वे गरीब लोग हैं नहीं। इससे वे अपने न्यायोचित हक से भी वंचित पड़े हुए हैं। इन केसों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

ग्रामों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात भी राज्यपाल महोदय ने कही है। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया भी है। कई गांवों में विकास के काम हुए भी हैं। पर जो इन्टीरियर के इलाके हैं वहां तक विकास का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। जहां आदिवासी लोग रहते हैं, जो नितान्त पहाड़ी इलाके हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं। जहां तक सड़कें इन इलाकों में भी बन गई हैं वहां आस पास कुछ काम वहां भी हुआ है परन्तु जहां सड़कें इत्यादि आवागमन के साधन नहीं हैं, वहां कुछ नहीं हुआ, सिंचाई के साधन भी वहां उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। इस ओर अब सरकार को ध्यान देना चाहिये। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं।

उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां आदिवासी लोग रहते हैं बड़ा दुर्गम इलाका है, आवागमन के सड़क के साधन जहां हैं नहीं, वहां विकास के काम नहीं हो पाये हैं। बाकी इलाकों में विकास खण्ड भी खोले गये हैं, सहायता भी मिली है जो सड़कों के नजदीक थे, आपस में रिश्तेदार थे वहां उनको लाभ मिला है। परन्तु बाकी उनमें भी भेदभाव हुआ है। तो इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। जो इन्टीरियर के इलाके हैं, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, जहां आज आजादी के बाद से भी कोई विकास का काम नहीं हो पाया है, वहां उन लोगों को सिंचाई के साधन कम से कम सबसे पहले उपलब्ध कराये जाने चाहिये, वहां तक सड़कें बनाई जानी चाहिये, आवागमन के साधन होंगे तो आर्थिक विकास भी उनका होगा।

विद्युतीकरण के बारे में भी मैं निवेदन करूंगा। स्वतन्त्रता के पिछले 22 वर्षों में कई जगह बिजली पहुँच गई है पर इन्टीरियर के कई इलाके आज भी इससे वंचित हैं। तो इन पिछड़े इलाकों की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिये। पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, वे भी मनुष्य हैं, वे भी इस देश के निवासी हैं, उनका भी विकास होना चाहिये। उनको भी पालना होनी चाहिये।

मैं, सभापति महोदया, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता

(श्री देवीलाल)

हूं कि उन अत्यन्त पिछड़े आदिवासी इलाकों में भी बिजली जानी चाहिये, उनको भी तरक्की के साधन मिलने चाहिये। आजादी का फल उन तक भी पहुंचाया जाना चाहिये। समाजवाद को वहां भी पहुंचाया जाना चाहिये। आज तो वे इसकी छाया से भी दूर हैं। समाजवाद की छाया वहां भी पड़नी चाहिये।

इसके लिये सबसे पहले जरूरी है सड़कों का निर्माण, आवागमन के साधन, इसके बिना वहां तक न सिंचाई के साधन पहुंचा पावेंगे और न बिजली जा सकेगी। कुछ भी नहीं होने वाला है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कई अच्छी बातों की ओर संकेत किया है परन्तु अगर यह राज्य सरकार उनका पूरी तरह से पालन करे तब ही उन गरीब लोगों का भला हो सकता है।

बेरोजगारी के बारे में भी राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है। बेरोजगारी इन पिछड़े हुए आदिवासी इलाकों में इतनी बढ़ गई है कि पेट पालने के लिये मजदूरी की तलाश में वहां के लोगों को अपना इलाका छोड़कर, अपना राज्य तक छोड़कर, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है।

मैं अपने उदयपुर जिले के आदिवासी लोगों की स्थिति की तरफ ही आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे वहां के आदिवासी एवं शिड्यूल कास्ट के शिड्यूल ट्राइब्स के लोग, सभी बेरोजगार अधिक होने से राजस्थान को छोड़कर गुजरात की सीमा में या गुजरात में जाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर कहीं भी ऐसा कारखाना नहीं, उदयपुर जिले में कहीं ऐसा कारखाना नहीं जहां पर बेरोजगार लोग लग सकते हैं। जावर माइन्स हैं और कई एजेन्सियां हैं वे कारखाने चला सकती हैं। राज्य सरकार के द्वारा सर्वे कराने से काफी उद्योग लग सकते हैं। राजस्थान सरकार उस ओर ध्यान दे तो बेरोजगारों को धन्धा मिल सकता है। बेरोजगार काफी मात्रा में इधर उधर घूमते हैं और आज उनका कोई ठिकाना नहीं है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस ओर संकेत किया है इसलिये राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

समाज कल्याण विभाग की ओर से कई योजनायें चलती हैं लेकिन पिछड़े वर्ग के लिये समाज कल्याण विभाग की ओर से बहुत कम मात्रा में योजनायें चलती हैं क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने कभी इस ओर सर्वे ही नहीं किया है। आदिवासी क्षेत्र में कितने ही भूमिहीन हैं। कई सिंचाई योजनायें चल सकती है। कभी उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पिछड़े वर्ग के लोग आदिवासी कहां रहते हैं, उनको क्या सुविधा है, क्या खाते हैं और वे क्या करते हैं और उनके लिये किस प्रकार की योजना हम बना सकते हैं? कोई सर्वे नहीं, कोई इसका नक्शा नहीं। मैं ऐसे क्षेत्र भी बता सकता हूं कि जहां पर आज तक समाज कल्याण विभाग का कोई आदमी पहुंचा ही नहीं। किसी ने सर्वे नहीं किया। उदयपुर जिले में कई ऐसे स्थान हैं। वहां पर समाज कल्याण विभाग का कोई भी आदमी नहीं पहुंच पाया है। उन लोगों में शिक्षा नहीं उनके पास खाने पीने का साधन नहीं।

(श्री देवीलाल)

उनके पास काम धन्धा नहीं, समाज कल्याण विभाग पर राज्य सरकार लाखों रुपया खर्च करती है लेकिन कोई देखने वाला नहीं। हालांकि सरकार के द्वारा काफी सुधार किया है यह मैं मानता हूं लेकिन ऐसे स्थान हैं जहां पर विभाग के लोगों ने आज तक देखा नहीं कि क्या हालत है, उन लोगों को आज तक सम्भाला नहीं। जैसे आसलपुर में स्कूल वगैराह को योजना चलती हैं। वहां पर न तो आदिवासो पहुंच सकते हैं और न ही आदिवासी बैठ सकते हैं। इस तरह से समाज कल्याण विभाग की शिक्षा की प्रवृत्ति नहीं चल सकती हैं। बालिका शाला आदि कई प्रकार की प्रवृत्तियां है समाज कल्याण विभाग की लेकिन आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। इनके शहरों के पास होने से वे लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते। जो पहुंच पाते हैं वे उनका फायदा उठा सकते हैं। जो गरीब शहर तक नहीं पहुंच सकते हैं, समाज कल्याण विभाग की प्रवृत्ति को नहीं जानता, वह वहां तक नहीं पहुंच सकता है। राज्य सरकार को चाहिये कि इन पहाड़ों में जो बस्तियां हैं वहां पर ऐसी योजनायें चलानी चाहिये कि जिससे इन बस्तियों में रहने वाले लोग फायदा उठा सकें।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में दवाइयों के लिये, अस्पताल खोलने के लिये संकेत किया। अच्छा संकेत किया। आज डिस्पेन्सरियां कहां कहां हैं? ये शहरों तक ही सीमित हैं। गांवों में इनको खोलने का विचार ही नहीं किया है। इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। आज भी गांवों के लोग बिलकुल पिछड़ी स्थिति में रहते हैं, उनकी आज आप तक आवाज भी नहीं पहुंच पाती है। डिस्पेन्सरियां उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। कई लोग बिना इलाज के ही मर जाते हैं। उनको कोई देखने वाला नहीं है। इस लिये डिस्पेन्सरिया खोलने का विचार है तो इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय जिससे कि गरीब लोगों को लाभ पहुंच सके। शहरों में खोली जाती है। राज्यपाल महोदय ने भी इस ओर संकेत किया है इस लिये पिछड़े वर्ग के लोगों के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में, डिस्पेन्सरियां खोलने की व्यवस्था होनी चाहिये।

राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री बिरदाराम।

श्री बिरदाराम (जालोर) : सभापति, महोदया, राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बंगला देश के लिये भारत सरकार ने जो मदद की उसके लिये तो धन्यवाद है। हमारा हिन्दुस्तान आज से नहीं सदियों से मदद करता आया है। अंग्रेजों के राज्यके बाद हिन्दुस्तान ऐसा गरीब है। आज से पन्द्रह सौ वर्ष के पहले के इतिहास को देखिये फिर भी जो पाकिस्तान यह कहता था कि ये हिन्दुस्तान पापड़ खाने वाले क्या लड़ेगे। इन्हीं हिन्दुस्तानियों ने, पापड़ खाने वालों ने उसके पापड़ तोड़ दिये हैं हमारा देश हर गरीब की मदद करता आया है। आगे भी भारत सरकार का यही ऐलान है। हमारे

Page No 88

(श्री बिरदाराम)

बहादुर लोग चारपाई पर मरना नहीं सीखते, किन्तु लड़ाई के मैदान में मरने में अपना गौरव समझते हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा उससे मुझे भी आशा हुई कि गरीब देश को उठा सकेंगे और गरीबों को मदद मिलेगी।

सभापति महोदया, आपके द्वारा मैं निवेदन करूं कि हर कौम में गरीब हैं। राजपूत कौम में गरीब हैं, महाजन कौम में गरीब हैं, काश्तकार में गरीब हैं। गरीब को सहायता देना इस सरकार का फर्ज है। गरीब वर्ग बहुत दुखी है। इसके लिये एक कमेटी ऐसी राजस्थान सरकार की ओर से बनाई जाय कि जिससे जो गरीब है उनको सही रूप से कर्जा मिलना चाहिये। आज उनको सही रूप में कर्जा नहीं मिलता है। साल डेढ़ साल लग जाता है फिर भी कर्जा नहीं मिलता है इसलिए मैं निवेदन करूं कि गरीबों को जल्दी से जल्दी कर्जा मिले। कर्जा नहीं मिलने से अकाल में हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। दूसरे जो कर्जा देने वाले हैं वे लोग भी उसमें नहीं पड़ते हैं साहूकार भी कर्जा नहीं देता है क्योंकि सरकार ने नया कानून बना दिया है इसलिये वे लोग भी डरते हैं।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करूं कि जहां पानी की कमी है वहां ट्यूबवेल खोदे जायं और जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है वहां पर सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय, जहां बंध बनाने के साधन हैं वहां पर बंध बनाने चाहिये। जिला जालौर की बात मैं करता हूं कि वहां पच्चीसी या छब्बीसी में अकाल पड़ा था उस समय सरकार ने बहुत सहायता दी थी और गरीब आदमियों को काम मिला था लेकिन वहां पर बांध अभी भी अधूरा पड़ा है, वह पूरा नहीं हुआ। इसलिए उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये...

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा बां ?

श्री बिरदाराम : जालौर में तालपुरा जेलारा और नहर है। सरदारगढ़, सांवतीपुरा वगैरह हैं भांवतरा में और दूसरी जगह ट्यूबवेल खोदे जायें तो वहां पानी मीठा निकलता है। जहां खारी पानी है वहां ट्यूबवेल खोदकर पानी दिया जाये। भागली में एक पानी की स्कीम है वह जल्दी से जल्दी पूरी कराई जाये। आकोला, पीपलसर आदि गांवों में ट्यूबवेल की स्कीम बनी है वह जल्दी से जल्दी पूरी कराई जाए।

सड़कों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारा जालौर जिला पिछड़ा हुआ है। पच्चीसी, छब्बीसी के अकाल में काम जरूर हुए लेकिन आकोली नदी का काम अभी तक अधूरा पड़ा है। बरसात के दिनों में वहां रास्ते बन्द हो जाते हैं, तो उस आकोली नदी का काम करना बहुत जरूरी है। वहां पर सड़कों पर डामर बिछाना जरूरी है और बिजली के लिए निवेदन करूंगा कि हमारे कुछ गांव हैं रेवतड़ा, पीपलसर, सामतसर वगैरह इनको बिजली मिलनी चाहिए। काश्तकारों को वहां पर ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं मिलने की वजह से तीन-चार हजार रुपया खर्च करना पड़ता है और अगर बिजली हो तो काश्तकार का एक हजार रुपये में ही काम चल सकता है।

(श्री विरदाराम)
और उसकी दो-तीन हजार की बचत हो सकती है।

जालौर जिला ऐसा है कि जहां पशुओं की अच्छी नसल है। वहां मवेशियों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी नसल का सांड रखकर वहां के पशुओं की और नसल अच्छी करने का काम करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जिला बहुत आगे बढ़ सकता है।

इसके अलावा अगर नर्बदा नदी का पानी हमारे जालोर जिले में आ जाता है तो जालौर और बाड़मेर में काफी सिंचाई हो सकती है तो जल्दी से जल्दी नर्बदा की नहर जालौर और बाड़मेर में लानी चाहिये। कोशिश करें तो जल्दी हो सकता है यह काम। अभी 12 हजार एकड़ में सिंचाई होती है तो उसके बाद 24 हजार एकड़ में हो सकती है। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह काम जल्दी होने से हमारे गरीब वर्ग को फायदा मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो कर्जे मिलते हैं उसमें काफी बाधायें आती हैं और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनको जल्दी से जल्दी कर्जा आसानी से मिल जाये इसके लिए स्कीम बनाई जाये। कांग्रेस बहुमत में आई है इसलिए काश्तकार समझते हैं कि सरकार उनका भला करेगी। काश्तकार समझते हैं कि इन्दिरा जी ने नारा लगाया है तो हमारा भला होगा और हमारी गरीबी मिटेगी। तो जो कांग्रेस की विजय कराई है वह समझते हैं कि हम ऊंचे उठ सकेंगे।

राजस्थान के जो व्यापारी हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाकर इन्डस्ट्रीज लगाते हैं। राजस्थान के व्यापारी यहां के यहां हीं रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनकी शिकायत है कि कोटा नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो बहुत मुश्किल से। बाहर जाने से उनको कोटा भी जल्दी मिल जाता है और बिजली वगैरह दूसरी सुविधायें भी उनको जल्दी से मिल जाती हैं। इसलिए यहां के व्यापारी बाहर जाकर कमाते हैं। अगर उनको जल्दी से जल्दी कोटा और बिजली यहां पर हम दें तो यहां राजस्थान के व्यापारी बाहर नहीं जायेंगे और यहीं पर इन्डस्ट्रीज लगायेंगे और इससे हमारे राज्य के मजदूरों को फायदा मिलेगा वर्ना यहां का मजदूर पंजाब जाता है, गुजरात जाता है और वहां इन्डस्ट्रीज में काम करते हैं। अगर यहां के व्यापारी यहां पर ही इन्डस्ट्रीज लगायें तो यहां का मजदूर यहां ही रह जायेगा और इससे जालोर जिले का और राजस्थान का कुछ विकास होगा। इससे यहां के लोगों की गरीबी भी मिटेगी। तो मेरा तो कहना यह है कि यह स्कीम जरूर लागू करनी चाहिए और मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां राजस्थान में गरीब वर्ग बहुत ज्यादा है और हर कौम में गरीब लोग हैं और गरीब वर्ग कैसे गुजारा करते हैं यह गरीब ही जानते हैं और वे बहुत दुःखी हैं और उनका उद्धार करना चाहिए।

सभापति महोदया, आपके जरिये मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि चमड़े का जो काम करने वाले हैं उनको कर्जा इन्डस्ट्रीज विभाग से मिलना चाहिए। इस धंधे के लिए रकम बहुत जरूरी है और रकम उन्हें मिलती नहीं है। गरीब वर्ग को लिखना

(श्री बिरदाराम)

पढ़ना नहीं आता है इसलिए उनके सामने कर्ज लेने में भी बाधायें आती है। यदि उनको सरलता से पैसा मिले तो वे गरीब आगे काम कर सकते हैं। तो मैं सरकार से यह निवेदन, सभापति महोदय, आपके द्वारा करता हूं कि हमारे जिला जालोर में डेरी फार्म की स्कीम है...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री परसराम मदेरणा: वह ध्यान में है।

श्री बिरदाराम: वह मंजूर हो जावे तो जल्दी काम शुरू हो जावे तो काफी गरीबों को फायदा मिलेगा। इतना ही कह कर मैं राज्यपाल महोदय के भाषण का समर्थन करता हूं।

श्री **सभापति** : श्री जेठमल आर्य।

श्री **जेठमल आर्य** (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष (सभापति) महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में राजस्थान के विकास की जो योजनाएं बताई और राजस्थान के विकास के सम्बन्ध में जो प्रकाश डाला है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह राजस्थान का पश्चिमी इलाका है। वह ऐसा इलाका है जिसे मैं मेरी भाषा में राजस्थान से बाहर समझता हूं। वह इलाका जब मैं राजस्थान के अन्य कोनों में जाकर देखता हूं तो उसके बाद में उस रेवदर तहसील में जाता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह इलाका आज 25 वर्ष के बाद भी आजाद नहीं है। आज 25 वर्ष के बाद भी वहां के लोग अपने आपको वही गुलाम भारत का निवासी समझते हैं। उस तहसील में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां कुओं का पानी इतना नीचे चला गया है और कई कुए इतने सूख गये हैं कि लोग पानी पीने को तरसते हैं। इस क्षेत्र में एक सीलवाड़ा बांध बनाने की योजना विचाराधीन थी और उसका सर्वे वगैरा भी हुआ था किन्तु अभी तक पांच वर्ष में भी उस सीलवाड़ा बांध को बनाने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है। उस इलाके में मैंने यह भी देखा कि लोगों में इतना बड़ा आतंक है कि लोग वहां के कुछ लोग से घबराते हैं जिन्हें मैं सामन्तशाही कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस एरिया में मैं यह देखता हूं कि महीने में दो तीन मौतें हो जाना तो साधारण सी बात है। जिस दिन हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी सिरोही पधारी थीं उसके एक दिन पहले की बात है कि जब जो रेवदर और सिरोही के बीच में रास्ता पड़ता है उसके बीच में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम गुलाबगंज है और जो गुलाबगंज के नाम से पुकारा जाता है। शाम को छः बजे का समय था। स्वतंत्र पार्टी के जो उम्मीदवार थे उसके सपोर्टर सारे जागीरदार थे और उस गांव के लोग कांग्रेस के समर्थक थे। उस गांव के जागीरदार उस गांव की एक होटल पर गए और उस होटल वाले से कहा कि मुझे चाय दो, किन्तु उसके पास दूध नहीं था और उस होटल वाले ने कहा कि साहब मेरे पास दूध नहीं है। मैं अभी आपको चाय नहीं दे सकता। आप चाहें तो

(श्री जेठमल आर्य)

बिना दूध की चाय ले सकते हैं। इस पर उसने अपने शराब के नशे में उस होटलवाले को छुरा भौंक दिया और उसकी दुकान में आग लगा दी। थोड़ी देर में वह दुकान जल गई क्योंकि वह दुकान घास की बनी हुई थी और जब यह सूचना हमारे वहां के ठाकुर दलपतसिंहजी को मिली तो वह उसी समय भागे और उस ठाकुर को पकड़ कर अपनी जीप में पकड़कर लेजा कर के पुलिस के हवाले किया। मेरी मान्यता है कि यदि ऐन मौके पर वह नहीं पहुंचते तो कई लोगों का खून हो सकता था। उसके बाद भी जब मैं पुलिस से मिला कि उस गांव में बड़ा आतंक फैला हुआ है और लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं और इसलिये वहां पहरेदार आदि का प्रबन्ध करना चाहिये जिससे कि लोग भय से घबरायें नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने प्रबन्ध नहीं किया।

इसी प्रकार कुछ गांवों में भी ऐसी स्थिति हैं। जो वहां के जागीरदार हैं वे ऐसा करते हैं। मिसाल के रूप में बताता हूं। नागदी नाम का गांव है, वहां के जो जागीरदार हैं उन्होंने बहुत से काश्तकारों की बड़ी बड़ी जमीनें दस-दस, बीस बीस बीघा जमीनें, अस्सी नब्बे रुपये में अपने नाम लिखवा ली क्योंकि सौ रुपये से कम की भूमि की रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं है। इसलिये वहां की वे जमीनें कई काश्तकारों से लिखवा करके ली और उन काश्तकारों को डरा धमका कर, बन्दुक बता कर अपने नाम लिखवा ली और उन काश्तकारों को खेतों से बाहर निकाल दिया और जब वे काश्तकार रोते चिल्लाते हुए हम लोगों के पास आए और हमने सारी स्थिति को देखा, तो मालूम हुआ कि वास्तव में गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। इस सम्बन्ध में हम लोग वहां के जिलाधीश से मिले, तहसीलदार से मिले और वहां की पुलिस से मिले। उन्होंने उस पर कार्य-वाही भी की लेकिन वह कार्यवाही इतनी संतोषप्रद नहीं हुई कि गरीब काश्तकारों को उनकी जमीनें वापिस मिल सकें। इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान इस इलाके की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस पिछड़े हुए इलाके में पुलिस का ठीक प्रबन्ध हो जिससे लोगों में जो आतंक फैला हुआ है, लोगों में जो डर फैला हुआ है, लोग आज अपने आपको निराश्रित समझते हैं, लोग अपने आपको आज भी उस गुलामी की हालत में पाते हैं, उससे वे अपने आपको आजाद समझ सकें, अपने सही हकों को लेने में समर्थ हो सकें। अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री **सभापति** : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): अध्यक्ष महोदय (सभापति), राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में समाजवाद के कार्यों के प्रति सरकार की कृटिबद्धता तो बताया गया है। पहले हमें यह सोचना है कि आजकल हम कितने गरीब हैं और गरीब की क्या परिभाषा है। आपको मालुम होना चाहिए कि देश में इस प्रदेश का क्या स्थान है और गरीबी में और अमीरी में। 1971 की जनसंख्या के मुताबिक हम 55 करोड़ इस देश के निवासी हैं और

(श्री अमृतलाल गहलोत)

राजस्थान में दो करोड 54 लाख के करीब निवासी हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय उत्पादन भी बढा है और इस साल देश का उत्पादन जहां साढ़े अड़तीस हजार करोड़ है वहां राजस्थान का केवल ग्यारह सौ करोड़ है। यदि इसमें भाग दिया जाय आबादी से तो देश में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इन्कम के हिसाब से राजस्थान काफी नीचे है। सारे प्रदेशों के आंकड़े देखे जावें तो ऐसा मालुम पड़ता है कि पंजाब सबसे धनवान प्रान्त है तो बिहार सबसे गरीब है। राजस्थान का नम्बर सबसे गरीब से थोड़ा ऊपर आता है अब राजस्थान में भी देखें कि कौन गरीब है और कौन अमीर हैं तो गंगानगर जिला सबसे अमीर है और बाड़मेर सबसे गरीब है। पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के अन्दर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह इलाका दरिद्रता के नजदीक है। इसी तरह से कृषि के संबंध में मेरे पूर्व वक्ताओं ने नहीं बताया है, मैं इस बारे में भी प्रकाश डालना चाहता हूं राजस्थान ने कृषि उत्पादन में भी रिकार्ड कायम किया है। सन् 51 में जहां 3 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था वहां जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताया है, इस वर्ष हमारा उत्पादन 8.8 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा। सारे देश में जहां खाद्यान्न का उत्पादन सन् 51 में 54 मिलियिन टन था वहां अब एक सौ आठ मिलियन टन होगा। इस प्रकार सारे देश का कृषि उत्पादन सौ प्रतिशत बढ़ा है वहां इस प्रदेश का उत्पादन दो सौ प्रतिशत बढा है और इस प्रकार हम बधाई के पात्र हुए है कि हमने देश में एक नया रिकार्ड कायम किया है। परन्तु कृषि उत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा है और कुछ आंकड़े राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दिये हैं। उनमें से मैं आपको बताऊं कि कितनी गुंजाइश है। फर्टीलाइजर का सवाल है। हमारे यहां पर तीन लाख टन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। ये आंकड़े अखिल भारतीय स्तर से मेल नहीं खाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि देश में हमारा खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 9 प्रतिशत है और फर्टिलाइजर का उपभोग 2 प्रतिशत है। इसलिये उत्पादन बढाने की क्षमता हमारे यहां काफी है। फर्टिलाइजर के उपभोग का जहां तक सवाल है हरियाणा का करनाल जिला, उतने फर्टीलाइजर का उपभोग कर लेता है जितना कि राजस्थान भर में होता है। तो हमारे यहां पर एक बड़ी क्षमता है और इससे देश को फायदा पहुंच सकता है। हमारे यहां पर कपास के उत्पादन की काफी क्षमता है। देश में कपास की कमी है और हम विदेशों से रूई मंगाते हैं। अमेरिका से लम्बे रेशे की रूई हम मंगाते हैं। इसके बाद दूसरी अच्छी रूई सूडान और मिश्र से आती है। राजस्थान की जलवायु, विशेषकर 31 लाख एकड़ राजस्थान नहर की जमीन जो अब खेती में आयेगी, वहां की जलवायु मिश्र और सूडान से मिलती जुलती है। पिछले वर्ष 150 करोड़ से ऊपर की रूई का आयात किया गया था। इसको मंगाने के बाद भी हमारी मिलें जो 400 से ऊपर हैं पूरी क्षमता से काम नहीं कर पायी है। राजस्थान इस दिशा में काम कर सकता है और इस प्रकार से 150 करोड़ की आयात करने वाली चीज को बन्द किया जा सकता है। इसलिये हमें इसको देखना चाहिये।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

इसके अतिरिक्त हमने अनाज का उत्पादन तो हमारे यहां पर बढ़ाया है। हमारे यहां पर गन्ने उत्पादन के लिये जलवायु अच्छी नहीं है। इसलिये हमें तिलहन की तरफ बढना चाहिये। फर्टीलाइजर के उपयोग कराने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा काम होगा।

यह तो मैंने आपके समक्ष एक उपलब्धि का नक्शा खींचा है परन्तु दूसरी तरफ हमारे प्रदेश में महान पिछड़ापन है जिसका नक्शा भी मैं आपके समक्ष पेश करूंगा।

जहां तक विद्युत् का प्रश्न है। विद्युत की क्षमता, फर्म केपेसिटी 2.88 लाख किलोवाट है। देश में इस वक्त 13 मिलियन किलोवाट है और यह हमारी आबादी के अनुपात से जो साढ़े चार प्रतिशत है, लगभग आधी होती है। प्रति व्यक्ति राजस्थान में बिजली का वार्षिक उपभोग 40 किलोवाट घंटा है, देश भर में 80 किलोवाट घंटा महाराष्ट्र में 200, नार्वे में 5000 किलोवाट घंटे होते है। इस तरह बिजली के मामने में हम पिछड़े हुए हैं।

जहां तक पशुपालन का प्रश्न है, राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान विशेषतौर से जहां पर कि बरसात कम होती है वहां पर पशुपालन के लिये क्षमता है। परन्तु हमने इसका उपयोग पूरा नहीं किया है। सरकार को चाहिये कि जहां पर बरसात कम हो, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हैं। वहां पर पशुपालन एक प्रमुख उद्योग हो सकता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं सभापति महोदय आपके जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि खेड़ा जिले में एक सब से बड़ा कारखाना है अमूल प्रोडक्शन का। आज से करीब 25 वर्ष पहले सरदार पटेल ने आनंद में पशुपालकों की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई और प्रथम दिन उनके उत्पादन का 760 पौंड दूध बम्बई भेजा आज वह एक महान संस्था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोआपरेटिव यूनियन के रूप से उठ खड़ी है। तो यह आनंद का उदाहरण हमको मार्ग दर्शन कर सकता है और इसके लिये राजस्थान की क्षमता भी ज्यादा है और इसी तरह की कोई न कोई कोआपरेटिव संस्था, यूनियन हमारे यहां पर भी बन सकती है? अतएव इसकी ओर ध्यान देना हमारी सरकार के लिये परम आवश्यक है।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है मैं कहता हूं कि राजस्थान इस दिशा में सब से पिछड़ा हुआ है। चाहे सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किया हो किन्तु अखिल भारतीय आंकड़ों के अनुपात में यह कम है। जब कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के दस सूत्रीय कार्यक्रम में यह कहा गया है कि 1975 तक 11 वर्ष के छात्रों को अनिवार्य शिक्षा देंगे, हमारी जिम्मेदारी बढी है और इस क्षेत्र में हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है अतएव इस ओर भी राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिये। नागालैण्ड जैसा प्रदेश भी हम से आगे जा रहा है। फिर क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। टैक्नीकल कॉलेजों का प्रश्न है, तीन कॉलेज हमारे यहां पर है। मैसूर में 18 कालेज है। जोधपुर का जो इन्जीनियरिंग

Page No 94

(श्री अमृतलाल गहलोत)

है वह सबसे पुराना कॉलेज हैं। उसकी 250 छात्रों की क्षमता है उसको काट कर सरकार ने 120 कर दिया है। हमारे विद्यार्थी जो अच्छे मार्क्स पाते हैं, वे मैसूर जाते हैं। हमारे पास अध्यापकों की क्षमता हैं, कक्षा रूम और दूसरे इक्वीपमेन्ट भी मौजूद हैं फिर क्यों यह संख्या 120 रखी जानी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैसूर में कई प्राइवेट कालेज हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : हमारे यहां पिलानी का भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूट है। जहां तक सभापति महोदया स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है परिस्थितियां प्रतिकूल नजर आ रही है। जब देश आजाद हुआ था तो देश भर में औसत प्रति दस हजार व्यक्तियों के बीच में एक डाक्टर था। इसके बाद आज औसत 5000 व्यक्तियों पर एक डाक्टर है परन्तु राजस्थान में औसत 14000 व्यक्तियों पर एक डाक्टर है। इसके बावजूद मेडिकल कालेजों की शिक्षा में कटौती की जा रही है। आखिर आप यह क्यों कर रहे हैं। उनको नौकरी देना कोई जरूरी नहीं है। प्रति 14000 व्यक्तियों के बीच एक डाक्टर, याने एक लाख की आबादी पर 7 डाक्टर होते हैं और उसमें भी 80 प्रतिशत डाक्टर शहरों में रहते हैं। तो आप अन्दाजा लगाइये गांव की समस्या कितनी खराब है। इसके बारे में सोचना जरूरी है। 5 मेडिकल कालेज हैं तो उनमें पूरी केपेसिटी हो और जो डाक्टर निकलें उनको सरकार द्वारा ऋण दिया जाये। आज समाज को डाक्टरों की जरूरत है। बीमार पड़ने से लोगों की उम्र कम होती है और व्यक्ति के जल्दी मरने से उत्पादन पर असर पड़ता है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह उल्लेख किया है कि परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत 2 लाख 25 हजार की नसबन्दी और 1 लाख 25 हजार को लूप प्रविष्टी की जा चुकी है जो देश की जन संख्या के अनुपात में लगभग आधी है सभापति महोदया, लूप पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। इसमें गड़बड़ होती है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है (हंसी) ···मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वह इस तरह से है कि रेडक्रास सोसाइटी द्वारा दो फैमिली प्लानिंग यूनिट जोधपुर में चलाई गई जिसका मैं इन्चार्ज रहा हूं। इसलिये इसके बारे में मुझे मालूम है।

जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है, जोधपुर शहर में सबसे बड़ा उद्योग पत्थर का है। इसमें करीब 25 हजार मजदूर काम करते हैं और इस उद्योग से सरकार को 22 लाख की आमदनी होती है अलग-अलग करों के रूप में। परन्तु पिछले 25 वर्षों में नगण्य धन विकास पर खर्च किया गया है। वहां पर मजदूरों को पानी नहीं मिलता है। कालीबेरी एवं सोढों की ढाणी बस्तियों में गर्मियों में चार आना घड़ा पानी मिलता है। 25 हजार आदमी जहां पर काम करते है, वहां एक्सीडेन्ट होने की सम्भावना रहती है परन्तु उनको एक डिस्पेन्सरी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। तो यह कल्याणकारी

(श्री अमृतलाल गहलोत)

समाजवादी राज्य कैसा है। इस पर सोचने की जरूरत है।

भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ने यह घोषणा की थी कि हमारे यहां पर एक ट्रैक्टर का कारखाना खोला जायेगा और एक फ्रैन्च कम्पनी से इसके लिये एग्रीमेन्ट हो चुका है परन्तु राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया है। एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन यह ट्रैक्टर का कारखाना खोलने वाला था, परन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं है। पेय जल की समस्या बहुत उग्र है लेकिन उससे भी उग्र शहरों के अन्दर ड्रेनेज की समस्या है और जो उठाऊ टट्टियां हैं उनमें परिवर्तन करना चाहिए और वाटर सिस्टम भी करना चाहिए। जयपुर में शायद हो चुका है, लेकिन जोधपुर का ड्रेनेज सिस्टम खतम हो चुका है। शहरों की नालियां गन्दे पानी से सड़ती हैं और भर जाती हैं। अतएव, सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े शहरों में पीने के पानी के साथ साथ ड्रेनेज की समस्या हल की जाय, वर्ना परिस्थिति बद से बदतर हो जायगी और भविष्य में शीघ्रता से ठीक नहीं हो पायेगी।

जैसा कि मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया कि शिक्षा में यह प्रदेश पिछड़ा है। जो स्कूलें चल रही हैं उनमें कई प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा चलाई जाती है, जो मेरे क्षेत्र में एक लड़कियों की प्राइमरी स्कूल थी उनको सैकेण्डरी तक बढ़ा दिया है लेकिन राज्य की उनको मदद प्राइमरी तक की ही मिल रही है। ऐसी कई स्कूलें कई वर्षों से काम कर रही हैं। वे दो–दो शिफ्ट में काम कर रही हैं, लेकिन उनको पर्याप्त साधन नहीं मिलते हैं, उनको मैचिंग सहायता दी जाय।

एक सड़क का उल्लेख करूंगा जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वह भदवासिया से भटियानाडी जाने वाली सड़क है। उस सड़क के टेन्डर्स काल हो गये और ठेकेदार ने कंकरी और एस. काल्ट ड्रम डाल दिया, मगर कंकरी बिखर रही है और ड्रम लीक हो रहे हैं और ठेकेदार का पता नहीं। 5 महीनों से काम बन्द है और राष्ट्र की दुर्लभ सामग्री का दुरुपयोग हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सड़क का निर्माण तुरन्त चालू किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शंकरसिंह।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को जो पढ़ा और सुना तो उनके हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने राजस्थान की सत्ता और कांग्रेस संगठन ने जो कुछ काम किया है उसके सम्बन्ध में लिखा है और आगे संकेत दिया है कि आगे क्या करना है।

जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है जैसा कि अभी हाल ही में बताया है कि 145 कांग्रेस के और 4 कांग्रेस समर्थित कम्युनिस्ट साथी हैं। मैं समझता हूं कि इतने बहुमत से आने पर कांग्रेस संगठन का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। अभी हाल ही में कांग्रेस की नीतियों की

Page No 96

(श्री शंकरसिंह रावत)

घोषणा घोषणा-पत्र द्वारा की गई है उसमें बेरोजगारी को हटाना और गरीबी है उसको हटाना है । मैं समझता हूं कि यह गरीबी और बेरोजगारी क्यों है ? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है । जो सरकार रहने को निवास, पहनने को कपड़ा और भरपेट रोटी देती है वही सरकार सफल कही जाती है । राजस्थान में मेरे से पूर्व वक्ता ने यह कहा कि पिछड़ापन है लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि पिछड़ापन नहीं है, लेकिन काम करने की क्षमता है । जहां पर स्पीच दी जाय वहां पर स्पीड भी होना चाहिए काम करने की । जो योजना बनाई जाय उसके साथ हमें ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करना है, आगे बढ़ना है । यह बहुत जरूरी है।

जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी बेरोजगारी पर अधिक ध्यान देने का संकेत किया गया है, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि जहां तक सर्विसेज का सवाल है, किसी भी सर्विस के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाय मैं मानता हूं कि उसका प्रोफार्मा अलग होना चाहिये जैसे कि सीलिंग के अन्दर है की सीलिंग में यह सारा होता है कि यह भूमि कितनी है वह किस जागीरदार की है, जागीरदार के पास कितनी भूमि है और सीलिंग में कितनी भूमि है और उस पर उस जमीन को गरीबों में बांट दिया जाता है । मैं समझता हूं कि जब तक राज्य सरकार सर्विस के लिए कोई ऐसा प्रोमार्मा नियत नहीं करती है और प्रार्थना पत्र के साथ में होना चाहिये कि कितने साधन हैं दूसरे उसके पास, तब तक बेरोजगारी हल नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि साधन सम्पन्न हैं । कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके पास जमीने होते हुए भी या और कोई उद्योग होते हुए भी यह समझते हैं कि सर्विस मिल जाये तो अच्छा हो । मेरी ऐसी मान्यता है कि जब तक इस प्रकार का प्रोफार्मा राज्य सरकार नहीं बनाये कि जो साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं, जिसको कि सर्विस की आवश्यकता है तो उसके सारे साधनों का उल्लेख किया जाय प्रोफार्मा में । जिसके पास बिल्कुल साधन नहीं हैं उनको तरजीह दी जाय । अगर ऐसा प्रोफार्मा नहीं है तो नौकरियों में सिफारिशी लोग आयेंगे और गरीब लोग नहीं आयेंगे और उससे वंचित रह जायेंगे इसके लिए गहराई से सोचकर प्रोमार्फा तैयार करना होगा ताकि जो भी उनके पास में साधन हैं उनका उल्लेख होना चाहिये और उन सारे साधनों का अध्ययन करके इन्टरव्यू में बुलाया जाय या नियुक्ति दी जाय ।

जहां तक भूमि के बंटवारे का सवाल है, भूमिहीनों को जो भूमि दी गई है तो भूमि देने के बाद भी वह उनके कब्जे में नहीं है और वे मालगुजारी द रहे है । अजमेर के कई व्यक्ति ऐसे हैं । यह मुझे मालूम है। इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । मेरी ऐसी मान्यता हैं कि भूमि कब्जे में होने पर भी उसको रोजगार नहीं मिल जाता है । यह देखना है कि उसकी प्रगति किस प्रकार से हो, क्योंकि हमारा देश भारत कृषि पर निर्भर है । हमें आज कृषि-उत्पादन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये

(श्री शंकरसिंह रावत)

दो ही चीजें हमारे सामने हैं—शिक्षा और कृषि। कृषि के लिए बंजर भूमि को तैयार करके उसमें सिंचाई के साधन दें। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करने जा रहा हूं कि जो भूमिहीन किसान है उनको भूमि देने पर ही संतोष नहीं मान लेना चाहिए बल्कि उनको साधन दिये जायं। आंकड़े प्रस्तुत करके कि इतनी भूमि का वितरण किया गया उससे ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। भूमिहीनों को भूमि देने के बाद भूमि पर कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। सभापति महोदय, भूमिहीनों के प्रसंग में निवेदन है कि अभी जो भारत और पाक का युद्ध हुआ और उसमें जो जवान आहत हुए, तो उनके परिवारों को सहायता दी गई, उनको भूमि का एलाटमेंट किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जहां पर खेत फौजी आदमियों को दिये गये हैं वहां पर गांव वालों ने उनको कब्जा नहीं करने दिया है। वे बेचारे ठोकरें खाते फिरते हैं तहसीलदार और पटवारी के सामने। मैं समझता हूं कि जिलाधीश को इस तरह के निर्देश दिये जायें कि हर जिले में ऐसे कितने फौजियों को भूमि का आवंटन किया गया या और कितनों को भूमि पर कब्जा मिल गया और कितनों को नहीं। अगर नहीं है तो उनको कब्जा क्यों नहीं दिया गया इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

भारत पाक युद्ध में जो फौजी जवान आहत हुए हैं उनको केन्द्रीय सरकार ने 5 हजार की सहायता दी है और राजस्थान सरकार ने एक हजार रुपया रखा है। मैं समझता हूं कि वह कम है उनको 5 हजार देना चाहिए। (समय समाप्ति सूचक घन्टी)।

जहां तक सिंचाई के साधनों का सवाल है अजमेर जिले के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अजमेर एक ऊंचा जिला है वहां पर चम्बल के बांध से लिफ्ट द्वारा पानी पहुंचाने के लिए पिछले जो सिंचाई मंत्री महोदय थे उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि अजमेर जिले को पानी दिया जा सके। तो जहां तक, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सिंचाई के जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें उस लिफ्ट इरिगेशन का कहीं उल्लेख नहीं है ऐसा मेरा निवेदन है। उसका कहां पर उल्लेख किया गया है?

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि राजस्थान शिक्षा के सम्बन्ध में पिछड़ा हुआ है, हालांकि ऐसी बात नहीं है लेकिन योजनाओं को क्रियान्वित करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है अजमेर जिला जब राजस्थान में मर्ज हुआ...

श्रीमती सभानेत्री : सदन की अनुमती से सदन का समय 5 मिनिट के लिए बढ़ाया जाता है। इस समय में आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री शंकरसिंह : तब अजमेर एक स्टेट थी तो काफी तरक्की थी। चूंकि छोटी स्टेट अलग नहीं रह सकती है इसलिए उसको राजस्थान के साथ आना ही था, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी उसको क्रियान्वित किया जाय।

(श्री शंकरसिंह रावत)

जहां तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल है, पहले जहां बड़े बड़े पूंजीपति बैंकों में जाते थे तो अब एक छोटा काश्तकार भी बैंक में जाता है। लेकिन छोटे काश्तकार को कोई राहत नहीं मिलती है। भले ही उनकी नीति कुछ बन गई हो। सफलता तो नीति को सही ढंग से क्रियान्वित करने में ही होगी तभी हम सफल होंगे। इसके अलावा मैं निवेदन करूं, जैसे विद्युत है गांवों को विद्युत दी जा रही है। कई जगह तो राजनैतिक कारणों से बिजली दी जा रही है। बिजली देने के लिए यह ढंग उचित नहीं है। भौगोलिक स्थिति को देखकर बिजली दी जानी चाहिए। गांवों में आज लोगों को रेवेन्यू के लोगों का इतना डर नहीं है जितना कि विद्युत विभाग के लोगों का है। किसी भी काश्तकार की बिजली की कोई भी चीज हटा दी फिर उसको पैसे देकर ही ठीक किया जाता है। इस बारे में हमें चाहिए कि जैसे ही किसी को लाइन देते हैं, वैसे ही उसको कनेक्शन दे देना चाहिए। विद्युत मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वह कुओं को जो बिजली दे रहे हैं, उन पर उनको अधिक ध्यान देना चाहिए। उनको समय पर बिजली मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है, उसका समर्थन करते हुये निवेदन करूंगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायित्व बढ़ गया है। उस ओर हमें जाना है। जिस जनता ने कांग्रेस का ज्यादा विश्वास किया है। तो जनता से जो वादा किया गया है, उसको क्रियान्वित करने के लिए हमें सोचना है। उसको हमें लगन के साथ क्रियान्वित करना है। सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा, सारे बजट का ध्यान रखते हुये, ऐसा किया जाये कि गांवों का बहुमुखी विकास हो। इसका समर्थन करते हुये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 24 मार्च, 72 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजकर 3 मिनट पर दिनांक 24 मार्च, 72 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

शुद्धि पत्र

(बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 1972)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
5		4	ांतक	आतंक
6		16	नत्थुसिह	लाखूसिह
13		2	जानकारा	जानकारी
65		11	का	को
,,		12	पाटी	पार्टी
67		17	आरोपये	आरोप
70		1	खड़	खड़े
72		18	साम्प्रायिक	साम्प्रदायिक
80		11	इण्टरगल	इन्टरनल
97		13	से	में
101	अन्तिम से	16	खोलों	खोले
104	,,	12	ये	थे
,,	,,	5	देते ।	देते हैं ।
107		2	तो नहीं होगा	--
,,	अन्तिम से	5	चेंजिग	चेन्जेज
108	,,	5	उसको	उसका
109	,,	1	किया	रखा
111	,,	2	तह	वह
,,	,,	1	रवड़ से	रवड़ की तरह
112		5	लेकिन	लेकर
130	अन्तिम से	16	तो कुछ	तो जो कुछ
132		8	धन्वे	धन्धे
140	अन्तिम से	11	खोर	और
,,	,,	2	हयारी	हमारी
141		6	असलित	असलियत

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
142	6	अपनों	अपनी
143	7	देंगे	देगे
144 अन्तिम से	1	उठा	उठाये
157	7	गां	गांव
159 अन्तिम से	2	दो ा	दोसा
,, ,,	1	पाना	पानी
161 ,,	1	के	को
167	15	गावों विद्युत	गांवों में विद्युत
180	15	लोग	लोगों
182	16	उ	उस
186 अन्तिम से	5	फि र	फिर
190	4	शिप	शिपट
194 अन्तिम से	11	मनुमतो	अनुमति